शुक्रवार,
५ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.12

भाग १—प्रश्न और उत्तर

८४१

लोक सभा

शुक्रवार, ५ मार्च, १९५४

सभा दो बज समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में छंटनी

*६५६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) ११ सेक्शन आफिसर्स, ४६ असिस्टेन्ट्स, ४४ लोअर डिवीजन क्लर्कों और १ स्टैटिस्टीकल असिस्टेन्ट की छंटनी करने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिश पर क्या कार्यवाही की जा रही,

(ख) उपरोक्त छंटनी के फलस्वरूप उच्च अधिकारियों, परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों, स्टेनोग्राफरों और पर्सनल असिस्टेन्टों के कितने पद खाली होने की सम्भावन है;

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित छंटनी के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कितनी बचत होने की सम्भावना है; और

(घ) यह काम कब तक पूरा होने की आशा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ) तक प्राक्कलन समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

८४२

डा० सुरेश चन्द्र : कितने समय से ये सिफारिशें विचाराधीन हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : उतना समय तो नहीं लगा जितना कि प्राक्कलन समिति ने सिफारिश करने में लिया था।

परिवार योजना

*६५७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि परिवार आयोजन गवेषणा तथा कार्यक्रमसमिति की कौन सी सिफारिशें स्वीकार करली गई हैं और अब तक क्रियान्वित की गई हैं?

(ख) क्या इस विषय से सम्बन्धित कोई साहित्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के प्रयोग के लिये सरकार ने छपवाया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) परिवार आयोजन गवेषणा पथा कार्यक्रम समिति की सभी सिफारिशें सामान्य तौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इस समिति ने एक मुख्य सिफारिश यह की थी कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के तथा गैर सरकारी परिवार आयोजन गृहों को ४ तथा १ के अनुपात से सहायता दे। विस्तृत शर्तें द्योतक योजना, जिसके अनुसार इस प्रकार के अनुदान दिये जायेंगे, राज्य-सरकारों तथा स्वतन्त्र संगठनों को भेजी गई हैं।

(ख) जी हां।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या बम्बई तथा दिल्ली सरीखे बड़े नगरों में सन्तति निरोध चिकित्सालय खोलने का सरकार का विचार है ?

राजकुमारी अमृतकौर : सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई हैं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है । इस प्रकार के कोई चिकित्सालय खोलने का सरकार का विचार नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कुल कितना धन चाहिये ?

राजकुमारी अमृतकौर : चालू वर्ष के आय-व्ययक में तीन लाख रुपये की व्यवस्था की गई है; और आगामी दो वर्षों के लिये ३० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री केलप्पन : क्या यह सच नहीं है कि अच्छा खाना तथा अधिक संतुलित भोजन जन्म-संख्या को कम करता है .....

अध्यक्ष महोदय : आप तर्क कर रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं होगा ।

श्री केलप्पन : ....और क्या सरकार का जनता को प्राप्य भोजन की किस्म में कोई सुधार करने का विचार है ?

श्री एम० डी० रामस्वामी : परिवार आयोजन की आवश्यकता केसम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस सम्बन्ध में काफी शिक्षा दी गई है तथा हमारे सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में अब भी शिक्षा दी जा रही है ।

भारतीय टिकट

***६५८. सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) पहिला भारतीय डाक टिकट कब तथा कहां चला था ;

(ख) क्या सौ वर्ष पुरे हो जाने के बाद उसकी शताब्दी मनाने का विचार है; तथा

(ग) क्या अन्य देशों की प्रदर्शनीय वस्तुएं भी आमंत्रित की जायेंगी ?

संचार उप मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) भारत का पहिला डाक टिकट सन् १८५४ में चला था । ये टिकट महा-सर्वेक्षक छापा खना, कलकत्ता, में छपे थे ।

(ख) जी हां, अक्टूबर १९५४ में ।

(ग) जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस सम्बन्ध में किसी देश को अब तक पत्र लिखा गया है तथा उनमें से किसी ने अपने यहां के टिकट प्रदर्शन के लिये भेजे हैं ?

श्री राज बहादुर : इस सम्बन्ध में डाक तथा तार विभाग के महानिर्देशक ने बहुत से विदेशों को पत्र लिखे हैं। अपने राजनयिक साधनों द्वारा भी हमने विदेशों से इस सम्बन्ध में चर्चा की है ।

सरदार हुक्म सिंह : अब तक जारी किये गए टिकटों की क्या कोई पुस्तिका यादगार के रूप में निकाली जायगी, यदि हां तो, क्या यह जनता को बिक्री के लिए अथवा भेंट के लिये मिल सकेगी ?

श्री राज बहादुर : अब तक जारी किये गये टिकटों की प्रतिलिपि के रूप में ही यह स्मृति पुस्तिका होगी ।

श्री वैलायुधन : इस प्रदर्शनी के लिये सरकार ने कितने धन की स्वीकृति दी है ?

श्री राज बहादुर : लगभग १० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है ।

बी० सी० जी०

***६५९. सेठ गोविंद दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

दिल्ली राज्य में १९५३ में कितने व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : सन् १९५३ में दिल्ली राज्य में १,८६,६६७ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये थ

सेठ गोविंद दास : अब तक इस टीके की जो रिपोर्ट मिली हैं, इस देश में या विदेशों में उनसे क्या गवर्नमेन्ट को इस बात पर विश्वास हो गया है कि इस टीके से लम्बे दौरान में कोई नुक़सान नहीं होता और फ़ायदा होता है।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) जी हां, यहां तो हम इस के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ काम हम यहां पर कर रहे हैं वह सन्तोषजनक है। विदेशों में जो इस के बारे में अनुभव हुआ है वह साबित करता है कि यह टीके लाभदायक हैं और इन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस तरह की रिपोर्ट कुछ देशों से भी आई है कि जो भारत देश के सदृश्य गरम देश हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी, आबोहवा का इस वैक्सिनेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

श्री धुलेकर : क्या ऐसे मामलों के आंकड़े रखें जाते हैं जिनमें यक्ष्मा को रोका गया हो अथवा समाप्त किया गया हो ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस सम्बन्ध में इस समय संख्या बताना तो असंभव है, किन्तु इस प्रश्न के बारे में मदनापले में वास्तविक गवेषणा की जा रही है।

रेलवे दुर्घटना दक्कन क्वीन

*६६०. **सरदार ए० एस० सहगल** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २९ दिसम्बर, १९५३ को बम्बई जाने वाली दक्कन क्वीन मसजिद बन्दर स्टेशन पर दूसरी स्थानीय रेलगाड़ी से लड़ गई थी ;

(ख) आहत व्यक्तियों की संख्या,-

(ग) रेल गाड़ियों तथा अन्य दूसरी सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ;

(घ) दुर्घटना के कारण ; तथा

(ङ) इस दुर्घटना की जांच करने वाले रेलवे प्राधिकारी का निर्णय क्या रहा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां। २९ दिसम्बर १९५३ को लगभग १०.२५ बजे यह दुर्घटना हुई थी।

(ख) ५ व्यक्तियों को अधिक तथा ४२ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

(ग) लगभग १२,६०० रुपये की रेलवे सम्पत्ति की हानि हुई।

(घ) तथा (ङ)। रेलों के सरकारी निरीक्षक बम्बई ने इस दुर्घटना की वैधानिक जांच की थी। उनका अन्तर्कालीन निर्णय यह है कि यह दुर्घटना दक्कन क्वीन के चालक की असावधानी के कारण हुई थी।

डाक ले जाने वाले डिब्बे

*६६१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या संचार मंत्री ८ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये आतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर का उल्लेख करते हुये यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बड़ी लाइन के डाक ले जाने वाले डिब्बों में आराम की सुविधा की व्यवस्था करने विषेयक प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय हो गया है; तथा

(ख) क्या छोटी लाइन पर भी इसी प्रकार की सुविधा देने का कोई विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तथ (ख)। जी हां।

श्री मुनिस्वामी : छोटी लाइन पर कितने डिब्बे काम आ रहे हैं

श्री राज बहादुर : हमने डिब्बों का नया डिजायन बनाया है जिससे उनमें कर्मचारियों के आराम करने के लिये एक अतिरिक्त पटरी की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री मुनिस्वामी : क्या डाक ले जाने वाले इन वर्तमान डिब्बों में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : यही तो मैंने अभी कहा है ।

कोढ़ गवेषणा संस्था

*६६२. **श्री एस० एन० दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री ८ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१२ के उत्तर का उल्लेख करते हुए यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय कोढ़ शिक्षण तथा गवेषणा संस्था की स्थापना करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : केन्द्रीय कोढ़ शिक्षण तथा गवेषणा संस्था के लिये एक प्रबन्ध निकाय उसके बाद से बना दिया गया है। मद्रास राज्य की दोनों कोढ संस्थाओं को अपने अधिकार में करने केसम्बन्ध में यह निकाय आवश्यक कार्यवाही करेगी, और केन्द्रीय कोढ़ संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनका विकास करेगा ।

श्री एस० एन० दास : मद्रास सरकार के साथ जो वित्तीय प्रबन्ध किया जाने वाला था क्या वह पूरा हो चुका है, यदि हां तो उस प्रबन्ध का परिणाम क्या हुआ

श्रीमती चन्द्रशेखर : वित्तीय प्रबंध तो पूरा हो चुका है तथा मद्रास सरकार तीन लाख रुपये तक की धन राशि देने के लिये राज़ी हो गई है जैसा कि वह, गत तीन वर्ष से व्यय करती चली आ रही है ।

श्री एस० एन० दास : इस संस्था पर इस वर्ष कितनी आवर्तक तथा अनावर्तक राशियां व्यय किये जाने का अनुमान है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : १० लाख रुपया अनावर्तक तथा ३ लाख रुपया आवर्तक व्यय होगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस गवेषणा संस्था के प्रशासनीय नियंत्रण के लिये कोई प्रबन्ध निकाय नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : एक प्रबन्ध निकाय बनाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सिलवर-जुबिली चिल्ड्रन्स क्लिनिक, मद्रास, इस संस्था के सिपुर्द कर दिया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां, श्रीमान् ।

फारेस्ट कालिज देहरादून

*६६४. **श्री दाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि इण्डियन फ़ारेस्ट कालिज, देहरादून के दो साल के पाठ्य क्रम के लिये भारतीय राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों से ७,००० रुपया शिक्षा शुल्क लिया जाता है जब कि विदेश से आने वाले विद्यार्थियों के से केवल १,००० रुपया लिया जाता है; तथा

(ख) यदि हां, तो विदेशियों से कम शुल्क लेने का कारण क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) दो वर्ष के पाठय क्रम के लिये अनेक राज्य, प्रति बन अधिकारी ७,००० रुपया फारेस्ट कालिज के पोषण के हेतु, अपने अंश-दान के रूप में देते हैं। विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों से जो १,००० रुपया लिया जाता है वह शिक्षा शुल्क है।

(ख) फारेस्ट कालिज आत्म निर्भरता के आधार पर चलाया जाता है । जितना खर्च होता है वह अनेक राज्य आपस में बांट लेते हैं। विदेशी केवल शिक्षा शुल्क देते हैं जिसकी मात्रा उतनी ही है जितनी अन्य विश्व विद्यालयों द्वारा ली जाती है ।

श्री दाभी : क्या यह तथ्य है कि प्राक्कलन समिति का मत है कि भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थियों के शिक्षाशुल्क में यह महान अंतर एक विचित्र अनियमितता है तथा क्या सरकार ने इस अनियमितता को दूर करने पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य अब भी यही कह रहे हैं कि शुल्क में अन्तर है। एक शुल्क है दूसरा शुल्क नहीं है ।

श्री दाभी : क्या यह तथ्य है कि इस कालिज में प्रतिविद्यार्थी वार्षिक व्यय ६६७५ रुपया होता है। तथा भारत में वनोत्पत्तिविज्ञान के प्रशिक्षण का व्यय अमरीका जैसे धनी देशों से भी अधिक है; यदि ऐसा है तो इसका कारण क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रति विद्यार्थी जितना खर्चा विदेशों में होता है तथा जितना हमारे देश में होता है , दोनों का तुलनात्मक विवरण मेरे पास है। यदि हम रुड़की विश्व-विद्यालय से भी तुलना करें तो यह पता लगेगा कि रुड़की विश्वविद्यालय में खर्च होने वाली लागत ३,५०२ रुपया है जब कि देहरादून कालिज की कुल लागत २,०९४ रुपया है यदि हम एडिनबर्ग, अथवा आक्सफोर्ड अथवा येल से तुलना करें तो हम देखेंगे कि हमारा खर्चा बहुत ही कम है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस कालिज में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों को, इस ६,००० रुपये के लिये , प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य सरकारों को इस खर्चे की अदायगी करनी पड़ती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री एस० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय, प्राक्कलन समिति के इस मत में अविश्वास प्रकट करते हैं कि भारतीय विद्यार्थियों से बहुत अधिक शुल्क लिया जाता है तथा विदेशों से आये हुये विद्यार्थियों से बहुत ही कम शुल्क लिया जाता है जब कि विदेशों में इस का ठीक उल्टा व्यवहार करने का ही नियम है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरा विचार है कि प्राक्कलन समिति ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बड़ी जल्दवाजी से काम लिया है ।

रेलगाड़ियों में लूट की घटनायें

*६६५. **श्री दाभी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विभिन्न रेलवे लाइनों पर चलती हुई यात्री गाड़ियों में होने वाली लूट की घटनाओं की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): ऐसी लूट की घटनाओं की संख्या ये हैं :

१९५१ में ६१;
१९५२ में ७०; तथा
१९५३ में ८५ ।

श्री दाभी : क्या मैं डिब्बों के दर्जों के अनुसार लूट की घटनाओं की संख्या जान सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि वे उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि लूटी जाने वाली सम्पत्तियों का कुल मूल्य कितना है तथा लूट मार में मारे जाने वाले तथा घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

श्री अलगेशन : मुझे खेद है कि मेरे पास यह जानकारी भी नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या हमारी रेलवे लाइनों पर, चलने वाली किसी गाड़ी में भी, किसी प्रकार के रक्षकगण का प्रबन्ध किया गया है, यदि हां, तो किन स्थानों में ?

श्री अलगेशन : कुछ गाड़ियों के साथ रेलवे संरक्षण पुलिस चलती है ।

श्री दाभी : औरतों के डिब्बों में होने वाली लूट की घटनाओं की संख्या कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : औचित्य प्रश्न, श्रीमान् । कुछ समय पूर्व अभी अभी एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहने की कृपा की थी कि इस सदन की एक समिति ने 'निष्कर्ष पर पहुंचने में बड़ी जल्दबाजी से काम लिया है'। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई मंत्री इस महान निकाय की एक समिति पर इस प्रकार आक्षेप कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : 'जल्दबाजी' कोई असंसदोचित शब्द नहीं है । मैं समझता हूं कि इस औचित्य प्रश्न पर विनिश्चय करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री वेंकटारमन : अपने माननीय मित्र द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि प्रतिवेदन, अन्तिम रूप देने के पूर्व, मंत्रालयों के पास भेजे जाते हैं तथा यदि कोई दोष होते हैं तो मंत्रालयों द्वारा उनकी शुद्धि की जाती है । इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : हम यह प्रश्न अलग से लेंगे ।

डाकघरों के बचत बैंक लेखाओं में चेक प्रणाली

*६६६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक घरों के बचत बैंकों में चेक प्रणाली पुनःस्थापित करने के सम्बन्ध में क्या कोई निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब आरम्भ किया जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां । प्रयोगात्मक उपाय के रूप में बम्बई के बड़े डाक घर में तथा बम्बई सर्कल के कुछ बड़े डाकघरों में, चेक के द्वारा डाक घर बचत बैंक लेखाओं से रुपया निकालने की प्रणाली आरम्भ करने का विचार किया गया है ।

(ख) जसे ही इस से सम्बन्धित प्रक्रिया का ब्यौरा तो हो जाय, इसे प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इस प्रणाली से छोंटी बचत में वृद्धि होगी ?

श्री राज बहादुर : हम यही आशा करते हैं ।

श्री वेंकटारमन : चेक प्रणाली ऐसे क्षेत्रों में प्रारम्भ की जायेगी जहां बैंकों की कोई सुविधा नहीं है अथवा इस प्रकार का हुआ प्रबन्ध ऐसे स्थानों में किया जायेगा जहां बैंक पहले से मौजूद हैं ?

श्री राज बहादुर : चेक प्रणाली के आरम्भ करने में हमारे सामने अनेक कठिनाइयां हैं 'पोस्टल बचत बैंक' को 'बैंकर' की परिभाषा के अन्तर्गत लाने के लिए हमें लेख्य पत्र अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा । नियम तथा फार्म अभी बनाये जाने हैं । इस के अतिरिक्त आवश्यक कर्मचारियों तथा संगठनों का भी प्रबन्ध करना है । और भी अन्य बातों का हमें प्रबन्ध करना है ।

धातु का पाटा

*६६७. **श्री गिडवानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आनंद (बम्बई राज्य) स्थित इंजीनियरिंग संस्थान के एक कर्मचारी ने धातुका एक नया पाटा (खेत जोतने के बाद मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिये चलाया जाने वाला एक प्रकार का तखता) तय्यार किया है :

(ख) क्या इस पाटे को किसी कृषि फ़ार्म में, आजमाया गया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो इस पाटेने कैसा काम दिया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां, आनंद स्थित कृषि संस्था में ऐसा पाटा तय्यार किया गया है ।

(ख) तथा (ग)। अभी यह प्रयोग की अवस्था में है।

श्री गिडवानी : प्रयोगात्मक आधार पर भी, क्या इस से कहीं काम नहीं लिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का प्रयोग किया जा रहा है इसी लिये हम कहते हैं कि अभी यह प्रयोगात्मक स्थिति में है ।

श्री गिडवानी : क्या हम इसके परिणामों के सम्बन्ध में कुछ अन्दाजा लगा सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास उन स्थानों के नाम नहीं हैं जहां इस से काम लिया जा रहा है । संचालक का कहना है कि अभी यह प्रयोगात्मक स्थिति में है । उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि इस से काम लिया जा रहा है।

श्री गिडवानी : इस पाटे की लागत क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : दामों का विवरण मेरे पास नहीं है। विभिन्न आकार के पाटों की नाप जोख मेरे पास है परन्तु उनकी लागत नहीं दी हुई है। इसको और अधिक सादा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

अंशदायी चिकित्सा योजना

*६६८. **डा० राम सुभाग सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सरकार का अंशदायी चिकित्सा योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां ।

(ख) यह योजना आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में जारी की जायेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : यह योजना किस प्रकार की है और क्या यह योजना भारत सरकार के सभी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों पर लागू होगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी हां । यह योजना दिल्ली और नई दिल्ली में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होगी ।

डा० राम सुभग सिंह : इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना व्यय होगा ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरे विचार में प्रतिवर्ष १४ और १४·२५ लाख रुपये के बीच व्यय होगा ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या इस योजना में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा भी आरम्भ करने का विचार किया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर: क्योंकि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी क्रमशः बढ़ते

स्तर के अनुसार अंशदान देंगे, अतः इसे इस अर्थ में स्वास्थ्य बीमा कहा जा सकता है ।

रेलवे सेवा आयोग

*६६९. **श्री सी० आर० नरसिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह क बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिन पदों का विज्ञापन किया जाता है उनके लिये प्रार्थना पत्र देने वालों को, यदि वे सरकारी नौकरी करते हों तो, अपने प्रार्थनापत्र की अगाऊ प्रतियां भेजने की अनुमति है ;

(ख) क्या रेलवे सेवा आयोग ने इस प्रक्रिया को अपनाया हुआ है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । यह प्रश्न विचाराधीन है ।

चावल की खेती करने की जापानी प्रणाली

*६७१. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी सरकारी प्रयोगात्मक फार्म में चावल की खेती करने की जापानी प्रणाली अपनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) इस के परिणाम सभी जगह उत्साहवर्धक बताये गये हैं । किन्तु अभी राज्यों से विस्तृत ब्योरे की प्रतीक्षा है

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सत्य है अच्छे बीज के अभाव के कारण वांछित फल नहीं प्राप्त हो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम अच्छे बीज के सम्भरण को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यदि इस ढंग से प्रोयोग करने के लिये अच्छे बीज मिल सकें तो अधिक अच्छा परिणाम निकल सकता है । मुझे यह ज्ञात है कि हर जगह अच्छा बीज उपलब्ध नहीं है ।

श्री के० पी० सिन्हा : इस वर्ष इस विधि से कुल कितने क्षेत्रफल में चावल की खेती की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कुल क्षेत्रफल– २०६१७४·२५ एकड़ है । एक या दो राज्यों से अभी अन्तिम रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या सरकार खेती की इस विधि का अनाज की अन्य फसलों को उगाने के लिये भी प्रयोग करने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । पौधों को पुनः लगाने तथा अन्य एक या दो बातों को छोड़कर इस विधि की अन्य बातों का अन्य फसलों के लिये प्रयोग किया जा सकता है । हम इसे अन्य फसलों के लिये प्रयोग करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं ;

श्री मुनिस्वामी : जो भारतीय आयोग इस विधि का अध्ययन करने के लिये जापान गया था क्या उसने कोई सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो क्या उन्हें यहां क्रियान्वित किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन्होंने इस प्रश्न का अध्ययन किया है और सिफारिशें की हैं । उन के सम्बन्ध में इस सदन में अलग से उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री के० के० बसु : जापानी विधि से और हमारी भारतीय विधि से खेती करने से एक एकड़ पर तुलनात्मक व्यय कितना होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में दो स्थानों से आंकड़े प्राप्त हुये हैं। सम्भवतः हमारे पास लगभग सारे के सारे २ लाख एकड़ के सम्बन्ध में सभी राज्यों से आंकड़े आ जायेंगे और हमें आरम्भ से अन्त तक पूरा ब्योरा प्राप्त होने की आशा है। यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक स्थान पर अलग अलग व्यय आता है। उदाहरण के लिये, करजात में जापानी विधि से ३०४ रुपये २ आने व्यय आया था और भारतीय विधि से ११९ रुपये ४ आने। बम्बई राज्य के कोसबाद स्कूल में अन्तर कम था २५४ रुपये ९ आने ६ पाई के विरुद्ध २०९ रुपये ६ आने व्यय आया था। परन्तु ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने काफी अभ्यास के पश्चात इसे बहुत सस्ते में कर लिया है।

हवाई अड्डे

*६७२. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने हवाई अड्डे बनाने का विचार है ;

(ख) क्या किसी छोड़े हुए हवाई अड्डे को लेकर चालू करने का विचार है ;

(ग) क्या वर्तमान सभी हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संघ द्वारा नियत मानदण्ड के अनुसार यंत्रों से सुसज्जित हैं ; और

(घ) हवाई अड्डों पर लगाने के लिये कौन कौन से महत्वपूर्ण उपकरण भारत में बनाये जाते हैं और कौन कौन से विदेशों से खरीदे जाते हैं।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में ९ नये हवाई अड्डे बनाने का और ४ छोड़े हुए हवाई अड्डों को विकसित करने का विचार है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संघ द्वारा की गई सिफारिशों को समय समय पर भारत के साधनों तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है।

(घ) एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]

श्री एस० सी० सामन्त : भाग (क) तथा (ख) के उत्तरों के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि पोर्ट ब्लेयर का जो हवाई अड्डा बनाने का विचार किया गया था क्या उसे इस संख्या में सम्मिलित कर लिया गया है ?

श्री राज बहादुर : हमारे पास इस समय ४१·३५ लाख रुपये की व्यवस्था है और इसलिय हमने प्राथमिकता के क्रम से कांडला, उदयपुर, चण्डीगढ़ और हलद्वानी इन चार हवाई अड्डों को लिया है। इस समय पोर्ट ब्लेयर इस में सम्मिलित नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कूच बिहार और बालुरघाट के हवाई अड्डे विभाग को सौंप दिये हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं चाहता हू कि इसके लिये अलग से एक प्रश्न पूछा जाये।

श्री रघुरामय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नये आंध्र राज्य में कोई हवाई अड्डा नहीं है, क्या गन्नवरम् के छोड़े हुए हवाई अड्डे को पुनः चालू करने का या कुर्नूल के निकट एक नया हवाई अड्डा बनाने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य को विशाखापत्तनम् और विजयवाडा का स्मरण कराना चाहता हूं।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जबलपुर का एअरोड्रोम

बहुत खराब हालत में होगया है और थोड़ी सी मरम्मत से वह ठीक हो सकता है ? ऐसी हालत में उस पर भी कुछ थोड़ा-सा खर्च करके क्या उस को ठीक कराने का इरादा है ?

श्री राज बहादुर: प्रत्येक एअरोड्रोम के बारे में बताना मेरे लिये कठिन है क्योंकि किस अवसर पर उस को लेना चाहिये और किस तरह उस का इस्तेमाल करना चाहिये यह इस पर निर्भर करता है कि वहां से कितना ट्रैफिक मिलता है और उसके ठीक करने की कहां तक आवश्यकता है ।

अज्वलनशील घास के छप्पर

*६७४. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देहरादून स्थित वन अनुसन्धान संस्था ने छप्पर की घास को अज्वलनशील बनाने की कोई प्रक्रिया निकाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस की लागत क्या होगी ; और

(ग) इस विधि को ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी नहीं । उन्होंने घास को अग्निरोधक बनाने की एक विधि निकाली है ।

(ख) अग्नि-शामक घास पर लगभग ८० रुपये प्रति १०० वर्ग फुट व्यय आयेगा ।

(ग) अभी यह अवस्था नहीं आई है कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाये किन्तु अब तक इस विषय में जो कार्य हुआ है वह भारतीय वन प्रपन्न संख्या १३३ में पूरी तरह से वर्णित है जिस की प्रतियां पुस्तकालय में मिल सकती हैं । दिल्ली में रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी और कम लागत के घरों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी इस का प्रदर्शन किया गया था ।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं यह समझूं कि इस की लागत ८० रुपये प्रति वर्ग फुट है ; या प्रति १०० वर्ग फुट है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रति १०० वर्ग फुट ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : यह वर्ग फुट है या घन फुट ?

डा० पी० एस० देशमुख : छप्पर से ढके हुए क्षेत्र के ऊपरी भाग का वर्ग फुट ।

पंच घाटी कोयला क्षेत्र

*६७५. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या पंच घाटी कोयला क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब शुरू होने की आशा है ;

(ग) इस अस्पताल का आवर्त्तक व्यय क्या होगा ;

(घ) इस में कितने रोगियों के ठहरने का प्रबन्ध रहेगा ; तथा

(ङ) यह अस्पताल कितने श्रमिकों के लिए बनाया जा रहा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) शीघ्र ही ।

(ग) इस अस्पताल के कार्यसंचालन का वार्षिक आवर्त्तक व्यय लगभग ९६,००० रुपये होगा ।

(घ) ३०

(ङ) यह अस्पताल लगभग ७,००० कोयला खनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए बनाया जा रहा है ।

श्री के० सी० सोधिया : इस प्रयोजन के लिये कब धन मंजूर हुआ था ?

श्री आबिद अली : गत वर्ष कल्याण निधि-समिति ने यह अस्पताल खोलने का फैसला किया, तथा इसके पश्चात् यह धन-राशि मंजूर की गई।

श्री के० सी० सोधिया : इस अस्पताल की लागत क्या है ?

श्री आबिद अली : लगभग ५ लाख रुपये।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस अस्पताल के निर्माण के लिये नियोजकों ने कितना अंशदान दिया है ?

श्री आबिद अली : यह कोयला खान कल्याण निधि से बनाया जायेगा। कमकरों अथवा नियोजकों से कुछ भी नहीं लिया जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, यह निधि उस उपकर की बनी है जो कि कोयले के प्रेषण पर लिया जाता है।

पड़ती भूमि का परिमाप

*६७६. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस किस राज्य ने पड़ती भूमि के परिमाप तथा जंगलात क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिय परिशिष्ट ३, शनुबन्ध संख्या ३६]

श्री एन० एम० लिंगम : विवरण में केवल १२ राज्यों के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। मैं जान सकता हूं कि क्या सारे राज्यों से सूचना एकत्र करके सदन पटल पर रख दी जायगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, इस की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार को इस बात का कोई अनुमान है कि देश में कुल कितनी पड़ती भूमि है इस में से कितनी जमीन भूमिहीन किसानों को दी जा सकती है तथा कितनी भूमि पेड लगाकर जंगल में परिवर्तित की जा सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, मैं ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि बंजर जमीनों पर, जहां कि जंगल उगाये जा सकते हैं, पुनर्वास का कार्य हो सकता है। यह बात विचाराधीन है।

श्री एन० एम० लिंगम : में जानना चाहता हूं कि लगभग कुल कितनी ऐसी जमीन है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पास छः राज्यों के आंकड़े नहीं हैं और उन्होंने यह सम्बन्धित राज्यों से मांगे हैं। वह सभी राज्यों के लिए आंकड़े कैसे दे सकते हैं ?

श्री सी० आर० नरसिंहन : कम से कम लगभग आंकड़े।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल एक कल्पना होगी।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या केन्द्रीय जंगलात बोर्ड ने प्रत्येक राज्य को यह बताया है कि कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगल लगाने के लिए रखा जाना चाहिये ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है हमारे पास अभी सर्वांगीण परिमाप नहीं है। इस लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि कुल कितनी जमीन है तथा इस उद्देश्य के लिये कितनी जमीन काम में लाई जा सकती है।

केन्द्रीय समझौता कार्यालय पटना

*६७७. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय समझौता कार्यालय पटना को भंग करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है, तो इस के कारण क्या हैं ; तथा

(ग) १९५१, १९५२ तथा १९५३ में इस कार्यालय ने कितने मामलों का निर्णय किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). जी हां, मितव्ययिता के लिए समझौता अधिकारियों के दो पद हटा दिए गए हैं । इसके परिणामस्वरूप पटना कार्यालय भी बंद कर दिया गया है ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पल रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह कार्यालय बहुत से मामलों का निर्णय कर सका है, क्या सरकार इसे पुनः खोलने की प्रस्थापना करती है ?

श्री आबिद अली : पटना में जितना कुछ काम हुआ है वह इस कार्यालय को चालू रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को मालूम है कि बिहार एक औद्योगिक क्षेत्र है तथा वहां औद्योगिक झगड़े भी प्रायः हुआ करते हैं, अतः इस कार्यालय के बन्द हो जाने से श्रमिक वर्ग को 'न्याय' महंगा पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यही अनुपूरक प्रश्न कुछ समय पहले पूछा गया था।

श्री भागवत झा आजाद : पटना स्थित इस कार्यालय को बंद करने के बाद सरकार ने किस वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया है ?

श्री आबिद अली : आसनसोल कार्यालय पटना का काम भी संभालेगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या ब्रिटिश पूंजीपतियों की करतूतों के परिणाम-स्वरूप बिहार के कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक झगड़े दिन-प्रति-दिन बढ़ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । माननीय सदस्य को इस तरह के आक्षेप तथा आरोप नहीं लगाने चाहियें ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह तो एक वास्तविकता है ।

रेल गाड़ी परीक्षक (ट्रेन इक्जामिनर्स)

*६७९. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेल गाड़ी परीक्षकों की वर्तमान वेतन-श्रेणी तथा भर्ती नियम क्या हैं ;

(ख) क्या रेल गाड़ी परीक्षकों का दर्जा तथा वेतन श्रेणी उन रेल कर्मचारियों के दर्जे आदि से कम हैं जो कि "टैक्नीकल देख-भाल कर्मचारीवृन्द" के नाम से प्रसिद्ध हैं ; तथा

(ग) रेलवे बोर्ड ने रेल गाड़ी परीक्षकों की ट्रेनिंग तथा तरक्की के सम्बन्ध में "इसाक एंड लैथम कमेटी रिपोर्ट" की सिफारिशें कहां तक स्वीकार तथा क्रियान्वित की हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेल गाड़ी परीक्षकों की निम्नतम वेतन-श्रेणी ८०–५–१२०–ई० बी० –८–१६० रुपये है । मैट्रिक की निम्नतम अर्हता वाले उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है तथा उन्हें चार वर्ष के लिए लगा दी जाती है । वाहन तथा डिब्बा शाखा में काम करने वाले प्रवीण कर्मचारियों को भी तरक्की दे कर इस ग्रेड पर पहुंचाया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उम्मीदवार लेने की प्रणाली पहले से ही चालू की गई ह तथा इस समय विभिन्न रेलवेज़ में उम्मीदवार भर्ती किये गए हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सत्य है कि डा० जानमथाई जब यहां रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि रेल गाड़ी परीक्षकों की काम काज की स्थिति उसी स्तर पर लाई जानी चाहिये जिस पर कि दूसरे टैक्नीकल देखभाल कर्मचारीवर्ग की है ?

श्री अलगेशन: वास्तव में केन्द्रीय वेतन आयोग ने निम्नतम वेतन-श्रेणी ५५-१३० रुपये निश्चित की है। परन्तु बाद में रेलवे बोर्ड ने निश्चय किया कि यह कुछ बढ़ा दी जानी चाहिये तथा उस समय से वेतन-श्रेणी ८०-१६० निश्चित की गई है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सत्य है कि स्यालदा तथा हावड़ा जैसे बड़े बड़े रेलवे डिपुओं पर सामयिक संधारण का काम इन ही रेल गाड़ी परीक्षकों की देख रेख में होता है, तथा यदि यह सत्य है तो ऐसी कौन सी बात है जो रेलवे बोर्ड को इन लोगों की काम काज की शर्तें उसी स्तर पर लाने से रोकती हैं जो अन्य टैक्सीकल निरीक्षण कर्मचारियों का है ?

श्री अलगेशन : कुछ अन्तर हैं। एक अन्तर तो यह है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों की टैक्नीकल जानकारी सामान्यतः उस से कुछ कम होती है जोकि अन्य टैक्नीकल निरीक्षक कर्मचारियों की होती है।

श्री टी० के० चौधरी: इन रेल गाड़ी निरीक्षकों की निम्नतम अर्हताएं क्या होनी चाहियें तथा इन्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है ? इन दोनों मामलों में अन्तर क्या है ?

श्री अलगेशन: जैसा कि मैं ने निवेदन किया उम्मीदवार मैट्रिक पास होने चाहियें, और इन्हें चार वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा कुछ प्रवीण तथा अर्ध-प्रवीण कर्मचारियों को भी तरक्की दे कर इस ग्रेड पर पहुंचाया जाता है।

श्री टी० के० चौधरी : रेल गाड़ियों के इन परीक्षकों तथा अन्य टैक्नीकल निरीक्षण कर्मचारियों में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मेरे विचार में इस से चर्चा लम्बी होगी। यह प्रश्न किसी अन्य अवसर पर पूछा जा सकता है।

बिहार में बाढ़ें

*६८०. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बिहार में १९५३ में बाढ़ों के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबला करने के लिये दी गई वित्तीय सहायता की कुल रकम बताने की कृपा करेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): १९५३ में बाढ़ सहायता कार्यों के लिये निम्न मदों पर भारत सरकार ने बिहार को ५० प्रतिशत अनुदान स्वीकार किया है।

(१) ६० लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक सांप्रातिक नकद अदायगी और खाद्यान्न सम्भरण के रूप में निरपेक्ष सहायता;

(२) १५ लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक मकानों को पुनः बनवाना;

(३) २५,००० रुपये के अनुमान तक मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये काम के उपबन्ध की योजनाएं;

(४) अधिक से अधिक ५० लाख रुपये की सीमा तक स्थायी परिसम्पत् की सर्जना न करने वाली वे योजनाएं जिन में कठिन शारीरिक परिश्रम लगा है।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान्, क्या यह सच है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ दावों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी रकम की मांग की गई थी और जिस कार्य के लिये यह मांगा गया था उसका क्या स्वरूप है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक इस का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को वित्त मंत्रालय की ओर निर्दिष्ट करूंगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: श्रीमान्, क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार के कुछ क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से आरम्भ किये गये कार्य में किसी भी प्रकार का अनुदान देने से सरकार ने इंकार कर दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, हमारा सहायता कार्यक्रम प्रत्येक राज्य पर समान रूप से लागू होने वाले विशिष्ट नियमों के अनुसार है और सरकार द्वारा इन्हीं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है । संभव है, माननीय मित्र द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न इस में नहीं आता ।

श्री एल० एन० मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ की पुनरावृत्ति के निवारणार्थ कार्यवाही करने के लिये अनुदान अथवा ऋण के रूप में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये । मेरा विश्वास है कि कुछ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : बिहार सरकार ने इस कार्य के लिये अभी तक कुल कितनी रकम खर्च की है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जो नवीनतम प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ है उसके अनुसार इस राशि का कुल योग ६,०९,९०,१३२ रुपये है ।

उत्तर प्रदेश में भूमि को कृषि योग्य बनाना

*६८१. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था ने उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया है और इस भूमि का कितना भाग तराई क्षेत्र में है ;

(ख) कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर किस प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं ; और

(ग) क्या यह काम केवल राज्य सरकार ने प्रारम्भ किया था या राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने मिलकर ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) केन्द्रीय ट्रेक्टर सस्था ने उत्तर प्रदेश में जनवरी, १९५४ तक कुल २,१६,३०३ एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया है । इस भूमि में से ७५·६३१ एकड़ नेनीताल तराई में हैं ।

(ख) कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर गेहूं, धान, चना जवार, और गन्ना, आदि उगाये जाते हैं ।

(ग) भूमि को कृषि योग्य बनाने का सारा काम केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था ने किया था और बाद की कृषि राज्य सरकार द्वारा की गई थी ।

श्री रघुनाथ सिंह: सरकार की तरफ से पानी का क्या इन्तज़ाम किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरी समझ में वहां पानी काफी है ।

श्री रघुनाथ सिंह: इस एरिया में कितने नलकूप खोदे गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सब काम जो हमने किया है वह यू० पी० गवर्नमेंट के लिए किया है । मैं समझता हूं कि यह सवालात उन्हीं से पूछे जाने चाहियें ।

श्री नानादास : श्रीमान्, कृषि योग्य बनाई गई भूमि में से राज्य की कितनी और निजी व्यक्तियों के स्वामित्व की कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं इस की जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि गंगा खादर क्षेत्र में कृषि योग्य बनाई गई भूमि में लावण्य आ गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास जानकारी नहीं। हम ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिये यह कार्य किया।

सेठ गोविंद दास : उत्तर प्रदेश में यह जो नई जमीन काश्त में आई है, क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है, कि उसमें कुछ ज़मीन ऊसर है। क्या उस ज़मीन को आबाद करने के लिये वैज्ञानिकों से परामर्श करके कोई योजना बनाई गई है, केन्द्र द्वारा या प्रान्तीय सरकार द्वारा ?

डा० पी० एस० देशमुख: क्या यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्र के सम्बन्ध में है ?

अध्यक्ष महोदय: जी हां।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास कोई जानकारी नहीं।

श्री टी० के० चौधरी उठे—

अध्यक्ष महोदय : हम तो उन बातों के विस्तार में जा रहे हैं जो राज्य को ही मालूम हैं।

श्री टी० के० चौधरी : यह तो कृषि योग्य बनाने की लागत के सम्बन्ध में है। क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से क्षतिपूर्ति के रूप में कर या इसी प्रकार के रूप में कोई अन्य देय लेती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां; २०० या उसके अधिक एकड़ भूमिखण्डों में गहरा हल चलाने पर लगभग ६० रुपये प्रति एकड़ लागत आती है। १०० एकड़ से अधिक किन्तु २०० एकड़ से कम के भूमिखण्डों में गहरा हल चलाने पर ७२ रुपये प्रति एकड़ लागत आती है। १०० एकड़ से कम के भूमिखण्डों को कृषि योग्य बनाने के लिये स्वीकार नहीं किया जाता। झाड़-झंखाड़ आदि को साफ करने के काम के लिये ६५ रुपये प्रति घण्टा लिये जाते हैं।

राजस्थान में जमाये गए तेल पर प्रतिबन्ध

*६८२. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने उस राज्य में जमाए हुए तेल के आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सुझाव देते हुए यह लिखा है कि उस राज्य में वनस्पति के आयात पर से प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिये किन्तु अभी उन्होंने इसे नहीं हटाया है।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या यह सही है कि राजस्थान के साथ के प्रदेशों से जमा हुआ तेल चोरी छिपे जा कर राजस्थान में चोर बाज़ार में बिकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ही इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह दुरुस्त नहीं है कि मरजर (विलयन) से पहले राजस्थान में ऐसा तेल ले जाने की इजाजत नहीं थी, और क्या यह दुरुस्त नहीं है कि इस तरह से गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का राजस्थान को मज़बूर करना प्राविंशियल आटानमी (प्रान्तीय स्वायत्तता) को टेम्पर करना (बिगाड़ना) है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं समझता हूं कि जो कानूनी सवाल पैदा होता है उसको ध्यान में रखकर ऐसा किया है और हम समझत हैं कि कानूनन भी यह बात ठीक नहीं है कि एक गवर्नमेंट बैन करे (प्रतिबन्ध लगाये)। यह बात सही है कि जब तक स्टेट्स थीं वहां पर यह पाबन्दी थी। लेकिन फिलहाल इस कांस्टीट्यूशन के अन्दर यह पाबन्दी लगानी ठीक नहीं है, ऐसी राय है।

श्री के० के० बसु: क्या भारत सरकार ने राजस्थान सरकार द्वारा यह प्रतिबन्ध हटाये जाने से पहले उनसे इस बात का कारण पूछा है कि इस आयात पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि जिन दिनों भारत में रजवाड़े थे और संविधान नहीं बना था उन दिनों इस प्रकार के प्रतिबन्ध चल रहे थे। वे उसी प्रकार के व्यवहार को जारी रखना चाहते हैं।

कोयला खनिकों की हड़ताल

***६८३. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश भर के कोयला खनिकों ने १ मार्च, १९५४ से काम बन्द करने की धमकी दी है ?

(ख) उन की विशेष मांगें क्या हैं ?

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम के कोयला खान कमकरों की कई संस्थाओं ने १ मार्च, १९५४ से हड़ताल करने का विचार प्रकट किया है।

(ख) तथा (ग). पहले से ही सरकार के विचाराधीन एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एस-६३/५९**] इस से आप को पता चल सकेगा कि कमकरों ने किस प्रकार की मांगें प्रस्तुत की हैं।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : विवरण की द्वितीय अनुसूची से पता चलता है कि जिन मामलों पर विवाद हो रहे हैं, इस प्रकार हैं :

> "कोयला खानों में नियोजित कमकरों की सभी श्रेणियों की मजूरी, जिसमें ....शामिल है।"

अध्यक्ष महोदय: क्या वह सारा विवरण पढ़ना चाहते हैं ? सभी मांगों को यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनका प्रश्न क्या है ?

श्री एल० जोगेश्वर सिंह: मेरा यह प्रश्न है कि क्या नियोजक इन में से कई मांगों को मान्यता देने के लिये तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या नियोजक इन में से किन्हीं मांगों को मान्यता देना चाहते हैं।

श्री आबिद अली : यह तो एक अलग प्रश्न है। कमकरों की सभी महत्वपूर्ण मांगों को न्याय निर्णयकों के समक्ष रखा गया है, और गज़ट में छपी अधिसूचना में इसका ब्योरा प्रकाशित किया गया है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: क्या इस बात के लिये कोई अवधि निश्चित की गई है कि न्यायनिर्णायक कब तक अपना पंचाट प्रस्तुत करेगा ?

श्री आबिद अली: इस प्रकार के मामलों में कोई कालावधि निश्चित करना उचित नहीं है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने न्यायाधिकरण में

कमकरों के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं रखा ?

श्री आबिद अली: श्रीमान्, आज तक इस प्रकार की कोई भी प्रथा नहीं चली है।

डाक और तार अधिकारियों के निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी मामले

*६८४. **श्री टी० बी० बिट्ठल राव:** (क) क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५० से हैदराबाद सब-सर्किल में डाक और तार अधिकारियों के निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी कितने मामले लम्बित हैं ?

(ख) निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी अन्तिम आदेश जारी किये जाने में देर होने का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि इससे निवृत्त कर्मचारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(घ) निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी मामलों को निबटाने में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) २७। जिसमें से १९ निवृत्ति-वेतन के मामले हैं और शेष मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान तथा परिवार निवृत्ति-वेतन के लिये मृत अधिकारियों के आश्रितों के दावे हैं। निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी लम्बित मामलों में से केवल दो १९५० के हैं।

(ख) भूतपूर्व रियासती अधिकारियों द्वारा सेवाओं के सत्यापन, अधिक दिये गये छुट्टी के वेतन के विनियमन, वृद्धावकाश की आयु से अधिक आयु वाले अधिकारियों के अनियमितरूप से बनाये रखने तथा निवृत्ति-वेतन पाने वालों के विरुद्ध लम्बित धोखे के मामलों के निबटाने में विलम्ब के कारण देर हुई है।

(ग) जी हां। १९ मामलों में से १६ मामलों में अधिकारियों को प्रत्याशात्मक निवृत्ति-वेतन दे दिया गया है जिससे उन्हें परेशानी न उठानी पड़े।

(घ) लम्बित निवृत्ति-वेतन मामलों का अक्सर पुनर्विलोकन किया जाता है और अधीनस्थ प्राधिकारियों को हिदायतें दे दी गई हैं कि वे इन मामलों को निबटाने में शीघ्रता करें।

श्री टी० बी० बिट्ठल राव: १९५१ के कितने मामले हैं ?

श्री राज बहादुर: १९५० के दो, १९५१ के ग्यारह और १९५२ के ग्यारह।

पडरौना और खड्डा चीनी फैक्टरियां

*६८६. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को पता है कि पडरौना और खड्डा चीनी फैक्टरियों (उत्तर प्रदेश) के मजदूरों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी राशि दी जानी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) मजदूरी की बकाया राशि जिसमें प्रतिधारण-शुल्क और बोनस भी शामिल है, पडरौना और खड्डा चीनी मिलों के सम्बन्धों में क्रमश: ७ लाख रुपये और २.५ लाख रुपय हैं।

श्री विश्वनाथ राय: इस देय राशि के तुरन्त भुगतान के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वास्तव में, इस मामले का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश सरकार से है। फिर भी हम इस पर विचार कर रहे

हैं कि क्या किया जा सकता है । सम्भावना इस बात की है कि यदि सहकारी बैंकों से उन्हें ऋण मिल जाये तो वे शायद भुगतान कर सकते हैं ।

श्री विश्वनाथ राय: क्या भुगतान के लिये कोई समय-सीमा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान् यह सारा मामला बहुत ही पेचीदा है । इसमें अनेक घरेलू झगड़े आदि शामिल हैं ।

रेलवे पर सामान बेचने के ठेके

*६८७. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें या अभिवेदन प्राप्त हुय हैं कि रेलवे स्टेशनों पर सामान बेचने के ठेके आगे किराये पर देने की प्रथा के परिणाम अवांछनीय हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, कभी कभी ।

(ख) हिदायतें दे दी गई हैं कि जब कभी इस बात की शिकायत हो कि ठेके आगे किराये पर दिये गये हैं और यह शिकायत ठीक प्रमाणित हो जाय तो ठेके समाप्त कर दिये जाने चाहियें ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार की यह सामान्य नीति है कि सामान बेचने के ठेके आगे किराये पर दिये जायें ?

श्री अलगशन: यह नीति नहीं है । हम ने यह हिदायतें दे दी हैं कि जहां कहीं भी यह प्रमाणित हो जाय कि ठेके आगे किराये पर दिये गये हैं तो ठेके समाप्त कर दिये जाने चाहियें ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : सामान बेचने वालों को लाइसेन्स देने में सरकार किस प्रक्रिया का अनुसरण करती है—नीलाम करने की या अन्य कोई ?

श्री अलगेशन: यह लाइसेन्स देने की प्रणाली है । टेण्डर मांग कर लोगों को ठेका देने की प्रक्रिया नहीं है ।

श्री गिडवानी: क्या सरकार का विचार अब भी केवल कुछ व्यक्तियों को ठेके देने का है या विभिन्न रेलवे पर अनेक लोगों को देने का ?

श्री अलगेशन: मैं प्रश्न को पूरी तरह से नहीं समझ पाया । यह लाइसेन्स देने की प्रणाली है । जहां कहीं भी ठेकदार द्वारा अपना ठेका दूसरों को उठाने का पता . . .

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार की सामान्य नीति यह है कि बहुत से लोगों को ठेके दिये जायें या केवल थोड़े से लोगों को ।

श्री अलगेशन: यह थोड़े या अधिक व्यक्तियों को देने का सवाल नहीं है । लाइ-सेन्स पहले ही से दिये जा चुके हैं, उन्हें बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नानादास: क्या सरकार का विचार इन ठेकों का स्थान सहकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं को देने का है ?

श्री अलगेशन: हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है ।

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के लिये सुविधाएं

*६८८. **श्रीमती जयश्री: क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों के लिये हवाई अड्डों पर शिक्षा तथा डाक्टरी सहायता सम्बन्धी सुविधायें देने के बारे में क्या प्रबन्ध है, विशेषकर, जब कि अधिकांश हवाई अड्डे और हवाई स्टेशन कस्बों या शहरों से बहुत दूर स्थित हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिये ह ई अड्डों और हवाई संचार स्टेशनों पर किसी प्रकार की विशेष सुविधायें नहीं दी हैं। परन्तु उन्हों ने बच्चों द्वारा रियायती दरों पर सरकारी परिवहन प्रयोग करने की अनुमति दे दी है जिससे वे पास के शहरों में पढ़ने के लिये आ जा सकें।

बमरौली (इलाहाबाद) हवाई अड्डे के प्रशिक्षण केन्द्र में एक छोटे से अस्पताल की व्यवस्था कर दी गई है। डम डम पर एक हवाई स्वास्थ्य अधिकारी उपलब्ध रहता है जो वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की देखभाल करता है।

सान्ता क्रुज़ और डम डम हवाई अड्डों पर सरकारी औषधालय खोले जा रहे हैं।

श्रीमती जयश्री: क्या यह सच है कि परिवहन उपलब्ध न होने के कारण बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ?

श्री राज बहादुर: हमें ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

बोनम पुल

***६८९. डा० नटवर पांडे :** (क) क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे में झारसुगुडा के समीप बोनम पुल बनाने के लिय कितनी राशि मंजूर की गई है ?

(ख) मंजूर की गई राशि में से अब तक कितनी व्यय की जा चुकी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ४.३० लाख रुपये।

(ख) ३.७५ लाख रुपये।

डा० नटवर पांडे : क्या इस वर्ष वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पहले काम पूरा हो जायेगा ?

श्री अलगेशन: दो महीने के अन्दर काम के समाप्त हो जाने की सम्भावना है।

कोंकण तटीय यातायात

***६९०. श्री एम० डी० जोशी :** (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई स्टीम नेवीगशन कम्पनी के यात्री जहाजों का कुल टन-भार कितना है ?

(ख) जहाजों की संख्या क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के पास यात्री स्टीमरों की इतनी कमी है कि वह कोंकण तट के यात्री यातायात को संभाल नहीं सकती है ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो कोंकण लाइन पर यात्री जहाज़ों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या करने का विचार है ?

(ङ) क्या सरकार ने बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को कोई आर्थिक सहायता दी है जिससे वह अपने टन-भार में वृद्धि कर सके और यदि 'हां' तो कितनी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). दी बम्बई स्टीम नेवीगेशन कम्पनी (१९५३) लिमिटेड के पास सात यात्री जहाज़ हैं जिनका कुल टन-भार ५,०४७ जी० आर० टी० है।

(ग) सरकार को मालूम नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) अब तक कोई नहीं।

श्री एम० डी० जोशी : क्या इस कम्पनी ने कभी सहायता के लिये याचना की है ?

श्री अलगेशन: हमें कोई भी प्राप्त नहीं हुई है।

संतरा गवेषणा संस्था, कुर्ग

*६९१. **श्री एन० सोमना :** (क) क्या खाद्य यथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुर्ग में संतरा गवेषणा केन्द्र खोलने के लिये स्थान के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब से काम करना प्रारम्भ करेगा ?

(ग) केन्द्र का प्रभारी कौन होगा ?

(घ) इस केन्द्र का (१) पूंजीगत तथा (२) आवर्तक व्यय कौन सहन करेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रभारी अधिकारी के चुन लिये जाने के पश्चात् ।

(ग) केन्द्रीय सेवा, श्रेणी १ (ज्येष्ठ) का बागबानी में निपुण अधिकारी ।

(घ) भूमि और इमारत को छोड़ कर समस्त अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् सहन करेगी ।

श्री एन० सोमना : इस संस्था पर कुल कितना व्यय होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : योजना की कार्यान्विति में पांच वर्ष लगेंगे और इस में १,६९,३०० रुपये खर्च होंगे ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस सम्बन्ध में खाद्य प्रोद्योग की (टेकनालोजी) संस्था, मैसूर में कोई गवेषणा की जा रही है, यदि हां, तो इस में कहां तक प्रगति हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री के० जी० देशमुख : चूंकि नागपुर में संतरा बहुत होता है, क्या सरकार इस क्षेत्र में इस प्रकार का केन्द्र स्थापित करने का विचार करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह केन्द्र मध्य प्रदेश की जरूरतों को भी कुछ हद तक पूरी करेगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार को पता है कि चिनाद में, जहां पहले २०,००० एकड़ में संतरे के बगीचे थे, अब कीड़ा लगने और अन्य बीमारियों के कारण, ये बगीचे केवल २,००० एकड़ में रह गये हैं ; और यदि पता है तो इन बगीचों की पुनर्व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे जगह के बारे में तो ठीक ठीक पता नहीं, परन्तु इस विषय में हमारा ध्यान अवश्य दिलाया गया है । राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करती हैं ।

भूमि संरक्षण

*६९३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भूमि का कटाव रोकने और उसका संरक्षण करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एक केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड स्थापित कर दिया गया है । बोर्ड द्वारा राज्यों के परामर्श से भूमि के संरक्षण का और कटाव को रोकने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : इस विषय पर प्रत्येक राज्य ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : बम्बई के किस जिले में बंध बनाने के लिये क्षेत्र छांटा गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मेरा ख्याल है, शोलापुर जिले में बांध बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या बम्बई सरकार ने इसे पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ किया है या उससे पहले आरम्भ किया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मुझे मालूम है, यह काम काफ़ी समय से चल रहा है ।

श्री एन० एम० लिंगम : भूमि-संरक्षण के लिये आम तौर से राज्यों में कृषि-विज्ञान तथा इंजीनियरी सम्बन्धी जो काम किये जाते हैं, क्या उनसे सफलता मिली है, और इस दिशा में शीघ्र प्रगति करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार करती है क्योंकि अब तक जो काम किया गया है वह समस्या की विशालता को देखते हुये बहुत थोड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रश्न के कई भाग हैं और इन सब का उत्तर देना कठिन है। जहां जहां इन प्रणालियों से सफलता मिलती है, वहां हम उनसे बराबर काम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रेलवे कर्मचारी न्यायाधिकरण

*६९४. **श्री मुनिस्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की मांगों की जांच करने वाला न्यायाधिकरण रेलवे फेडरेशन के प्रतिनिधियों से बात चीत कर रहा है ;

(ख) इसने अपने कार्य में कहां तक प्रगति की है ;

(ग) क्या न्यायाधिकरण कोई अंतरिम रिपोर्ट देगा ; तथा

(घ) न्यायाधिकरण अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). न्यायाधिकरण की पहली बैठक ४-१२-५३ को हुई थी जिसमें कार्य करने की प्रणाली निश्चित की गई थी। भारतीय रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय—फेडरेशन मांगों का विवरण देगा और बतायेगा कि उन मांगों का आधार क्या है । इनके प्राप्त होने पर इन्हे रेलवे बोर्ड को भेज दिया जायेगा जो एक निश्चित अवधि के अन्दर अपना उत्तर दे देगा । इसके पश्चात् न्यायाधिकरण की नियमित बैठकें हुआ करेंगी ।

(ग) इसका फैसला करना न्यायाधिकरण के हाथ में है ।

(घ) यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार जानती है कि भारतीय रेलवेज़ के कुछ संघ रेलवे फेडरेशन द्वारा अपनी शिकायतें या अपनी मांगें ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते यदि ऐसा है तो क्या उन्हें न्यायाधिकरण तक अपनी बात पहुंचाने का कोई और साधन उपलब्ध हो सकता है ?

श्री अलगेशन : हमन रेलवे कमचारी फेडरेशन को मान्यता दी है और यह उसका काम है कि वह रेल कर्मचारियों की ओर से केस तैयार करे और उसे पेश करे। वास्तव में, निर्देश-पद निश्चित किये जा चुके हैं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं यह जानना चाहता था कि यदि ये संघ फ़ेडरेशन द्वारा अपनी मांगें आदि नहीं भेज सकते तो क्या वे सीधे ही इन्हे न्यायाधिकरण के समक्ष रख सकते हैं ?

श्री अलगेशन : जी नहीं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या देर लगने का एक कारण यह भी है कि न्यायाधिकरण

के एक सदस्य निष्क्रांति सम्पत्ति के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं ?

श्री अलगेशन : जी नहीं । वास्तव में हम फ़ेडरेशन से पूरा केस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उसे फरवरी के अन्त तक इसे पेश कर देना चाहिये था परन्तु उसने और एक महीने की अवधि मांगी है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या रेलवे फ़ेडरेशन को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे भारतीय रेलवेज़ के समस्त संघों की मांगे और शिकायतें आदि न्यायाधिकरण तक पहुंच जायें ?

श्री अलगेशन : मुझे विश्वास है कि फ़ेडरेशन इन सब बातों का ध्यान रखेगा ।

दिल्ली का विकास

*६९५. **श्री एस० एन० दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगी :

(क) क्या दिल्ली के विकास के लिये एक संविहित निकाय बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की खास खास बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री एस० एन० दास : बिड़ला समिति की सिफारिशों को, जिसने अपनी रिपोर्ट १९५१ में दी थी, कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : समिति ने बयालीस सिफारिशें की थी जिनमें से बहुत सी क्रियान्वित कर दी गई हैं । कुछ खास सिफारिशों को भारत सरकार ने भी क्रियान्वित कर दिया है, जैसे, जो मकान आदि अब बनवाये जायेंगे उनका सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किया जायेगा, जो मकान अब बनवाये जायेंगे उन का किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा, कुछ क्षेत्रों में और ज्यादा इमारतें बनाने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा , आदि, आदि । मकान सम्बन्धी कानूनों में भी संशोधन कर दिया गया है । माननीय सदस्य ने जिस खास सिफ़ारिश का जिक्र किया है, उसका भी दिल्ली राज्य सरकार को तथा भारत सरकार के मंत्रालयों को निर्देश कर दिया गया था । उनके उत्तर प्राप्त हो गये हैं और उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० एन० दास : इन विभिन्न पक्षों एवं मंत्रालयों से अपने सुझाव कब तक दे देने के लिये कहा गया था और इसमें इतनी देर क्यों लगी है ?

राजकुमारी अमृतकौर : दिल्ली राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने में बहुत समय लगा और फिर हमें भारत सरकार के मंत्रालयों से भी परामर्श करना था ।

वन गवेषणा संस्था, देहरादून

*६९६. **श्री दाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि वन गवेषणा संस्था, देहरादून की प्रयोगशाला में नरम लकड़ी को परिरक्षित रखने के लिये 'एस्क्यू' प्रणाली निकाली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक को इस प्रणाली के सम्बन्ध में एकस्वाधिकार दे दिया गया है और वाणिज्यक आधार पर उसका फ़ायदा उठाने दिया गया है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो इसके कारण?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). १९३३ से पहले सरकार की जो नीति थी उसके अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसने कोई नई चीज निकाली हो एकस्व का निजी रूप से फ़ायदा उठाने की अनुमति थी परन्तु उसमें सरकार को यह अधिकार था कि वह भी अपने कार्यों के लिये एकस्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बिना कुछ दिये उसका प्रयोग कर सकती थी। इस नीति के अनुसार, वन गवेषणा संस्था, देहरादून के काष्ठ परिरक्षण विभाग के तत्कालीन प्रभारी, स्वर्गीय डा० एस० कमेसम को 'एस्क्यू' प्रणाली के अनुसार अपने नाम एकस्वाधिकार दे दिया गया था।

अब वह प्रथा खत्म कर दी गई है।

श्री दाभी : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि इन वैज्ञानिकों को एकस्वाधिकार प्रयोग से कितने रुपये का फ़ायदा होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं कह सकता। यह बताना बहुत कठिन है कि इस एकस्व से कितना फ़ायदा होगा।

कारखानों में स्वास्थ्य व्यवस्था के सर्वेक्षण

*६९७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कारखानों में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो सर्वेक्षण १९५१ में आरम्भ किया गया था क्या वह पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि पूरा हो गया है तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सर्वेक्षण पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(घ) क्या कारखानों में स्वास्थ्य-व्यवस्था सम्बन्धी कुछ विदेशी दलों ने सर्वेक्षण कार्य में सहायता की है ;

(ङ) यदि 'हां', तो वे दल कौन से हैं ;

(च) क्या श्रमिकों की स्वास्थ्य व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ पुस्तिकायें अब तक प्रकाशित की गई हैं ; और

(छ) यदि 'हां' तो वे क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) यात्रा के व्यय सहित १२,५०० रु०।

(घ) जी नहीं।

(ङ) शिल्पिक सहायता सम्बन्धी चतुर्थ सूची कार्यक्रम के अधीन सर्वेक्षण में सहायता के लिय अमरीका से कारखानों में स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धी एक दल की सेवायें प्राप्त की गई थीं। इस दल में एक रासायनिक इंजीनियर और एक चिकित्सा विशेषज्ञ थे

(च) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]**

श्री एस० सी० सामन्त : मैंने विवरण में देखा है कि चार पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। क्या मैं लेखकों के नाम जान सकता हूं या कि उन्हे भारत सरकार ने प्रकाशित किया है ?

श्री आबिद अली : जी हां, इन्हें सरकार ने प्रकाशित किया था और यह कार्य भारत सरकार के कारखानों सम्बन्धी मुख्य मंत्रणा-दाता ने किया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस सर्वेक्षण दल ने तम्बाकू और अन्य इस प्रकार के कारखानों का भी सर्वेक्षण किया था ? यदि नहीं किया है, तो क्या सरकार एक नया सर्वेक्षण दल नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री आबिद अली : यह सर्वेक्षण दल अधिकतया खानों में गया मेरे विचार में उसने तम्बाकू के कारखानें नहीं देखे । इस समय उस कार्य को पूरा करने का विचार है जो पहले आरम्भ किया गया था और तत्पश्चात हम इस के और विस्तार करने पर विचार करेंगे ।

मंगलोर और बम्बई के बीच रेलवे लाइन

*६९८. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या यह सच है कि सरकार मंगलौर और बम्बई के बीच तट के साथ साथ रेलवे लाइन बनाने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि 'हां', तो इस के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). बम्बई को मंगलौर के साथ मिलाने के लिये एक दीर्घ-कालीन-परियोजना है । इस समय दिवा से दसगांव तक रेल सम्बन्ध स्थापित करने के लिये इंजीनियरिंग और यातायात सम्बन्ध सर्वेक्षण हो रहा है और निकट भविष्य में दसगांव से मंगलौर तक विमान द्वारा सर्वेक्षण करने का विचार है ।

श्री गिडवानी : यह सर्वेक्षण कब पूरा होगा ?

श्री अलगेशन : कौनसा सर्वेक्षण ?

अध्यक्ष महोदय : विमान द्वारा सर्वेक्षण अथवा दूसरा ?

श्री गिडवानी : दोनों ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि अगला प्रश्न आरम्भ होना चाहिये ।

विश्व स्वास्थ्य संस्था

*७००. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) १९५३ तथा १९५४ में भारत ने विश्व स्वास्थ्य संस्था को कितना अंशदान दिया है ;

(ख) भारत को विश्व स्वास्थ्य संस्था की ओर से कितनी सहयता मिली है ;

(ग) क्या हाल मे इस अंशदान में कमी की गई है, और यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) इस कमी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) १९५३ में २,७३,०५५ अमरीकन डालर और १९५४ में २,७२,५३३ अमरीकन डालर ।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संस्था नें १९५३ में भारत को जो सहायता दी वह अनुमानत: ४७४,९०० अमरीकन डालर थी । विश्व स्वास्थ्य संस्था ने १९५४ में भारत की सहायता के लिये ५३३,०२१ अमरीकन डालर का आय-व्ययक बनाया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० सी० सोधिया : इन अनुदानों का मूल्य रुपयों में क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस राशि को पांच से गुणा करना चाहिये ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां, श्रीमान् ।

श्री के० सी० सोधिया : दी गई सहायता किस प्रकार की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह सहायता क्षयरोग, मलेरिया, उपचार सम्बन्धी कार्यक्रम, पौन रोग, प्रसूता तथा शिशु कल्याण, डी० डी० टी० यंत्र, एंटीनायोटिक उत्पादन यंत्र, प्लेग गवेषणा और वातावरण साफ रखने तथा स्वास्थ्य के प्रशासन के सम्बन्ध में दी गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : १९५३ में विश्व स्वास्थ्य संस्था के कितने विशेषज्ञ यहां थे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस सम्बन्ध में मुझे अलग प्रश्न पूछा जाये ।

विमानों के उतरने के क्षेत्र

***७०१. श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में युद्ध के आपात काल में विमानों के उतरने के लिये कितने क्षेत्र बनाये गये थे ;

(ख) वाणिज्यक प्रयोग के लिये कितने ऐसे क्षेत्रों की मरम्मत की गई और इस पर क्या लागत आई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ९४ ।

(ख) ९ असैनिक विमान उड्डयन विभाग ने ले लिये और उन के विकास पर कुल लागत लगभग २१ लाख रुपये आई ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या विमान उतरने की उक्त क्षेत्रों की श्रेणी बढ़ाकर उन्हें हवाई-अड्डे बना दिया गया है ?

श्री राज बहादुर: हम ने उन्हें लेकर अपने प्रयोग के लिये उनका विकास किया है । यदि "श्रेणी बढ़ा कर हवाई अड्डे बनाने" से माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि क्या बड़े रनवे बनाये गये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी क्षेत्रों में ऐसा नहीं किया गया ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या इन क्षेत्रों को चुनने में रक्षा की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया गया है ?

श्री राज बहादुर : इन क्षेत्रों को लेते समय असैनिक विमान उड्डयन की वर्तमान आवश्यकताओं और इस के विकास को ध्यान में रखा गया है ।

चावल

***७०२. श्री भागवत झा आजाद :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने चालू वर्ष में चावल उत्पादन के अतिरेक की घोषणा की है ;

(ख) इस अतिरेक की अनुमानित राशि क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) आंध्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पेप्सू, कोडगू, और विंध्य प्रदेश राज्यों ने ।

(ख) १२ लाख टन ।

श्री भागवत झा आजाद : कमी वाले राज्यों ने केन्द्र से चावल की लगभग कितनी राशि मांगी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सारे कमी वाले क्षेत्रों की कुल मांग १० लाख टन है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इस वर्ष हमारे पास काफी अतिरिक्त चावल है, क्या सरकार कुछ चावल आयात करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कितना ?

श्री एम० वी० कृष्णप्प : देश में भंडार रखने के लिये आयात किया जायेगा । यह संभवत: ६००० टन होगा । बर्मा से

कितना चावल आयात किया जायेगा । इस के आंकड़ों की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी ।

श्री आर० के० चौधरी : जिन राज्यों ने अतिरिक्त चावल की घोषणा की है क्या उन में से कुछ ने बर्मा का चावल लिया है और इस सम्बन्ध में आसाम ने बर्मा का कितना चावल लिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी नहीं । हम अतिरिक्त चावल वाले राज्यों को बर्मा का चावल नहीं देना चाहते । बर्मा का चावल मुख्यत: कमी वाले राज्यों अर्थात त्रावनकोर-कोचीन, बम्बई और मद्रास के लिये है । यदि किसी राज्य को किसी विशेष प्रयोजन के लिये बर्मा के चावल की आवश्यकता हो तो हम उसे देने के लिये तैयार है ।

श्री आर० के० चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आसाम को, जिसे अतिरिक्त चावल वाला राज्य घोषित नहीं किया गया है बर्मा का चावल दिया गया है ?

डा० रामा राव : अभी उपमंत्री ने कहा है कि बर्मा के साथ अभी चावल का करार पूरा नहीं किया गया परन्तु, आज के समाचार पत्रों में लिखा है कि प्रधान मंत्री और खाद्य मंत्री बर्मा के ९ लाख टन चावल के लिये करार पर हस्ताक्षर कर चुके हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे भी इसका पता समाचार पत्रों से ही लगा है ।

श्री नानादास : अतिरिक्त चावल की गणना किस आधार पर की गई है और अतिरिक्त चावल वाले राज्यों में से प्रत्येक के पास कितना खाद्यान्न रहने दिया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अतिरिक्त की गणना विभिन्न राज्यों के गत अनुभवों और फसल की वर्तमान स्थिति के आधार पर की जाती है । उदाहरण के तौर, आंध्र राज्य के पास प्रतिवर्ष तीन लाख टन अतिरिक्त चावल होता था और इस वर्ष फसल की हालत अत्याधिक अच्छी है । इस लिये उन्होंने गणना करके तीन लाख टन का अतिरेक घोषित किया है । वास्तव में हमें आशा है कि यह और अधिक होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रदर्शन रेल गाड़ियां

***६६३. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर चलने वाली प्रदर्शन रेल गाड़ियां अब तक प्रत्येक राज्य में किन किन स्थानों पर गई हैं ;

(ख) यात्रियों की संख्या कितनी है ;

(ग) प्रवेश-टिकटों के बिकने से कितना आय हुआ है ;

(घ) क्या इन गाड़ियों को ऐसे छोटे स्टेशन पर रोकने की प्रार्थना की गई है जहां पर कि साइडिंग (रेल ठहरने के लिये अलग पटरियां) हों ; तथा

(ङ) यदि 'हां', तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३१-१-१९५४ तक बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन पर चलने वाली प्रदर्शन रेल गाड़ियां क्रमश: ४९ तथा ६४ स्टेशनों पर गई हैं । यह स्टेशन कहां स्थित हैं इस सम्बन्ध में राज्य वार सूचना एक विवरण में दी गई है जो सदन-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]]**

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नये आटोमेटिक टेलीफोन

*६७०. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अमरीका के हाल ही में एकस्व प्राप्त टेलीफोन का उत्तर देने और संदेश लेने वाले आटोमेटिक फोनों के सम्बन्ध में प्रयोग करने का विचार रखती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : यह बात विचाराधीन है।

रेलवे कर्मचारियों के दावों का निबटारा

*६७३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि निवृत्त हुये रेलवे कर्मचारियों के दावों का निबटारा करने में अत्यधिक विलम्ब होने से उन्हें बहुत असुविधा होती है ; तथा

(ख) कितने मामले (१) एक वर्ष से, तथा (२) दो वर्ष से अधिक समय से निबटारे के लिये निलम्बित पड़े हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां। जैसे २१-१२-५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११८८ के उत्तर में बताया गया था, दावों का निबटारा करने में विलम्ब प्रायः इस कारण होता है कि सेवा के प्रमाणीकरण, बकाया देय के निर्धारण, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (जिन मामलों में अपेक्षित हों) प्रस्तुत करने तथा अन्य ऐसी प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करने में देर लग जाती है।

(ख) एक वर्ष से अधिक समय से ७४५९ मामले निलम्बित हैं और इन में से ३४२० दो वर्ष से भी अधिक समय से पड़े हुये हैं।

ढोरों का निर्यात

*६७८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनीपुर में ढोरों की गणना की गई है ;

(ख) यदि हां तो ढोरों तथा हल चलाने वाले ढोरों (बैलों) की संख्या क्या है ; तथा

(ग) १९५३ में मनीपुर से कितने ढोरों का निर्यात किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख)। मनिपुर में अन्तिम पशु-धन गणना १९४५ में की गई है। इस गणना के अनुसार राज्य में दुधारू तथा हल चलाने वाले ढोरों की संख्या यह थी :

दुधारू गौ	१८,०००
दुधारू भैंसें	२,०००
हल चलाने वाले ढोर (बैल)	४३,०००

(ग) १६५।

काश्मीर का डाक तथा तार विभाग

*६८५. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काश्मीर के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को भारत सरकार के अन्य डाक तथा तार कर्मचारियों के समानुरूप माना गया है; तथा

(ख) काश्मीर के डाक तथा तार विभाग में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : काश्मीर राज्य के सारे डाक घरों तथा कुछ तार घरों के कर्मचारी पहले ही भारत सरकार के मुलाजिम थे। राज्य के पहले वाले तार तथा टेलीफोन विभागों के कर्मचारियों को १६-९-५३ से, जब कि यह विभाग भारतीय डाक तथा तार विभाग ने अपने हाथ में लिये हैं, अन्य डाक तथा तार कर्मचारियों के समानुरूप तो माना जायेगा, परन्तु वेतन के मामले में यह व्यवस्था है कि जो कर्मचारी केन्द्रीय सेवा की शर्तों के अधीन रहने की इच्छा प्रकट करेंगे उनके लिये डाक तथा तार विभाग की वेतन श्रेणी लागू होगी और जिनकी यह इच्छा नहीं होगी उनको राज्य की पहले वाली वेतन-श्रेणी में और उन्हीं सेवा की शर्तों के अधीन रहने दिया जायेगा।

(ख) ११०७, जिन में ३७८ कर्मचारी जम्मू तथा काश्मीर सरकार में से, डाक तथा तार विभागों के एकीकरण के फलस्वरूप लिये गये हैं।

माल्दा में हवाई अड्डा

*६९२. **श्री एस० एम० घोष** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल में माल्दा में हवाई अड्डा बनाने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली है ; तथा

(ख) यदि 'हां', तो निर्माण का कार्य कब आरम्भ किये जाने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। मामला विचाराधीन

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

*६९९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में नई नियुक्तियां करते समय छंटनी किये गये कर्मचारियों का ख्याल रखा गया था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां।

श्रम नीति तथा औद्योगिक लागत सम्बन्धी समिति

७०३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेवा योजना तथा औद्योगिक लागत पर श्रम नीति के प्रभाव की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

तार घर

*७०४. **श्री हेमराज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या पंजाब में बंजर तथा इन्दोरा स्थानों पर तार घर खोले जाने की मंजूरी दी जा चुकी है ; तथा

(ख) उन के खोले जाने में हुई देर के कारण ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां।

(ख) भांडारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

भूतपूर्व राज्य डाक तथा तार कर्मचारियों की वेतन श्रेणियां

*७०५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : (क) क्या **संचार** मंत्री भूतपूर्व राज्य डाक

तथा तार कर्मचारियों की वेतन श्रेणियों के विषय में १६ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४७४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व राज्य डाक, टेलीफोन तथा बेतार (वायरलैस) कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९५० से केन्द्रीय वेतन श्रणियां दिये जाने के सम्बन्ध में अब कोई निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी तो प्रचलित आदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भूमि संरक्षण

७०६. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि किन्ही राज्यों में भूमि श्रम के नियंत्रण तथा भूमि संरक्षण का कार्य बहुत ही सीमित पैमाने पर किया जा रहा है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य किया गया है ; तथा

(ग) क्या इस कार्य के सम्बन्ध में कोई आंकड़े एकत्रित किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) और (ग)। उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । (**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०**)

कच्ची खांड

***७०७. पंडित डी० एन० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री राघवय्या :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५४ में कच्ची खांड के आयात की अनुमति देने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) कच्ची खांड़ का अनुमानतः तटीय मूल्य ; तथा

(ग) कच्ची खाड को साफ करने की लागत ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां । कुछ फैक्टरियों को साफ करने के लिये कच्ची खांड आयात करने की अनुमति देने की प्रस्थापना है, परन्तु फैक्टरियों को स्वीकार्य आयात सम्बन्धी शर्तें अभी निश्चित नहीं की गई हैं ।

(ख) कोई १६ रुपये प्रति मन ।

(ग) मेरे अनुमान के अनसार चार साढ़े चार रुपये प्रति मन ।

डाक तथा तार विभाग के महालेखापाल का कार्यालय

***७०८. श्री टी० बी० बिट्ठल राव :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) महा लेखापाल के कार्यालय को लेकर डाक तथा तार विभाग में नियुक्त किये गये अतिरेक कर्मचारियों की संख्या ;

(ख) वह शर्तें जिनके अनुसार उपरोक्त कर्मचारियों को सेवायुक्त किया गया ; तथा

(ग) क्या संघ को दिये गये इन आश्वासनों का कि इस प्रकार नियुक्त किया गया अतिरेक कर्मचारी वर्ग डाक तथा तार विभाग के उन कर्मचारियों की जो कि पहले से ही सेवा में हैं, वरिष्ठता को अब कम नहीं करेंगे, पालन किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १४९ ।

(ख) उनको स्थानान्तरित जैसा समझा गया था ।

(ग) संघ को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

राजस्थान में तारघर की सुविधा

११८. **श्री कर्ण सिंहजी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के कितने तहसील प्रधान कार्यालयों (हेड क्वाटरों) में तार घर नहीं हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर : ९५ ।

विनियोग लेखे

११९. **चौधरी रघुवीर सिंह** : (क) : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **रेलवे** के १९४९-५० के विनियोग लेखों को लेखा परीक्षा के लिये देर से प्रस्तुत करने के क्या कारण थे ?

(ख) इस प्रकार लेखे देर से प्रस्तुत करने के लिये कौन ज़िम्मेदार था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विनियोग लेखों को लेखा परीक्षा के लिये देर से इस कारण प्रस्तुत किया गया था कि युद्ध तथा तत्पश्चात विभाजन के फलस्वरूप लेखा कर्मचारियों के इधर उधर हटाये जाने से लेखों के संकलन में विलम्ब हुआ था । इन लेखों के संकलन में हुये विलम्ब पर लोक लेखा समिति ने चर्चा की जिसका वर्णन इस समिति के पांचवें प्रतिवेदन (१९५२-५३) के अंक एक के चौथे तथा २२वें पृष्ठों पर क्रमशः आठवीं तथा ४१वीं कंडिकाओं में किया गया है । बकाया लेखों का संकलन करने तथा उनको लेखापरीक्षा के लिये प्रस्तुत करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

(ख) उपरोक्त कारणों के दृष्टिगोचर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीकानेर में ओवर ब्रिज (ऊसर के पुल)

१२०. **श्री कर्ण सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जानती है कि बीकानेर नगर में लेवल-क्रासिंगों (रेल मार्ग तथा सड़कों के मेल) पर एक ओवर ब्रिज न होने के कारण जनता को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे स्थानों पर ओवर ब्रिज बनवाने का विचार है और इस मामले में क्या कुछ किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) तथा (ख)। इन लेवल-क्रासिंगों पर ओवर ब्रिज बनाने की कोई प्रस्थापना राज्य सरकार से नहीं आई है जिसको कि चालू नियमों के अन्तर्गत आंशिक रूप से लागत का भार अपने ऊपर लेना है ।

विमान दुर्घटना

१२१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई से दिसम्बर, १९५३, तक की कालावधि म भारतीय विमानों की कितनी बड़ी दुर्घटनायें (१) भारत तथा (२) भारत के बाहर, हुई ;

(ख) कितने लोग मर गये ; तथा

(ग) भाग (क) के उत्तर में बताये जाने वाली संख्या में से (१) यात्री सेवाओं, (२) माल सेवाओं, (३) उड्डयन क्लबों, तथा (४) निजी विमानों की क्रमशः कितनी कितनी संख्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) तक । अपेक्षित जानकारी एक विवरण में दी गई है जो मैं सदन-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

राष्ट्रीय नल-कूप समवाय

१२२. श्री दाभी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५३, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नल-कूप समवाय का दिवाला निकल गया है ; तथा

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां हो तो क्या इस समवाय का दिवाला निकलने से केन्द्रीय सरकार को कुछ नुकसान होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) कुछ नहीं ।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

१२३. श्री तिम्मय्या : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्रम मंत्रालय के अधीन बंगलौर में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र मे कितने कितने प्रशिक्षार्थी हैं ; तथा

(ग) प्रत्येक केन्द्र में अनुसूचित जातियों के कितने प्रशिक्षार्थी हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २ ।

(ख) १९५४ के जनवरी मास के अंत में कोई प्रशिक्षार्थी नहीं था ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

नौकरी दफ्तर

१२४. श्री विभूति मिश्र : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार में नौकरी दफ्तरों में जिन लोगों के नाम लिखे हुये हैं उन्हें काम दिलाने में कौन कौन सी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थायें सहायता देती हैं ; तथा

(ख) बिहार में १९५३ म विभिन्न स्थानीय निकायों में कितने लोगों को नौकरी दफ्तरों द्वारा काम दिलाया गया ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख) । सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

चलते चिकित्सा यूनिट

१२५. श्री राधा रमण : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ में भाग (ग) राज्यों में कितने चलते चिकित्सा यूनिट काम कर रहे थे ;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) वे किस किस राज्य में काम करते रहे ;

(घ) वे जनता को क्या क्या विभिन्न डाक्टरी सहायता तथा चिकित्सा सुविधायें देते हैं ; तथा

(ङ) क्या सरकार को ऐसे चलते चिकित्सा यूनिटों की संख्या बढाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) २१ ।

(ख) लगभग २,३५,००० रुपये

(ग) बिलासपुर और कुर्ग को छोड़ अन्य सारे भाग 'ग' राज्य में ।

(घ) इन चलते औषधालयों द्वारा वह सारी चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाती हैं जो कि बाहर के रोगियों (आउट-डोर पेशेंट्स) को अन्य औषधालयों में दी जाती हैं। महामारियों के फैलने की अवस्था में इस सेवा से रोगियों को झटपट डाक्टरी सहायता पहुंचाने तथा महामारी फैलाव को रोकने के लिये अत्यधिक नियंत्रण के उपाय करने का काम भी लिया जाता है ।

(ङ) जी हां ।

मंत्रियों का स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्मेलन

१२६. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों के बारे में १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ (१) मंत्रियों (२) सचिवों, तथा (३) प्रशासन के प्रधानों के स्तर पर कितने कितने सम्मेलन किये ;

(ख) क्या विनिश्चय किये गये ; तथा

(ग) कौन कौन से विनिश्चय कार्यान्वित किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) से (ग) तक। सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
५ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, ५ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)]

श्री भजहरि महाता को दंड

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि मुझे पुरुलिया के मजिस्ट्रेट ने यह सूचित किया है कि उन्हों ने श्री भजहरि महाता, संसद् सदस्य को बी० एम० पी० ओ० अधिनियम की धारा ९(५) के अन्तर्गत एक वर्ष की सादी कैद की सजा दी है तथा ३०० रुपये का जुर्माना किया है ।

आय-व्ययक पत्रों का वितरण

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं आय व्ययक पत्रों की वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाना चाहता हूं । २७ फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा उन्हें सदन में पढ़े जाने से पूर्व ही आय व्ययक के भाग 'ख' की लगभग पन्द्रह प्रतियां, जिन में करारोपण की प्रस्तावना थी, प्रेस गैलरी में बांट दी गई थीं । कुछ प्रेस प्रतिनिधियों ने तो उन्हें लौटा दिया था किन्तु इस की कुछ प्रतियां संसद भवन से बाहर निकल गई । मैं इस प्रश्न को इसलिये उठा रहा हूं कि इस मामले की जांच की जाय और अपराधी व्यक्ति को दण्ड दिया जाय और भविष्य में इस प्रकार की बात न हो सके ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मैं ने भी इस पर अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी थी । इस प्रश्न पर हम सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा करें जिस से कि हमें सब तथ्य मालूम हो जायें ।

अध्यक्ष महोदय : हमें पहिले माननीय मंत्री की बात सुननी चाहिये । सम्भवतः मैं इस अल्प सूचना प्रश्न को प्रस्तुत करने की अनुमति न दूं ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकेर : मैं सदन को इस विषय के तथ्य बताना चाहता हूं । पूर्व वर्षों की भांति पत्र सूचना विभाग को आयव्ययक प्रस्तुत किये जाने वाले दिन मुहर बन्द थैले मिले जिन में वित्त मंत्री के भाषण के भाग 'क' तथा भाग 'ख' पत्र थे । वित्त मंत्रालय ने ये थैले ४ बजे सायं पत्र समाचार विभाग के एक सहायक को दे दिये थे । उस ने उन्हें संसद् भवन के प्रेस रूम में बड़े सुरक्षित रूप से रखा ।

आयव्ययक पत्रों के वितरण की इस प्रक्रिया का कई वर्षों तक पालन किया गया है । ५ बजे सायंकाल के वितरण प्रभारी अधिकारी ने उस थैले को खोलने के लिये

[डा० केसकर]

कहा जिस में भाषण के भाग 'क' के पत्र रखे थे, किन्तु उस सहायक ने कुछ असावधानी के कारण उस थैले को खोल दिया जिस में भाग 'ख' के पत्र रखे थे। और वितरण कार्य किया जाने लगा। उस समय वहां लगभग १०० संवाददाता इकट्ठे थे जो जल्दी से प्रेस गैलरी में पहुंच कर वित्त मंत्री के भाषण को सुनना चाहते थे। वे उन प्रतियों को जल्दी से ले लेना चाहते थे।

कुछ सैकन्डों में ही यह भूल मालूम हो गई किन्तु उस समय तक संवाददाताओं ने लगभग एक दर्जन प्रतियां ले ली थीं। उन प्रतियों को वापिस लेने के लिये तत्काल ही कार्य किये गये और संवाददाताओं के सहयोग से कुछ मिनटों में ही वे प्रतियां वापिस मिल गईं। उन पत्रों में दी हुई कोई भी बात समय से पूर्व प्रकाशित नहीं की गई और इस सम्बन्ध की कोई बात किसी को मालूम नहीं हुई।

यह घटना एक अचानक भूल के कारण हुई और यह भूल तुरन्त ही मालूम पड़ गई थी। इस कार्य का प्रभारी अधिकारी बहुत वर्षों से आयव्ययक पत्रों का वितरण करता रहा है और वह बड़ा विश्वासपात्र व्यक्ति है। संवाददाताओं की भीड़ के कारण यह गलती हो गई थी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि यह गलती हुई। ऐसी गलती को होने से रोकने के लिये भविष्य में वित्त मंत्रालय से आय व्ययक का भाग 'ख' वित्त मंत्री द्वारा भाषण आरम्भ करने के आधे घंटे बाद लिया जायगा।

रेलवे आयव्ययक

श्री नेवटिया (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खरी—पूर्व) : आयव्ययक के दौरान में माननीय मंत्री का वक्तव्य अविकसित क्षेत्रों के निवासियों के लिये बड़ा उत्साहवर्द्धक था। किन्तु हम जानना चाहते हैं कि इस नीति को कब कार्यान्वित किया जायगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

रेलवे में ९०७ करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगी है। इस पूंजी पर ४ प्रतिशत लाभांश देने के उपरान्त केवल आधे प्रतिशत की बचत होती है। यह छोटी सी राशि विकास कार्यों के लिये सर्वथा अपर्याप्त है। हम अवक्षयण निधि में प्रति वर्ष ३३ करोड़ रुपये देते हैं उस में से प्रति वर्ष ४३ करोड़ रुपये निकाल लेते हैं। इस प्रकार कुछ वर्षों में यह निधि समाप्त हो जायगी। रेलवे मंत्री ने बताया कि हमारे कार्यवहन व्यय १९४८-४९ के कार्यवहन व्यय से अधिक बढ़ गये हैं। उन्हों ने यह भी कहा है कि भविष्य में राजस्व को आसानी से नहीं बढ़ा सकते हैं। अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिये रेलवेज़ को बहुत अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। इस वर्ष विकास कार्यों के लिये उपबन्धित ९५ करोड़ रुपये में से आधी राशि सामान्य वित्त व्यवस्था से लेनी पड़ेगी और यह एक कठिन बात है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वह इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये किराये तथा भाड़े में समायोजन करने का विचार कर रहे हैं। मेरा उन से निवेदन है कि वह इस प्रश्न पर बड़ी सावधानतापूर्वक विचार करें।

चीनी उद्योग की यह शिकायत है कि गन्ने के भाड़े में एक दम वृद्धि कर देने से गन्ना पूरी मात्रा में नहीं मिल सका जिस के फलस्वरूप चीनी उत्पादन में कमी हुई। अन्य उद्योगों ने भी यह कहा है कि किराये तथा भाड़े में परिवर्तन किया जाये। इस प्रश्न पर उत्पादन तथा विक्रय को ध्यान में रख कर विचार किया जाय।

माननीय मंत्री ने कहा है कि यद्यपि मुसाफ़िरों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है फिर भी इस वर्ष बहुत सी नई रेल गाड़ियां चलाई गई हैं। इस वर्ष १९० रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिये खर्च की जाने वाली ३ करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। यात्री किराया आय में लगभग १० करोड़ रुपये की कमी हो रही है। मैं समझता हूं कि यात्रियों को और अधिक सुविधाएं दिये जाने के लिये कार्य किये जाने चाहियें। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि इस राशि में प्रतिवर्ष एक करोड़ की वृद्धि की जाय।

अगले दो वर्षों में वैगन प्राप्त करने के मामले में १५ प्रतिशत वृद्धि होगी। आगामी दो वर्षों में रेलवेज़ में २७,००० वैगन और आ जायेंगे। इन में से २२,००० देश में बनाये जायेंगे और ५,००० विदेशों से मंगाये जायेंगे। बड़ी लाइन पर माल गाड़ी की रफ्तार १९५१-५२ में १०·७ मील प्रति घंटा से घट कर १९५२-५३ में १०·४ मील हो गई। और छोटी लाइन पर उसी अवधि में यह ९.२२ मील प्रति घंटा से घट कर ९.१४ मील प्रति घंटा हो गई।

मेरी अन्तिम बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है। वहां सड़कें नहीं हैं और शारदा नदी पर सड़कों के पुल भी नहीं हैं। पलिया-कलां के रेल पुल को यदि सड़क का पुल भी बना दिया जाय तो इस से वहां बड़ी सुविधा होगी। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस परियोजना के लिये स्वीकृति दें। मैं चाहता हूं कि मैलानी शाहजहांपुर लाइन को फिर से चला दिया जाय।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : रेलवे मंत्री ने पिछले वर्ष के अपने भाषण में यह कहा था कि वह पुनर्वर्गीकरण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे और अगले वर्ष के भाषण में इस पर एक वक्तव्य देंगे। किन्तु बड़े खेद की बात है कि उन्हों ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया।

आंकड़ों से हमें पता लगता है कि रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं। प्रथम उद्देश्य यह था कि प्रशासनिक तथा कार्यवहन सम्बन्धी व्यय में कमी की जाय। किन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि व्यय में १३·६० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुल आय में २·८५ करोड़ की कमी हुई है। माल के डिब्बों को भी स्टेशनों पर अधिक समय तक रोका रखा गया। पूर्वी रेलवे बहुत बेसंभाल हो गई है। पूर्वोत्तर रेलवे, जो उत्तरी भारत के आधे भाग में फैली हुई है, घाटे पर चल रही है और उसे सात करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

स्यालदाह विभाग को पूर्वोत्तर रेलवे से अलग कर देने से एक ओर आसाम और उत्तर बंगाल के बीच तथा आसाम और कलकत्ता के बीच यातायात में बहुत बाधा पड़ी है। दूसरा उद्देश्य कार्यवहन क्षमता को बढ़ाना था। परन्तु मुझे खेद है कि यह भी कम हो गई है। इस का तीसरा उद्देश्य प्रत्येक रेलवे व्यवस्था को एक आत्मनिर्भर क्षेत्र बनाना था और यातायात का प्रवाह बनाये रखना था। किन्तु यह भी पूरा नहीं हुआ।

जो लोग स्थिति जानते हैं उन का कहना है कि रेलवे प्रशासनों के बेसंभाल हो जाने के कारण, महाप्रबन्धकों के लिये अपने कर्मचारियों और श्रमिकों पर नियंत्रण रखना कठिन होता जा रहा है। क्या माननीय मंत्री उन से पूछेंगे कि क्या यह सत्य नहीं है? पदाधिकारियों और उन के अधीनस्थ कर्मचारियों में सम्पर्क घटता जा रहा है। इस त्रुटि को शीघ्र दूर करना चाहिये, नहीं तो इस का बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

मैं माननीय मंत्री का ध्यान बैजवुड समिति की इस सिफ़ारिश की ओर दिलाता हूं कि रेलवे प्रशासन इतने बड़े नहीं होने चाहियें कि वे अप्रबन्धनीय हो जायें। इस तरह उन की कार्यक्षमता कम हो जाती है। मैं माननीय रेलवे मंत्री से अपील करता हूं कि वे एक संसदीय समिति या स्वतंत्र आयोग नियुक्त करें जोकि इस विषय की जांच करे कि पुनर्वर्गीकरण का जो उद्देश्य था वह प्राप्त हो गया है या इस से खर्च बढ़ा है और प्रगति की बजाय अवनति हुई है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस वर्ष का रेलवे बजट पिछले वर्ष के बजट से भी अधिक निराशापूर्ण है। कुल यातायात आय में ५ करोड़ रुपये की कमी हुई है और यह उस समय जबकि औद्योगिक उत्पादन १० प्रतिशत बढ़ गया है, और ७५ नये इंजन और ६००० नये डिब्बे काम में लाये गये हैं। यदि यात्री यातायात कम था, तो माल का परिवहन बढ़ाया जा सकता था। यह आप जानते हैं रेलवे में कोयले का परिवहन पहले ही बहुत अपर्याप्त है।

मंत्री महोदय चितरंजन के बारे में कितनी भी प्रशंसात्मक बातें कहें, किन्तु यदि इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाये, तो यह मालूम होगा कि वह अभी तक ३० प्रतिशत आवश्यक पुर्ज़ों का भी उत्पादन नहीं होता। इस में चित्तरंजन का दोष न हो कर सरकार की कार्य प्रणाली का दोष है। नार्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कम्पनी से हम ने जो ठेका किया है, उस से हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है। चित्तरंजन से प्रशिक्षण के लिये इंग्लैंड भेजे जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों को उचित सुविधायें नहीं मिलतीं। मुझे यह भी मालम हुआ है कि चित्तरंजन के विभिन्न विकास सम्बन्धी निलम्बित लेखों में गड़बड़ी होती है। मेरा सुझाव है कि लागत ढांचे तथा लेखों की जांच करने के लिये एक समिति जिस में गैर-सरकारी सदस्य हों और जिस के अध्यक्ष वर्तमान महालेखा परीक्षक हों, नियुक्त की जाये। मैं चाहता हूं कि 'सुरक्षा' संगठन को, जिस पर कि चितरंजन के कुल स्थापना-व्यय का $^{1}/_{10}$ भाग व्यय हो रहा है, बिलकुल हटा दिया जाये। रजिस्टर्ड श्रमसंघ को जोकि, वास्तविक प्रतिनिधि संगठन है, को अभिज्ञात नहीं किया गया है। इस के चार सचिवों को शिकार बनाया जा चुका है। वैसे तो चितरंजन पर गर्व करना चाहिये, किन्तु वहां जेल जैसी व्यवस्था वाले तरीके और माल मंगाने के मामले में विदेशों पर निर्भर रहना आदि बातें कुछ शोभनीय नहीं हैं।

सरकार ने मूलगांवकर समिति के प्राक्कलन के बारे में क्या किया है, जोकि इस विषय में थे कि हमारे विभिन्न इंजीनियरिंग कारखानों में २५ से ३० प्रतिशत उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है, यद्यपि, हम देश में इंजीनियरिंग की बहुत सी चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, जिन्हें कि हम विदेशों से मंगाते हैं।

मंत्री महोदय मितव्ययता के लिये तो बहुत उत्सुक हैं किन्तु वह इस बात से प्रसन्न हैं कि मार्च १९५३ के अन्त में स्टोर संतुलन ५४·२० करोड़ रुपये था। स्टोर जांच समिति की राय में इस राशि में बहुत काफ़ी कमी की जा सकती थी।

कलकत्ता-बर्दवान लाइन के विद्युतकरण के बारे में हमें यह बताया गया था कि उस पर ६ या ७ वर्षों में २७ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, किन्तु विदेशों से माल नहीं मिल सका। अब हमें यह बताया जाता है कि यह कार्य आरम्भ किया जायेगा किन्तु आय

व्ययक में इस के लिए, निर्धारित ७ करोड़ रुपये में से केवल २० लाख रुपये का ही उपबन्ध किया गया है। विद्युतकरण के मामले में आवश्यकता से अधिक मितव्ययता वाले दृष्टिकोण को मैं नहीं समझ सकता। हमारे देश में केवल २३९ मील लम्बाई में बिजली की गाड़ियां चलती हैं। कुंजरू समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी मुख्य लाइनों का विद्युतकरण किया जाये किन्तु देश के अन्य भागों की बात तो छोड़िये, सब से बड़े औद्योगिक क्षेत्र कलकत्ता का भी विद्युतकरण नहीं किया गया है।

कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति कहने लगे हैं कि मज़दूरों को वेतन तो अधिक मिलता है किन्तु वे काम कम करते हैं। यह बिलकुल झूठ है। किन्तु मैं अब भी कह सकता हूं कि मज़दूरों का उत्साह बहुत कम है और ऐसा क्यों न हो। उन के रहन सहन की व्यवस्था पर दृष्टि डालिये। १९४७ में मित्रा समिति ने कहा था कि इन के लिये ४ लाख क्वार्टर बनाने चाहियें, किन्तु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केवल ८७२२ नये क्वार्टर बनाने का उपबन्ध है।

श्रमिकों के निवास की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें बिना कोई कारण बतलाये एक मास की सूचना दे कर निकाला जा सकता है और उन लोगों के सिर पर जिन में आत्म-सम्मान और संगठन की भावना होती है राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण नियमों की तलवार लटकती रहती है। और अब तो यह आशा भी कि उन के बच्चे रेलवे में नौकरी पा सकेंगे, संविधान की आड़ ले कर मिटा दी गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय रेलवे कर्मचारियों के रहने की स्थितियों में सुधार करने और उन का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करें। जहां तक उन के संघों को अभिज्ञात करने का सम्बन्ध है, उन्हें स्वयं मज़दूरों से पूछना चाहिये कि क्या वे अपने कुछ संघों को जारी रखना चाहते हैं। वे अनुभव करेंगे कि मज़दूर स्वयं अपने एकीकृत संगठन बनाने के लिये तैयार हैं।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : रेलवे आय-व्ययक के संबंध में सदन ने बहुत उदारता दिखलाई है। मैं इस के लिये आभारी हूं। मैं अवश्य विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करूंगा और देखूंगा कि इन्हें कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है।

रेलवेज़ के विकास के बारे में मैं जो कुछ दूसरे सदन में कह चुका हूं, उसे मैं यहां दुहराना आवश्यक नहीं समझता। जिन चार विषयों के बारे में हमें पग उठाने पड़ेंगे वे क्रमशः इस प्रकार हैं :

(१) भारी औद्योगिक तथा कृषि विकास की योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लाइनें बनाने के काम को सब से अधिक प्राथमिकता दी जायेगी।

(२) इस के बाद उन क्षेत्रों में जिन में खनिज संसाधन पाये जाते हैं परन्तु जिन से अभी लाभ नहीं उठाया गया और उन क्षेत्रों में जिन में निर्यात करने के लिये वस्तुएं तैयार होती हैं, लाइनें बनाने के प्रश्न पर ध्यान दिया जायेगा।

(३) फिर अविकसित क्षेत्रों की, जिन में संचार के पर्याप्त साधन नहीं, आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा।

(४) इस के बाद लाइनों के विद्युतकरण की योजनाओं को हाथ में लिया जायेगा।

यदि विकास इस क्रम के अनुसार हो सके, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता कि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं व विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं तथा पूर्णरूपेण विकास सम्बन्धी अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई बात हमारा पथ-प्रदर्शन नहीं करती है । यदि राजनीतिज्ञ भी इस में रुचि दिखाते हैं तो वह इन्हीं में से एक या दो लाइनें हैं । जिस क्षेत्र में नयी रेलें नहीं हैं उसमें चाहें रेलवे लाइन अभी बनाई जाये अथवा कुछ समय बाद इस का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । अतः इस मामले में राजनीतिक दांव-पेंच खेले जाने के भय का कोई भी महत्व नहीं है । यद्यपि प्राथमिकताएं उचित प्रकार से दी जायेंगी और उन का अन्तिम निर्णय यातायात के केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से किया जायेगा जिस के पास भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों ने अभ्यावेदन किये हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में देश के विभिन्न भागों में रेलवे लाइनें बनवाने का निर्देश किया है । माननीय सदस्यों के इन प्रस्तावों को मानने का तात्पर्य होगा लगभग चार हज़ार मील तक नई रेलवे लाइनों का निर्माण करना जिस पर दो सौ करोड़ रुपये व्यय होंगे । आन्ध्र में वालटेयर-मद्रास तथा नेलोर-रायलसीम लाइनों का, मैसूर में चमराजनगर-सत्यमंगलम् लाइन का, मद्रास में ताम्बारम-विल्लुपुरम लाइन का, त्रिपुरा में आसाम-अगरताला लिंक लाइन का, राजस्थान में हिम्मतनगर-उदयपुर लाइन का, बिहार के कोसी क्षेत्र में लाइन को फिर से बनवाने तथा विंध्य प्रदेश में सतना-रीवा लाइन बनान का उल्लेख किया गया है । इन के अतिरिक्त और भी बहुत सी लाइनों के विषय में कहा गया है । मैं यहां उन सभी का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा किन्तु मैं माननीय सदस्यों की उत्कंठा की प्रशंसा अवश्य करूंगा । जैसा कि मैं दूसरे सदन में पहले ही कह चुका हूं कि सदन में तथा जहां कहीं भी इस सम्बन्ध में जो सुझाव रखे गये हैं उन सभी पर विचार किया जायेगा तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार संकलित की गई सूची पर विचार किया जायेगा । मेरा विचार अब से आगामी पांच वर्षों में एक अन्तिम रूप-रेखा तैयार करने का है । यदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो गई तो नई रेलवे लाइनों का निर्माण करना आरम्भ हो जायगा जिस में दोहरी लाइनें भी सम्मिलित हैं और इस पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल लगभग डेढ़-दो हज़ार मील लम्बी लाइनें बनेंगी । मुझे इस के लिये कोई भी शंका नहीं है कि रेलों के विकास के लिये हमें और अधिक राशि खोजनी पड़ेगी । जैसा कि माननीय सदस्यों द्वारा सुझाया गया है कि रेलों के लिये लगभग एक अरब रुपये की आवश्यकता इस कार्य के लिये पड़ेगी । किन्तु हमें अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा । मुझे खेद है कि मेरे साथी वित्त मंत्री यहां नहीं हैं जो इस सदन तथा दूसरे सदन की इच्छाओं से परिचित हैं और वह इस व्यय को पूरा करने की व्यवस्था पर अवश्य ही ध्यान देंगे ।

अविकसित क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य आरम्भ करने के बदले रेलों के विद्युतीकरण के आरम्भ करने के विषय में श्री सारंगधर दास द्वारा कुछ सन्देह इसलिये प्रकट किया गया था कि इस योजना से कोई लाभ नहीं होगा । श्री मुकर्जी ने श्री सारंगधर दास के कथन के ठीक विपरीत कहा है । श्री सारंगधर दास का तात्पर्य कलकत्ता उपनगर सेवा से है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कलकत्ता

उपनगर सेवा को अन्ततोगत्वा मुग़लसराय तक बढ़ा दिया जायेगा और यह योजना एक लाभकारी योजना हो सकती है क्योंकि उपनगर के आवागमन के साधन के अतिरिक्त यह भारी माल ले जाने का काम भी करेगी। मैं समझता हूं कि श्री सारंगधर दास कलकत्ता की विद्यमान स्थिति को भली भांति समझते हैं। बहुत घनी आबादी वाला शहर जहां रहने की समस्या कठिन हो गई है स्वभावतः वहां के निवासियों तथा राज्य सरकार के लिए एक परेशानी का कारण बन जाती है। अतः आवश्यकता से अधिक जनसंख्या को आसपास के उपनगरों में चले जाना चाहिये और यह तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि आवागमन के तीव्रगामी साधन न उपलब्ध हों। इस के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों से कलकत्ता की चौहरी लाइनें भी उच्चतम सीमा तक पहुंच रही हैं और हम को विद्युतीकरण के द्वारा अपनी गाड़ियों की गति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये जिस से इस क्षेत्र की आवागमन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

बम्बई की स्थिति भी बहुत सरल नहीं है। अतः मैं सोचता हूं कि हमें अपनी विद्युतीकरण की योजनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिये तथा जिन स्थानों से हो कर यह लाइनें निकलेंगी उस से नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत लाभ पहुंचेगा। विद्युतीकरण की प्रशंसा विशेषतया अत्यधिक कार्यव्यस्त क्षेत्रों में की जायेगी जिस से न केवल यातायात ही अधिक वरन् इस को चलाने में व्यय भी कम होगा। रेल चलाने में जितना ईंधन लगता है उस की रक्षा में भी यह सहायता करेगा, जिस का उपयोग लाभपूर्ण ढंग से अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में किया जा सकता है। रेलों का विद्युतीकरण जहां यह उचित है, मुझे विश्वास है, लाभदायक सिद्ध होगा तथा विकास संबंधी अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में होगा।

उखाड़ी गई लाइनों को फिर से चलाने के विषय में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ के अतिरिक्त जो पूर्णतया लाभरहित हैं अथवा जहां सड़कें बन गई हैं तथा बसों की अधिकता हो गई है, अन्य सभी लाइनों को फिर से चलायेंगे। रेलवे बोर्ड लगातार स्थिति पर विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप मैं मद्रास की मोरप्पुर-होसुर लाइन को फिर से चलाने का निर्देश करना चाहता हूं जिस के विषय में श्री रामस्वामी ने बहुत कुछ कहा है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस की तात्कालिक अवस्था तथा लाभकारिता रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर ली है।

राज्य सरकार ने भी इस के शीघ्र निर्माण करने की सिफारिश की है। अतः हमें इस पर शीघ्र ही विचार करना तथा इस के विषय में निश्चय करना होगा।

लाभकारिता के विचार से प्रभावित हुए बिना नई बनाई जाने वाली लाइनों के विकास की गति में वृद्धि करने की इच्छा से ही मैं ने बढ़ाए गए मीलों के, जोकि वास्तविक दूरी के डेढ़ गुने अथवा दुगने हों, आधार पर प्रस्तावित लाइन की लाभकारिता की दृष्टि से भाड़ों की बढ़ी हुई दर को लागू करने का अपना विचार प्रकट किया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस नीति को स्थायी रूप से अपनाने अथवा विद्यमान लाइनों में लागू करने का प्रस्ताव नहीं रखा गया था, किन्तु लाभकारिता पर ध्यान न देते हुए नई लाइनों पर कुछ समय तक लागू करन का विचार था जब तक कि वे क्षेत्र जिन में उन का मार्ग है विकसित नहीं हो जाते तथा लाइनें आत्मनिर्भर नहीं हो जातीं।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

लगभग ६० करोड़ रुपयों की अचानक कमी हो जाने से विकास कार्यों को करने में रेलों की क्षमता के सम्बन्ध में कुछ आशंकायें प्रकट की गई हैं, जिस का निर्देश मैं अपने भाषण में प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलवे के अंश के ४०० करोड़ रुपयों की कमी पूरी करने के साथ कर चुका हूं। योजना के प्रथम चार वर्षों में मेरे साथी वित्त मंत्री ने ११·७१ करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करने की अनुमति दे दी है और मुझे इस में सन्देह नहीं कि मैं ने जो वचन पहले दिया है तथा रेलों के विकास के लिये भविष्य में जो भी वचन दिया जायेगा उस को पूरा करने में सभी आवश्यक सहायता देंगे ।

श्री सोमानी यहां नहीं हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में भाड़ों तथा किरायों के समायोजन के लिये मेरे आयव्ययक सम्बन्धी भाषण में जिन का निर्देश किया गया है, बहुत से लोगों ने उसे सही नहीं समझा है। मेरा विचार यह है कि विकास सम्बन्धी अर्थव्यवस्था तथा रेलों की आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में आवश्यक जांच करने के पश्चात् भाड़ों तथा किरायों में यथोचित समायोजन कर लिये जायें । सभी प्रकरणों में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रसंग में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि रेलों की प्रथम श्रेणी का सामान्य भाड़ा प्रति टन लमी १९३८-३९ में ५·८५ पाई से बढ़ कर १९५२-५३ में ११·१ पाई हो गया था, जिस में कार्य-वहन व्यय में २३८ प्रतिशत वृद्धि की तुलना में केवल ९०·१ प्रतिशत वृद्धि अन्तर्ग्रस्त है। अतः इस बात को समझा जाएगा कि पिछले वर्षों में की गई वृद्धियां उचित थीं तथा युद्धोत्तर काल में यात्रियों के आवागमन में वृद्धि के कारण रेलों को बचत हो सकती थी। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ तथा उन को असुविधा उसी समय होती थी, आज ऐसी स्थिति नहीं है ।

मैं अब रेलों के पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा जिस का निर्देश अभी श्री एंथनी तथा श्री चटर्जी ने किया है। आरम्भ में मैं सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि इतने बड़े राष्ट्रीय उपक्रम की कार्यप्रणाली में कुशलता उत्पन्न करना प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, और इस विषय में हमें भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। रेलों की कुशलता पर अत्यधिक ध्यान दिया जायेगा और मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि रेलवे बोर्ड तथा मैं, जहां कही भी कार्य में कोई स्पष्ट रुकावट पड़ गई है, उस कार्य के स्तर में उन्नति करने तथा पहले किये गये कार्य को आगे बढ़ाने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाहियां करूंगा।

जहां तक १९५२-५३ में भारतीय रेलों की बड़ी (ब्राड गेज) तथा छोटी (मीटर गेज) लाइनों के पूर्णरूपेण कार्य करने का सम्बन्ध है, पुनर्वर्गीकृत रेलों की कार्य-प्रणाली की पुस्तिका में पहले ही बता दिया गया है कि छोटी लाइन की लगभग सभी रेलों के सभी कार्यों में सामान्य उन्नति हुई है। बड़ी लाइन के कार्यों के कुछ मदों में निस्सन्देह कुछ रुकावट हुई है जो प्रधानतः पुस्तिका में विस्तार पूर्वक बताये गये वास्तविक टन मीलों में कमी के परिणामस्वरूप हुई है। बड़ी लाइन पर भी बहुत प्रकार की उन्नति हुई है। इन में से कुछ तो प्रति इंजिन दिन के इंजन-मील हैं तथा कुछ प्रति डिब्बा दिन के डिब्बा-मील हैं परन्तु इतने पर भी मैं इस विषय में सन्तोष धारण नहीं कर सकता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अर्थात् भारतीय रेलों के चलने की इंगलिस्तान, फ्रांस तथा जर्मनी की रेलों के अनुपात से,

जिन के मील तुलनात्मक हैं, तुलना करने से पता लगता है कि भारतीय रेलों का कार्य सर्वोत्तम है । भारत में कार्य का अनुपात ८०.८ प्रतिशत, इंगलिस्तान का अनुपात ९० प्रतिशत, फ्रांस का १०३·३ प्रतिशत तथा जर्मनी का अनुपात १००·५ प्रतिशत है । अतः स्थिति से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैं इस से सन्तुष्ट होने का नहीं । मैं रेलवे बोर्ड से पिछले वर्षों की तुलना में रेलों के कार्य के प्रति और अधिक सावधान रहने के लिये कह रहा हूं ।

कार्य भार के विषय में की गई शिकायत की भी जांच करनी है । मैं श्री चटर्जी के विचारों से सहमत हूं कि रेलवे का कार्य भार बढ़ गया है और सम्भवतः कुछ रेलों में तो बहुत काफ़ी बढ़ गया है। अतः मैं पुनर्वर्गीकृत रेलों के कार्य के विभिन्न पहलुओं की जांच का भार कार्य-कुशलता विभाग को सौंपता हूं जिस की स्थापना मैं ने अभी की है । कार्य-कुशलता विभाग इस विषय पर नवीन तथा स्वतंत्र विचार देगा और मैं उन की रिपोर्ट की जिज्ञासापूर्वक प्रतीक्षा करूंगा ।

जहां तक गृह-व्यवस्था का सम्बन्ध है, श्री फ्रैंक एंथनी ने उदारतापूर्वक कहा था कि उन्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

एक माननीय सदस्य : पचास वर्षों तक ।

श्री एल० बी० शास्त्री : उन्हों ने पचास वर्ष नहीं कहा था । उन्हों ने कहा था कि वह पचास वर्ष तक प्रतीक्षा करने के लिये तत्पर हैं क्योंकि ऐसी चीज़ों में समय लगता है किन्तु श्री नम्बियार अथवा उन के किसी साथी ने कहा था कि हमें शताब्दियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हम आशा करते हैं कि १९५४-५५ के अन्त तक ३२०,००० क्वार्टर बनवा लेंगे । इस समय हम अपने कर्मचारियों के लिये ५००,००० से अधिक क्वार्टरों की आवश्यकता नहीं समझते हैं यह संख्या उन कर्मचारियों को निकाल कर है जो क्वार्टर नहीं चाहते हैं और कभी-कभी क्वार्टर नियत हो जाने पर भी उसे लेने से इन्कार कर देते हैं । मैं आशा करता हूं कि यह अन्तर १० या १२ वर्षों में पूरा हो जायेगा । इस समय जिस हिसाब से क्वार्टर बन रहे हैं उस हिसाब से भी आगामी १० या १२ वर्षों में हम १५०,००० क्वार्टर बनवा लेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने स्यालदा में स्थित डिब्बों के बने क्वार्टरों का उल्लेख किया है । ऐसा जान पड़ता है कि उन्हों ने अभी हाल में उस क्षेत्र को नहीं देखा । उन्हें जा कर देखना चाहिये था कि हम ने वहां कितने सुधार किये हैं और कितने नये क्वार्टर बनवाये हैं । मुझे नये बने क्वार्टरों की संख्या याद नहीं है, शायद ४०० के लगभग ह । बहुत से रेल डिब्बों के बने क्वार्टर बेकार पड़े हैं । उन की छतें हटा दी गई हैं जिस से और लोग उन में आ कर न बस सकें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कितने डिब्बों से बने क्वार्टर अभी तक वहां हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : लगभग १००, या इस से कुछ अधिक, मुझे ठीक ज्ञात नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : पिछली बार आप ने ७०० बताए थे ।

श्री एल० बी० शास्त्री : स्थिति बहुत कुछ सुधर चुकी है ।

डिब्बों के निर्माण के विषय में कुछ कठिनाई अवश्य रही है । हम हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड को पर्याप्त संख्या में नीचे के फ्रेम नहीं दे सके थे परन्तु अब हम

[श्री एल० बी० शास्त्री]

उन्हें ब्राड गेज के फ्रेम १५ प्रति मास के हिसाब से दिलवा रहे हैं । इस प्रकार वे अपनी निर्माण-क्षमता का क्रमशः विकास हो जाने पर १८० डिब्बे प्रति वर्ष बना सकेंगे । पेराम्बुर स्थित इन्टेग्रेटिड कोच फैक्टरी १९५१ में बननी शुरू हुई थी । लगभग ३० प्रतिशत काम हो चुका है । यह फैक्टरी १९५५ के मध्य में निर्माण कार्य आरंभ कर देगी और ३०० ब्राडगेज (बड़ी लाइन) के डिब्बे प्रति वर्ष बनाया करेगी ।

श्री जी० डी० सोमानी द्वारा कुछ बातें उठाई गई हैं । उन्हें शिकायत है कि १९४८ में जारी की गई संशोधित दर-प्रणाली के फलस्वरूप भाड़े की दरें बहुत काफी बढ़ गई हैं । किन्तु उन्हें इस बात को भी दृष्टिगोचर रखना होगा कि थोक मूल्यों का देशनांक अत्यधिक बढ़ चुका है और कार्यवहन व्यय में भी वृद्धि हो चुकी है । अतः भाड़ों की वृद्धि पर इसी संदर्भ में विचार करना होगा । उन्हों ने उस स्मृति पत्र की ओर संकेत किय है जो मुझे अभी हाल में भारतीय वाणिज्य मंडल संघ द्वारा प्राप्त हुआ है । यह स्मृति पत्र इस समय हमारे विचाराधीन है । परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रेलवे की सामान्य भाड़ा व्यवस्था के व्यापक पुनरीक्षण का औचित्य प्रतीत नहीं होता । जैसा कि मैं अपने बजट सम्बन्धी भाषण में बता चुका हूं इस विषय पर विचार किया जा रहा है कि यदि हो सके तो देशव्यापी विकासात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ विशेष प्रकरणों में हमारी भाड़ा व्यवस्था में कुछ समायोजन कर दिया जाय । हो सकता है कि हमें इस सम्बन्ध में समुचित उपाय करने पड़ें । परन्तु यह देखना होगा कि इस का रेलवे की सामान्य आय पर दूषित प्रभाव न पड़ने पाये । यह भी हो सकता है कि यदि किसी ओर भाड़े की दर घटाई गई तो किसी अन्य दशा में इन की वृद्धि भी कर दी जाय ।

इसी प्रकार, किरायों के बारे में, मैं शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों के किराए में वृद्धि करना अनुचित नहीं समझता, क्योंकि इन डिब्बों में अत्युत्तम सुविधाओं की व्यवस्था है । मैं इन का किराया बढ़ा देता किन्तु मुझे अपने सहकारी, संचार मंत्री, की प्रतिक्रिया का भय है, क्योंकि उन की सदैव यह इच्छा रहती है कि हमारे उत्तम श्रेणियों के यात्री उन के विमानों द्वारा यात्रा करें ।

श्री नम्बियार : उन लोगों को तो विमानों में यात्रा करते डर लगता है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि ऐसा है तो हम शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों का किराया बढ़ा देंगे । श्री बंसल ने कहा है कि प्रथम श्रेणी के हटा दिये जाने से अधिकारीगण शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों में यात्रा करने लगे हैं, जिस से रेलवे का खर्च बढ़ गया है, परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि उस दशा में उन्हें अतिरिक्त किराया अपनी जेब से देना होता है ।

जब सारा देश द्वितीय श्रेणी में यात्रा करेगा तो कोई कारण नहीं है कि यह लोग उस से ऊंची श्रेणी में यात्रा करें । यदि वे अधिक सुविधायें चाहते हैं तो उन्हें उस के लिये खर्च करना होगा ।

रेलवे संबंधी पुर्ज़ों, इंजनों तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण के विषय में जो उपाय किये जा रहे हैं उन का उल्लेख मैं कर चुका हूं, किन्तु कार्यस्थिति को देखते हुए अभी कुछ समय तक हमें यह चीज़ें बाहर से मंगवानी ही होंगी । हां, यह आयात तभी किया जायगा जब उन वस्तुओं की प्राप्ति यहां नहीं हो सकेगी । इसीलिये इस विषय की जांच करन

के हेतु एक समिति की नियुक्ति का विचार किया गया है । जैसा कि श्री खंडूभाई देसाई ने सुझाव दिया है मैं असरकारी सदस्यों को भी इस समिति में सम्मिलित करना चाहूंगा ।

दूसरी समिति जो रेलवे कारखानों की क्षमता का निरीक्षण करेगी, वह निश्चच ही रेलवे के दो उच्च पदाधिकारियों की एक विभागीय समिति होगी ।

रेल द्वारा भेजे गए माल के खो जाने अथवा नष्ट होने पर रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति के दावों के किये गये भुगतानों के सम्बन्ध में, यद्यपि इस स्थिति में कुछ सुधार हो गया है, किन्तु मैं यह निश्चय रूप से कहता हूं कि जितनी उन्नति हुई है, मैं उस से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हूं । चालू वर्ष में मैं अपने को इस कार्य में विशेष रूप से लगाना चाहता हूं और उन्नति के लिये शीघ्रकारी कार्यवाहियां करना चाहता हूं । मैं निश्चय ही अनुभव करता हूं कि रेलों को इस प्रकार बहुत हानि हो रही है और हमें शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री सारंगधर दास तथा एक दो अन्य सदस्यों ने यह सुझाव रखा है कि भ्रष्टाचार-बिरोधी जांच समिति के निर्देश पदों को बढ़ा दिया जाना चाहिये । मैं उन की बहस की शक्ति को समझता हूं । मैं तत्काल ही इस विषय की जांच करूंगा और इस सम्बन्ध में समिति के सभापति को सूचित कर दूंगा ।

श्री नटेशन ने मद्रास और बम्बई तथा मद्रास और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस गाड़ियों की गति बढ़ाने का निर्देश किया था । गति बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और उन को आवश्यकता वाले स्थानों में पुनः चालू करने, मांग को सुदृढ़ बनाने तथा उन विभागों में जहां गति पर प्रतिबन्ध है सिगनल भेजने के तरीकों में उन्नति करने में रेलवे प्राथमिकता दे रही है । यदि ये सुधार हो गये तो यह विचार किया जाता है कि उच्चतम गति ६५ मील प्रति घंटा तक बढ़ा दी जायेगी और इस प्रकार मद्रास तथा अन्य आवश्यक स्थानों के बीच की यात्रा में काफी कम समय लगा करेगा ।

आसाम के श्री सर्मा ने, जबकि गैरो की पहाड़ियों में कोयले की खानों को किस्म तथा मात्रा सम्बन्धी पर्यवेक्षण उपलब्ध नहीं हैं, गैरो की पहाड़ियों में एक रेलवे लाइन के पर्यवेक्षण का कार्य करने के विषय में प्रश्न किया है । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम गैरो की पहाड़ियों से प्राप्त होने वाले कोयले की किस्म तथा मात्रा के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित मंत्रालयों से पहले से ही सम्पर्क रखते हैं । किन्तु फिर भी हम अपने पर्यवेक्षण आदि कार्य में आगे बढ़ने का विचार रखते हैं, जब तक कि सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा इस की जांच हो रही है, और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आसाम की आवश्यकता वास्तव में उचित तथा आवश्यक है ।

श्री नटेशन ने लिगनाइट (एक प्रकार का कोयला) के प्रयोग से बचतों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख किया है । रेलवे बोर्ड के गवेषणा संचालक को पहले से ही लिगनाइट के तैयार हो जाने पर उस को कोयले के ईंधन के रूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल के लिये आदेश दे दिया गया है । रेलवे को लिगनाइट के उत्पादन से बड़ी आशायें हैं, जो इस समय पूर्णरूपेण मद्रास सरकार के अधीन है ।

श्री विट्ठल राव ने डब्बों तथा विदेशों से आयात किये गये इञ्जनों के अधिक मूल्य का प्रश्न उठाया है और आयात किये गये स्टाक को समय से दिये जाने के सम्बन्ध में

[श्री एल० बी० शास्त्री]

शंकायें प्रकट की हैं। मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहूंगा वरन् केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि माल देने के निश्चित समय का पालन नहीं किया जायेगा क्योंकि फर्मों के प्रतिनिधियों ने माल देने की तिथियों पर पहले ही स्पष्ट रूप से सहमति प्रकट कर दी थी और संविदा में एक विशिष्ट खण्ड दिया हुआ है जिस के अनुसार देर से माल देने पर ठेकेदारों को निश्चित क्षतिधन का भुगतान प्रति माह अथवा माह के उस अंश के लिये जब तक के लिये निश्चित तिथि से माल देने में देरी हुई है, एक डब्बे के मूल्य का एक प्रतिशत के हिसाब से करना पड़ेगा।

जहां तक पहियों के सेट का सम्बन्ध है, १९५४-५५ के लिये २४,००० सेट की व्यवस्था की जा चुकी है जबकि टाटा की वार्षिक उत्पादन क्षमता ९,६०६ है। आवश्यकता तथा देश के उत्पादन के बीच के अन्तर को आयात से ही पूरा किया जा सकता है। ताता से पहले ही वर्ष १३,००० पहियों के सेट से अधिक निर्माण करने के लिये निवेदन किया गया है।

कुछ सदस्यों ने अस्थायी कर्मचारियों के मामले का भी निर्देश किया था। मैं सदन में इस के आंकड़े रखता हूं। १ सितम्बर, १९५१ को अस्थायी कर्मचारियों की संख्या ९८,००० थी जिस में से जनवरी, १९५४ में २९,००० को छोड़ कर ६९,००० की पुष्टि की गई है। उन कर्मचारियों को मिला कर जो सितम्बर, १९५१ से नौकरी में आय थे, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या इस समय लगभग ९७,००० है। दो पदाधिकारियों को—एक को प्रशासकीय विभाग से तथा दूसरे को लेखा विभाग से—अस्थायी स्थानों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के औचित्य की जांच करने के लिये जिस से परिणामों को शीघ्र ही लागू किया जा सके, इस विशेष कार्य पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में रेलवे को एक विशेष अनुदेश हाल ही में जारी किया गया है। पुनर्वर्गीकृत रेलों के कर्मचारियों की ज्येष्ठता के नियम जारी कर दिये गये हैं और ज्यों ही ज्येष्ठता की एकत्रित सूचियां तैयार हो जायेंगी, तो पुष्टिकरण की गति में तीव्रता करना सम्भव हो जायेगा। कारखानों की स्थिति विचित्र है और गैर कारखाने के कर्मचारियों में वही नियम लागू करना सम्भव नहीं होगा।

मैं टी० बी० सेनेटोरियम की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। स्थिति यह है कि रेलों ने पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में रेल कर्मचारियों के लिये ६२ स्थान रिज़र्व कर लिये हैं। अब पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों के लिये जादवपुर के के० बी० रे० टी० बी० अस्पताल में २४ स्थानों की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है और दक्षिण रेलवे कर्मचारियों के लिये तम्बारम में २० स्थानों की व्यवस्था की गई है। विस्तृत रूप रेखा निर्धारित होने पर अन्य रेलों में भी इसी प्रकार की संबंधित इमारतें बना दी जायेंगी। इस के अतिरिक्त कर्मचारी-हित-निधि समिति ने विभिन्न अस्पतालों में ५५ टी० बी० के स्थान रिज़र्व किये हैं। २५० स्थानों की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : क्या इसी वर्ष में करने का विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं समझता हूं कि दो वर्षों के अन्दर यह कार्य पूरा हो सकेगा। इस वर्ष में भी इस कार्य का किया जाना सम्भव हो सकता है किन्तु हो सकता है कि इस में अगला वर्ष भी लग जाये।

श्रीमती सिन्हा ने शिकायत की है कि गंगा की पुल योजना में स्थानीय लोगों की जीविका के हितों पर उलटा प्रभाव पड़ेगा। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद आयोग अब तृतीय श्रणी के कर्मचारियों की भर्ती करेगा। वास्तव में योजना में ऐसे कर्मचारियों की सीमित संख्या में आवश्यकता होगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा काम के लिये लगाये गए अस्थायी मज़दूरों की भर्ती स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी। उन्हों ने रेलवे आयोगों में प्रत्येक राज्य से सदस्य लेने का सुझाव रक्खा है। मैं निवेदन करूंगा कि यह सोचना ठीक नहीं होगा कि ऐसे प्रतिनिधि की अनुपस्थिति का परिणाम यह होगा कि उस राज्य के निवासियों के दावों की उपेक्षा की जा रही है। आयोगों से विशेष प्रदेशों के लोगों पर समुचित विचार करने के लिये कहा गया है। और माननीय सदस्या का भय इस प्रकार आधार रहित हो जाता है।

श्री राधारमण ने प्रथम श्रेणी के पदों के १४५ रिक्त स्थानों का निर्देश किया है जिन की पूर्ति द्वितीय श्रेणी के लोगों की पदोन्नति के द्वारा नहीं की गई। १ अप्रैल १९५३ तक भरे जाने वाले रिक्त स्थानों में पदोन्नति की वास्तविक संख्या ५९ है जिन में से २७ की पदोन्नति के लिये पहले से ही आदेश दिया जा चुका है और शेष ३२ में से ८ का प्रश्न रेलवे के परामर्श से रेलवे बोर्ड के पास विचाराधीन है और २४ का प्रश्न संघ लोक सेवा-आयोग के पास है जिन में से २ के सम्बन्ध में अभी स्वीकृति प्राप्त हुई है।

मैं ने द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की शिकायतों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और लोकहित की दृष्टि से नियमों को उन के पक्ष में उच्चतम सीमा तक परिवर्तन करने की सहमति दे दी है।

श्री काचिरोयर ने पूछा था कि हम स्लीपरों का आयात क्यों करते हैं और भारत के वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी के स्लीपरों का प्रयोग क्यों नहीं करते। वास्तव में इस समय रेलें इस सामग्री की पूर्ति में अत्यधिक कमी का अनुभव कर रही हैं और हम उच्चतम मूल्यों में जहां कहीं से लकड़ी के स्लीपर पाते हैं क्रय कर लेते हैं, ये ही बचतपूर्ण मूल्य हैं जिन पर स्लीपर खरीदे जा सकते हैं। वास्तव में सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को सूचित करने का प्रयत्न किया गया है। मैं ने स्वयं सभी मुख्य मंत्रियों को, लकड़ी के स्लीपरों की पूर्ति में रेलों की सहायता करने के लिये पत्र भेजे हैं और यह आशा की जाती है कि उन में से कुछ रेलों को की जाने वाली पूर्ति में वृद्धि करने से सहमत होंगे।

श्री निजलिंगप्पा ने भद्रावती आइरन एण्ड स्टील वर्क्स के पास पड़े हुए १७ हजार लोहे के स्लीपरों का निर्देश किया है जिन को दक्षिण रेलवे ने नहीं लिया है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि फ़र्म को स्लीपरों के लिए एक दर बताई गई है, जो देश में दी जाने वाली दरों में से सब से अधिक है। दक्षिण रेलवे को इन स्लीपरों के ले लेने के लिए निदेश दे दिया है यदि स्टील वर्क्स इस दर पर देने के लिये तैयार हों।

डा० राम सुभग सिंह ने बताया है कि पानी के रोक देने से शाहाबाद ज़िले की सकरिया रेलवे लाइन को बहुत क्षति पहुंची है। मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा, किन्तु मैं स्वयं यह सामान्य निदेश जारी करने का विचार कर रहा हूं कि वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व रेलवे इंजिनियरों को वहां जा कर देखना चाहिये कि रेलों की मेहराबदार नालियों अथवा पुलों से पानी कहां पर रुकता है और इसे ठीक करने की उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

[श्री एल० बी० शास्त्री]

डा० कृष्णस्वामी ने कहा था कि पूर्वोत्तर रेलवे पर सामरिक कार्य अत्यधिक रहता है मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर रेलवे पर कोई भी सामरिक महत्व की लाइनें नहीं हैं। यह सत्य है पूर्वोत्तर रेलवे पर हुई हानि कुछ हद तक बढ़े हुए मीलों के आधार पर आरोपित प्रभार को हटा देने के कारण हुई है, जो मैदान के कुछ भागों में १९५२-५३ से लागू है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे का आसाम विभाग बनने के समय से ही सदैव घाटे में चला है।

इस सम्बन्ध में डा० कृष्णस्वामी ने भी कहा था कि पुनर्वर्गीकरण का विचार यह था कि प्रत्येक पुनर्वर्गीकृत रेलवे को अपना व्यय उठाना चाहिये क्योंकि यह स्वर्गीय श्री एन० गोपालास्वामी आयंगर का मूल उद्देश्य था। मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्री एन० गोपालास्वामी आयंगर के भाषण के पैराग्राफ ७ की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो उन्होंने १९५१-५२ का आयव्ययक प्रस्तुत करते समय दिया था जिस से यह स्पष्ट होगा कि पुनर्वर्गीकरण का उद्देश्य योजना बनाना तथा प्रशासकीय व्यवस्था में एकता की नीति को व्यवहार में लाना कारखानों तथा कार्य सम्बन्धी सुविधाओं का अभिनवीकरण करना तथा कार्य को शीघ्र ही निबटाने के लिये कार्य के दोहराव को समाप्त कर ऊपरी व्यय तथा समीप की रेलों के बीच अनावश्यक पत्रव्यवहार में कमी करना था। माननीय सदस्य को पहले से ही विदित है कि यह विचार नहीं था कि प्रत्येक क्षेत्र अपनी वित्तीय व्यवस्था भी करेगा। परिणामतः पुनर्वर्गीकरण पर सभी छः क्षेत्रों को एक ही प्रणाली में रखा गया था।

माननीय सदस्य ने एक और बात अवक्षयण रक्षित निधि में अंशदान देने के सम्बन्ध में उठाई है। यह पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं है कि उन की इच्छा यह थी कि यह अंशदान ११५ करोड़ रुपये होना चाहिये था उन का तात्पर्य यह था कि रेलों को वर्तमान दर के अतिरिक्त पुनर्व्यवस्था तथा विकास के कार्यक्रमों पर प्रति वर्ष ११५ करोड़ रुपये व्यय करना चाहिये।

संविधान सभा की अभिसमय समिति ने अवक्षयण रक्षित निधि के लिए यह अंशदान १५ करोड़ रुपये निर्धारित किया था, किन्तु बाद में इसे ३० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया गया था। मुझे विश्वास है कि नई अभिसमय समिति जो इस प्रयोजन के लिए स्थापित की जायेगी, अंशदान की दर पर विचार करेगी। फिर भी मैं कहूंगा कि १९५४–५५ के अन्त में निधि में ९८·१६ करोड़ रुपये होंगे। इस राशि को बिल्कुल अपर्याप्त तो नहीं कहा जा सकता। यदि अंशदान की दर बढ़ा भी दी जाये तो शेष राशि से लगभग १० वर्ष का व्यय पूरा किया जा सकेगा।

कुमारी एनी मस्करीन ने रेलवे के कार्य संचालन तथा उस के परिणामों की बहुत निन्दा की है। उन्होंने यह कहा है कि १९५० के पश्चात् यद्यपि कुछ वर्षों में सबसे अधिक आय हुई है किन्तु कुल आय की तुलना में सामान्य राजस्व में दिया गया अंशदान लगभग एक सा ही रहा है। मैं यह बतलाना चाहूंगा कि सामान्य राजस्व का रेलवे को कुल आय से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु यह १९४९ के नये अभिसमय के अनुसार लगाई हुई पूंजी पर ४ प्रतिशत को नियत दर से सामान्य राजस्व में लाभांश के रूप में दिया जाता है। किन्तु प्रतिवर्ष लगाई हुई पूंजी की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है, उसके अनुसार सामान्य राजस्व को अधिकाधिक भुगतान भी किया जाता है। मुझे आशा है कि अब वे इस बात से सहमत हो गई होंगी कि

यह इस विभाग की अकार्यकुशलता का प्रमाण नहीं है।

उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि क्विलोन अरनाकुलम लिंक के सम्बन्ध में १९५४–५५ में, छः वर्ष की अवधि में केवल ३६ मील लाइन बनाने का आश्वासन दिया गया है। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि निर्माण कार्य १९४९ में नहीं, बल्कि १९५२–५३ में आरम्भ किया गया था। बीच की अवधि में केवल एक परिमाप समाप्त किया गया था। फिर उन्होंने कहा कि गांधीधाम-डीसा रेलवे लिंक बहुत थोड़े समय में बना ली गई थी, किन्तु क्विलोन-अरनाकुलम लाइन के निर्माण में विलम्ब हो रहा है। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि गांधीधाम-डीसा रेलवे लिंक का काम जनवरी १९५० में शुरू किया गया था और लाइन पर यातायात अक्तूबर १९५२ में, अर्थात ३४ मास बाद शुरू किया गया था।

श्री फ्रेंक एंथनी ने कहा है कि रेलव श्रमिकों की उत्पादनक्षमता में कमी हो गई है और १९३८–३९ के आंकड़ों की तुलना में, १९४८–४९ में यह ६९ प्रतिशत रह गई है। किन्तु मुझे उन्हें और सदन को यह बतलाने में हर्ष है। कि उसी आधार पर १९५२–५३ में यह ८३ प्रतिशत तक बढ़ गई है। १९४८–४९ में उत्पादन क्षमता सबसे कम थी किन्तु उसके बाद इसमें धीरे धीरे सुधार होता रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि रेलवे कर्मचारियों में उत्साह कम है और इसका कारण उन्होंने पुनवर्गीकरण बतलाया है। मैं मानता हूं कि रेलवे कर्मचारियों को शिकायतें हैं और इन पर ध्यान देना चाहिए। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उनकी जिन शिकायतों की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है, उन्हें दूर किया गया है। स्थानीय अधिकारियों को छुट्टी तथा पास देने के कार्य का विकेन्द्रीकरण करने के लिए पग उठाये गये हैं। सदन को मैं पहले बतला चुका हूं कि कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूचियां तैयार की जा रही हैं और उन के स्थायीकरण के काम में शीघ्रता लाई जा रही है।

चितरंजन के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। इस सदन के केवल एक सदस्य श्री मुकर्जी ने इस की आलोचना की है। और उन्हें उसके उत्पादन के विरुद्ध नहीं बल्कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था के विरुद्ध शिकायत है। मैं उन से कहूंगा कि वे सुरक्षा व्यवस्था की इतनी चिन्ता न करें। हमें केवल अधिक उत्पादन पर जोर देना चाहिए और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि चितरंजन में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगले चार या पांच वर्षों में हम अपने लक्ष्य से भी अधिक—१५० या इससे भी अधिक—इंजन तैयार कर सकेंगे।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा भाषण शान्तिपूर्वक सुना है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जनता के और स्वयं भारतीय रेलवेज़ के हित में रेलवेज़ की कार्यक्षमता को इसके स्तरों को और भी बढ़ाने का प्रयत्न करना मेरा कर्तव्य रहेगा।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर तृतीय रिपोर्ट

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सदन २ मार्च १९५४ को सदन को प्रस्तुत की गई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर समिति की तृतीय रिपोर्ट से सहमत है।"

इसके पश्चात् प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

राफल परिशिक्षण को बढ़ावा देनें के सम्बन्ध में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री रामचन्द्र रेड्डी द्वारा १८ दिसम्बर, १९५३ को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अग्रेतर विचार करेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : मैं पिछली बार इस पर अधिक नहीं बोल सका था । इस संकल्प का उद्देश्य बहुत सीधा है । यह भारत के युवकों में निशानेबाजी को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और सुझाव भी हैं जैसे कि राष्ट्रीय राइफल संघ को आर्थिक सहायता देना या प्रोत्साहित करना, सहायक प्रादेशिक सेना के प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करना, स्वीकृत क्लबों द्वारा मंगाये जाने विशेष विशेष शस्त्रों पर आयात के प्रतिबन्धों को ढीला करना और शुल्क को घटाना और तदनुसार १८७८ के भारतीय शस्त्र अधिनियम के उपबन्धों में ढील देना ।

राष्ट्रीय राइफल संघ ने जो कि लगभग १९५१ में आरम्भ हुई थी युवकों में राइफल प्रशिक्षण के लिए उत्साह पैदा कर के बहुत अच्छा कार्य किया है । इस संघ ने अपने इन प्रशंसनीय उद्देश्यों के साथ राज्यों में भी अपने कार्य को बढ़ाया है । मुझे यह बताया गया है कि लगभग छः राज्य इस संघ को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं । इस संघ के कार्य-कलाप को बढ़ाने में राइफलों तथा विस्फोटक पदार्थों पर लगा हुआ अधिक आयात शुल्क बाधक हो रहा है, क्योंकि यह इतना पैसा लगाने में असमर्थ है । मुझे बताया गया है कि उन पर ६२ प्रतिशत तक आयात शुल्क लिया जाता है । उन्हें इनके मंगाने पर जो लागत पड़ती है और सरकार को उनके आयात करने पर जो लागत पड़ती है उसमें लगभग १०० से ११० प्रतिशत तक का अन्तर है । लोगों और इस प्रकार की संस्थाओं को राइफलों तथा गोला बारूद का अधिकतर प्रयोग करने में प्रोत्साहन देने के लिए आयातों में इस भेदभाव को दूर करना होगा । यह कहा जा सकता है कि राइफल शूटिंग एक खेल है और इस लिए यह एक विलास की वस्तु है । अब हमें इस विलास की वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक आवश्यक चीज हो गई है । निजी क्षेत्र तथा सेना दोनों को ही देश की रक्षा का कार्य सौंपना चाहिए । १८७८ के भारतीय शस्त्र अधिनियम में जितने भी संशोधन हुए मैं उन से शस्त्र अधिनियम का क्षेत्र और संकुचित हो गया है । अतः इस समय एक ऐसी समिति नियुक्त की जानी चाहिए, जो कि शस्त्र अधिनियम के उपबन्धों में ढील देने या इसे समाप्त ही कर देने के विषय पर विचार करे । मुझे आशा है कि सरकार इन नियमों में ढील देगी या यदि सम्भव हो, तो इस अधिनियम को ही समाप्त कर देगी । प्रत्येक व्यक्ति के लिए राइफल को पकड़ने और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करने का प्रशिक्षण आवश्यक है । राइफल संघों को सरकार को चांदमारी के लिए उचित स्थान की सुविधा देनी चाहिए और सरकार को इन पर नियन्त्रण भी रखना चाहिए । इन पर उचित नियन्त्रण रखने के लिए प्रत्येक राज्य या जिले के अधिकारियों को इन संघों के विकास का कार्य सौंपना चाहिए । इस प्रकार के संगठनों के विकास में सबसे बड़ी बाधा धन की है । अतः यदि सरकार इन्हें थोड़ी बहुत धन की सहायता देकर संगठित करे तो मेरे विचार में सार्वजनिक दान इत्यादि से भी इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकता है । यदि आवश्यकता पड़े तो यथासमय इन राइफल क्लबों या राष्ट्रीय राइफल संघ को एक संविहित निकाय बनाया जा सकता है, जिसके कार्यों पर सरकार का नियन्त्रण रहे । इस लिए मैं इस संकल्प को स्वीकृत करने की सिफा-

रिश करता हूं । यह संकल्प दल भावनाओं पर आधारित नहीं हैं । मुझे आशा है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी और इस को क्रियान्वित करेगी ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया गया ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "This House is of opinion that with a view to inculcate discipline, marksmanship, initiative and leadership in the youth of India, Government should immediately provide all facilities to rifle training institutions in India."

> ["इस सदन का यह विचार है कि भारत के नवयुवकों में अनुशासन, निशाने-बाज़ी, अगुआई तथा नेतृत्व की भावना पैदा करने के लिये सरकार भारत की राइफल प्रशिक्षण संस्थाओं को सभी उचित तथा व्यवहारिक सुविधायें देने की तत्काल व्यवस्था करे ।"]

इसके पश्चात् श्री एस० एन० दास, श्री डी० सी० शर्मा तथा श्री राधा रमण ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है । मैं बिना किसी भूमिका के प्रस्ताव जो हमारे सामने हैं उस के सब से आख़िरी क्लाज़ 'डी' को लेता हूं । उस क्लाज़ में कहा गया है कि इंडियन आर्म्स ऐक्ट आफ़ १८७८ में सुधार किया जाय ।

यह बात सर्वविदित है कि सन् १८५७ के गदर के बाद से अंग्रेज़ों की सदा यह कोशिश रही कि इस देश के लोगों के हाथ से हथियार छीन लिये जायें और इसी बात को अपने दिमाग में रख कर उन्हों ने यह ऐक्ट बनाया था और उस के कारण कानून में इतनी अधिक सख़्तियां की गयीं कि लोगों को आज आर्म्स के मिलने में बहुत असुविधा हो रही है । आज के दिन इस बात की बहुत आवश्यकता है कि इस आर्म्स ऐक्ट में सुधार किया जाय ताकि इस देश के नागरिक कम से कम अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने को तैयार और समर्थ कर सकें और ऐसे रक्षक दल तैयार कर सकें यह क़ानून इतना लिबरल हो जाय कि लोगों को आर्म्स अपनी रक्षा के लिये आसानी से मिल सकें । इस सम्बन्ध में मैं आप को बतलाऊं कि आर्म्स के लिये लाइसेंस मिलने में विधान सभा, संसद् और कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बर्स को भी मुश्किल पड़ती है । पांच महीने हो गये मैं ने एक पिस्तौल के लिये ऐप्लाई किया हुआ है, लेकिन आज तक पिस्तौल का लाइसेंस मुझे प्राप्त नहीं हुआ है । हमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स के लिये लाइसेंस प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं है और यह कार्यवाही तो सिर्फ़ एक फ़ार्मल चीज़ है, लेकिन वाक्या यह है कि आप का आर्म्स ऐक्ट ऐसा ख़राब है जिस के फलस्वरूप आज लाइसेंस मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही है और इसलिये रेड्डी साहब के प्रस्ताव का जो डी क्लाज़ है यह बहुत आवश्यक है और इस ऐक्ट में सुधार किया जाना चाहिये ।

इस के बाद रेड्डी साहब के प्रस्ताव का जो 'सी' क्लाज़ है उस में दिया हुआ है : "relaxing import restrictions and minimising the duty for specialised weapons required by recognised clubs." इस के पहिले कि मैं इस की व्याख्या करूं मैं

[श्री भागवत झा आज़ाद]

आप को बतला देना चाहता हूं कि क्लब हमारे जीवन के लिये इतने आवश्यक हैं कि अभी अभी सरकार ने यह टेरीटोरियल आक्ज़लरी फ़ोर्स की स्थापना की है जिस के द्वारा सरकार चाहती है कि हर जगह लोगों को सात दिन की ट्रेनिंग दी जाय और इस सात दिन की ट्रेनिंग में इच्छुक नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाय और इस सात दिन की ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के बाद वह जो सरकारी दल सिखाने वाला है वह चला जायगा और अगर वह ट्रेनिंग देने का काम लोकल राइफल क्लब जारी नहीं रखेंगे तो लोग सात दिन के बाद फिर उसी अवस्था में पहुंच जायेंगे जहां वह पहले थे। यह राइफल क्लब बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और यह टेरीटोरियल फ़ोर्स के उस काम को जीता जागता रखेंगे। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि आक्ज़लरी टेरीटोरियल फ़ोर्स की ऐफ़र्ट्स का लोकल राइफ़ल क्लब्स के साथ कोआर्डिनेशन हो। इस सिलसिले में मैं आप को बताऊं कि नेशनल राइफ़ल असोसियेशन के मातहत जो क्लब्स मध्यप्रदेश, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं वह वही काम कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। इस नेशनल राइफल असोसियेशन आफ़ इंडिया के सभापति हमारे इस सदन के अध्यक्ष श्री मावलंकर हैं और श्री के० जी० प्रभू अहमदाबाद के उसके सेक्रेटरी हैं जो इस काम को पिछले सोलह सत्रह साल से बड़ी खूबी के साथ चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस असोसियेशन को भरपूर सहायता व सहयोग दे और उस को ज़रूरी आर्म्स सप्लाई करे और इस के लिए यह जो मौजूदा आर्म्स ऐक्ट है इस को लिबरेलाइज़ किया जाय। इस के अलावा इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ढीले करने चाहियें और बाहर से जो हथियार आते हैं उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाय।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

अभी हाल में यहां पर एक प्रतियोगिता हुई थी और उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जापान के लोग भारत में आये थे और जब वह जापान के सात चुने हुए आदमी हिन्दुस्तान में आये और हम उन का स्वागत करने के लिये ऐयरोड्रोम पर पहुंचे तो उन के आर्म्स जो वह अपने साथ में लाये थे वहीं रोक लिये गये, हालांकि इंटरनेशनल ला के मुताबिक अगर कोई सज्जन ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आर्म्स लाते हैं तो उन को वह हथियार लाने दिये जाते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के इस क़ानून के अनुसार जब वह जापानी दल यहां आया तो ऐयरोड्रोम पर ही उन के हथियार रोक लिये गये, इस १८७८ के क़ानून की यह ख़राबी है। जब हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किया तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से शाम को उन को उन के हथियार वापिस मिल पाये यह इस ऐक्ट का नमूना है। इस ऐक्ट की खूबी का दूसरा नमूना यह है कि मुझे पिस्तौल का लाइसेंस आज पांच महीने हो गये अभी तक नहीं मिला और यह इस ऐक्ट की बलिहारी है कि जो जापानी दल यहां की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये आया, उन के हथियार रोक लिये गये। इस के अलावा मैं आप को बतलाऊं कि इस ऐक्ट की खूबी देखिये कि अगर हमारा एम० पी० राइफल क्लब पांच सौ रुपये के क़रीब के आर्म्स मंगाना चाहता है जिस पर अंदाजा है कि दो सौ रुपये की ड्यूटी बैठ जायगी।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि सरकार को नेशनल राइफल एसोसियेशन आफ़ इंडिया को मदद देनी चाहिये और उन को आर्म्स आदि के सप्लाई की सहूलियतें प्रदान करनी चाहियें। इन शब्दों के

साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे दातार साहब इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : सदन के समक्ष जो संकल्प प्रस्तुत है मैं उस का समर्थन करता हूं । हम यह जानते हैं कि हमारे देश के प्रति पाकिस्तान की भावना कैसी है । अभी कुछ दिन पूर्व मैं चुनाव के सम्बन्ध में पेप्सू गया था । वहां मुझे एक पर्चा दिखाया गया था । जिस में किसी पाकिस्तानी ने एक कविता लिखी थी । इस में हमारे प्रधान मंत्री के नाम यह सन्देश था कि अब भारतवासियों को सावधान होकर रहना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से अस्त्र शस्त्र मिल गये हैं और अब भारत पर आक्रमण किया जायगा । मैं ने उस समय इस का उत्तर दिया कि हम पाकिस्तान का सब प्रकार से मुकाबला करने के लिये तैयार हैं ।

किन्तु मैं ने उस पर विचार किया कि क्या वास्तव में हम उस का मुकाबिला करने के लिये तय्यार हैं । यदि पाकिस्तान अमेरिका की सहायता से भारत पर आक्रमण करे तो क्या सरकार देश के युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देगी जिस से कि हम उस का मुकाबला कर सकें । पाकिस्तान से केवल सेना को ही युद्ध नहीं करना पड़ेगा अपितु उस आपात काल में गैर सैनिकों को उस के लिये तय्यार रहना पड़ेगा । हमारी सीमा बहुत बड़ी है और सभी जगह सेना नहीं लड़ सकती । पाकिस्तान काश्मीर तथा अन्य समस्याओं को अमेरिका से प्राप्त होने वाले शस्त्रों की सहायता से सुलझाना चाहता है । यह ठीक है कि हम अपने रक्षा सम्बन्धी आय-व्ययक में वृद्धि नहीं करना चाहते । हमें विदेशों से शस्त्र नहीं मिलेंगे । फिर हम अपने आप को कैसे सुसज्जित करें ?

सभापति महोदय : आप अपने भाषण को दो-तीन मिनिटों में समाप्त कर दीजिये ।

सरदार हुक्म सिंह : हमें इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कि हम इस मामले में क्या कर रहे हैं । पाकिस्तान जब से बना है तभी से वह अपने नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण दे रहा है । किन्तु हम ने अपने नागरिकों को अस्त्रशस्त्रों का प्रशिक्षण देने के लिये कुछ भी नहीं किया । इस के विपरीत सीमा पर रहने वाले लोगों से हथियार यह कह कर छीन लिये गये हैं कि वे आपस में लड़ते हैं । चाहे वहां ऐसा होता हो किन्तु वे हथियार चलाना तो जानते हैं । यदि पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करे और यदि हमारे नवयुवकों में अनुशासन न हो तो वे घबड़ा जायेंगे और वे सेना के मार्ग में बाधक भी होंगे ।

इसलिये देश के नवयुवकों को हथियार चलाने, विशेषकर राइफल चलाने, का प्रशिक्षण देना आवश्यक है । यहां यह कहा गया था कि एटम बम्ब के सामने राइफल क्या कर सकेगी । किन्तु अन्ततोगत्वा तो सब काम राइफल से ही निकलते हैं । आधुनिक समय में भी राइफल का प्रयोग बहुत आवश्यक है । इसलिये, जिस समय में से हम गुजर रहे हैं इसे तथा जिस आपातकाल की हमें आशंका है उसे ध्यान में रखते हुए देश के नवयुवकों को राइफल का प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है । देश की रक्षा की दृष्टि से भी गैर सैनिकों को इस का प्रशिक्षण देना आवश्यक है ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं इस संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं । अंग्रेजों ने अपने शासन काल में भारतीयों को अस्त्रशस्त्रों के प्रशिक्षण से वंचित रखा । आज कल की स्थिति बड़ी विचित्र है । पाकिस्तान हम पर हमला कर सकता है । इसलिये हमें देश में सैनिक शिक्षा देनी चाहिये । अंग्रेजी काल में राइफल क्लबें नहीं खोली जा सकती थीं । किन्तु जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्य मंत्री था तब मैं ने राइफल क्लबें खोलने की अनुमति

[डा० एन० बी० खरे]

दी थी। सरकार को शस्त्र अधिनियम को अधिक उदार बना देना चाहिये और इसे इंग्लैण्ड के अधिनियम के समान कर देना चाहिये। पाकिस्तान में सभी स्वस्थ शरीर वाले व्यक्तियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हमारी सीमा में घुस कर हमारे गांव पर हमला करते हैं। हम केवल विरोध प्रकट करते रहते हैं। ये राइफल क्लबें सभी जगह खोल देनी चाहियें और देश के लोगों को हथियार देने चाहियें और उन्हें सैनिक शिक्षा देनी चाहिये। हमें मुक्के का जवाब मुक्के से देना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला कैसे करेंगे। इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस का विरोध नहीं करेगी।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इस का परिणाम भयंकर हो सकता है। मैं यह चाहता हूं कि हमारी सेना बड़ी शक्तिशाली हो और सभी रण सामग्री से सुसज्जित हो। सेना को तो युद्ध में लड़ना पड़ता है। किन्तु गैर सैनिकों को शान्त तथा सुसंस्कृत रहना चाहिये। यदि गैर सैनिक भी युद्धप्रिय हो जायेंगे तो युद्ध होने में देर नहीं लगेगी। युद्ध की बात तो युद्धकला विशेषज्ञों पर ही छोड़ देनी चाहिये। इस संकल्प का समर्थन करने वाले सदस्यों के भाषण से युद्ध की भावना का आभास मिलता है। युद्ध का परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। यह एक बहुत बुरी राजनैतिक बीमारी है। हम जानते हैं कि जर्मनी और इटली का क्या हाल हुआ। अमेरिका की सहायता से पाकिस्तान भी उसी मार्ग का अनुसरण कर रहा है।

इस संकल्प में अनुशासन, निशानेबाज़ी, अगुआई तथा नेतृत्व जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिटलर और मुसोलिनी की पुस्तकों में भी इसी प्रकार के शब्द मिलते हैं। यदि इस संकल्प का व्यापक अर्थ लिया जाय तो देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भावना फैल जायगी जो कि घृणा तथा साम्प्रदायिकता पर आधारित है। इस संकल्प के कारण लोगों में युद्ध की भावना का संचार होने लगेगा। हमारा देश शान्ति स्थापना का इच्छुक है। हम अनुशासन चाहते हैं किन्तु हम युद्ध के वातावरण से दूर रहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि श्री रेड्डी अपने संकल्प को वापिस ले लें।

कुछ दिनों से हम यह अनुभव कर रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय का रुख हम लोगों के प्रति कुछ कड़ा है। इस का मुख्य कारण यह है कि वह राइफल असोसियेशन के प्रधान हैं। अनुशासन का होना आवश्यक है किन्तु अनुशासन की भावना शिक्षा संस्थाओं द्वारा भरी जा सकती है। गत युद्ध में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्नातकों ने सैनिक अधिकारियों के रूप में युद्ध में बड़े अच्छे कार्य किये। ऐसा वे अपनी शिक्षा संस्थाओं द्वारा किये गये चरित्र निर्माण तथा उच्च नैतिक स्तर के कारण कर सके। दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा संस्थायें इस प्रकार का चरित्र निर्माण नहीं करतीं। अतः हमें अपनी शिक्षा संस्थाओं में सुधार करना चाहिये फिर हम सब बातों का मुकाबला कर सकेंगे। अर्द्ध प्रशिक्षित व्यक्ति संकट काल में अधिक सहायक नहीं हो सकते। हम अपनी सेना पर अधिक व्यय कर सकते हैं।

श्री राधा रमण : सभापति जी, मैं जो प्रस्ताव अभी हमारे आनरेबिल मैम्बर रेड्डी साहब ने इस सदन के सामने रखा है उसका समर्थन करने केलिये खड़ाहुआ हूं। कुछ भाइयों ने यहां इस प्रस्ताव के समर्थन में या विरोध में ऐसी बातें कह दी हैं कि जो इस प्रस्ताव को रखते समय या समर्थन करते समय मेरे सामने नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में चूंकि बड़ी तैयारी हो रही है, इसलिये

हमें भी अपने मुल्क के अन्दर तैयारी करनी चाहिये और उसके लिये यह एक साधन, यानी राइफल ट्रेनिंग, अपने सामने रख सकते हैं। कुछ ने यह कहा है कि हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने नौजवानों को आरमी के लिये तैयार करें, अपने लोगों को फौज के लिये तैयार करें, और इसके लिये हमें उन को राइफल ट्रेनिंग देनी चाहिये। मेरा नज़रिया या नुक्ते निगाह इस से बिल्कुल अलग है। मैं यह समझता हूं कि हमारे देश की जो नीति है, उस नीति के आधार पर हमें पाकिस्तान में जो हो रहा है वह नहीं करना है, न हमें इस चीज़ को उठाना है कि अगर आज हमारे पड़ोस में वार हिस्टीरिया हैं तो हम अपने मुल्क में भी उस हिस्टीरिया को लायें। हमारे सामने तो एक सीधा सादा सवाल है और वह यह कि हमें अपने नौजवानों को ऐसी तरफ़ ले जाना चाहिये कि जिससे खेल कूद के ज़रिए ही उन का शारीरिक व्यायाम हो जाय और इस तरह की ट्रेनिंग उन को दी जाय कि जिससे उन के अन्दर डिसिप्लिन और अनुशासन में रहने का ढंग आ जाय। मैं कभी मार्क्समैन नहीं रहा, न मैंने कभी राइफल चलाई है और न समझता हूं कि कभी इस को चलाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

जो बात हमें महात्मा जी ने सिखाई है, मैं समझता हूं कि अगर उसके अनुसार नान-वायलैंस आफ दी स्ट्रांग हमारे अन्दर मौजूद है तो वह स्पिरिट वह काम कर सकती है जो राइफल नहीं कर सकती। आज दुनिया में जब एटम बम्ब और हाइड्रोजन बम्ब की बातें हो रही हैं, तो वहां यह कहना कि आधुनिक लड़ाई में यह राइफल काम आवेगी, यह बिल्कुल ग़लत बात है। हमें यह चाहिये कि हमारे नौजवान खाली वक्त में ऐसी ऐसी चीज़ सीखें कि जिससे उनको निशानेबाजी आये, जिससे उनके अन्दर डिसिप्लिन पैदा हो, अनुशासन का तरीक़ा वह सीखें और उनके अन्दर एक क़िस्म की हिम्मत पैदा हो और डर और भय उनके अन्दर से निकल जाय, उन को डर और भय से नजात पाने का मौक़ा मिले। यह चीज़ हम चाहते हैं। मैंने अपने तजुर्बे से यह देखा है कि जिन भाइयों या बहनों को राइफल ट्रेनिंग की शिक्षा दी गयी उनके अन्दर यह चीजें आईं।

मैं आपको यह बताने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता कि दिल्ली में जब राइफल ट्रेनिंग का काम शुरू किया तो क्या हालत थी। आप को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि जब यह काम शुरू हुआ तो यहां २५ हजार लाइसैन्स होल्डर्स थे। मैंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि इनमें से कितनों को राइफल पकड़ना आता है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उनमें से लगभग दस या बारह हजार ऐसे आदमी थे जिनको राइफल पकड़ना आता था और उनमें से भी बहुत से चलाना नहीं जानते थे। दस बारह हज़ार आदमी ऐसे थे जिनके पास राइफलें केवल रखी थीं। वह महीने या दो महीने में उनको निकाल कर उन पर पालिश करके और ग्रीज लगा कर वापस रख देते थे और उन के घर में वह राइफलें एक तरह की नुमायशी चीज़ की तरह रखी हुई थीं। हमारे मुल्क के अन्दर हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबाल खेलते हैं और तीर कमान चलाने का भी बहुत पुराने वक्त से तरीक़ा चला आता है। उससे फ़ायदा यह होता है कि हम अपने नौजवानों को निडर और अनुशासन में अच्छी तरह रहने का ढंग सिखा देते हैं, वह अनुशासन को अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम को अपने मुल्क में आज इसी तरह के काम सिखाने की ज़रूरत है। मैं आप को बताऊं कि जबसे हमने दिल्ली

[श्री राधा रमण]

में राइफल ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है तब से उन २५ हजार नौजवानों में से कई सौ नौजवान ऐसे निकल आये हैं कि जिन्होंने अपनी राइफलों को निकाला है और उनको जंग लगने से बचाया है और उन्होंने निशानेबाजी भी सीखी है। यह कहना ठीक न होगा कि ऐसा करने से हमारे देश में ऐसे नौजवान पैदा हो गये हैं, जैसे खर्डेकर भाई ने कहा, कि वह लड़ाई के लिये तैयार हो रहे हैं या राइफल चलाना सीख गये हैं इसलिये वह किसी को मारेंगे। लेकिन उन में यह एहसास पैदा हो गया कि हमारे पास एक चीज़ है, जिसका इस्तेमाल हम ने सीखा और जिससे मुल्क को फायदा पहुंचा। लेकिन यह मुल्क के फायदे की बात इस में लाना गौण चीज़ है। निशानेबाजी एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं समझता हूं कि जिस वक्त आपको दूसरा काम करने को न हो या जिस को आप अपने दूसरे काम को करते हुए साथ साथ करें, तो आप अपने देश के लिये बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे आप अपने अन्दर ऐसे गुण पैदा कर सकते हैं, जैसे कि इस रिज़ोल्यूशन के अन्दर बतलाई गयी हैं।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़——पूर्व व जिला बलिया-पश्चिम) : निर्लक्ष्य निशाना।

श्री राधा रमण : लक्ष्य को कायम करना या लक्ष्य को हासिल करना भी मार्क्समैनशिप या राइफल ट्रेनिंग से बहुत अच्छी तरह सीखा जा सकता है। जीवन भी एक लक्ष्य है कि जिसके अन्दर पूरी तरह ठीक उतरना हर एक इंसान के लिये बहुत ज़रूरी है। इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि राइफल ट्रेनिंग देनी चाहिये। इस रिजोल्यूशन का मंशा भी यही है, यही इसके अन्दर मुख्य बात है कि राइफल ट्रेनिंग की शिक्षा दी जाय। इसमें मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट से सहायता मिलती है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ़ से भी सहायता दी जाती है और एजूकेशन मिनिस्ट्री की तरफ़ से भी सहायता मिलती है।

इस रिज़ोल्यूशन का मक़सद यही है कि हम अपने नौजवानों का ध्यान इस ओर खींचें जिनको अपने सिर पर भविष्य में बड़े बड़े उत्तरदायित्व लेने हैं। उन नौजवानों को इस काम में रुचि दिलाई जाय और उनको ऐसे कामों में लगाया जाय जिससे कि उनकी हिम्मत बढ़े और वह देश के लिये ज़्यादा फ़ायदेमन्द साबित हो सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि जो क़ानून इस वक्त तक बना हुआ है उस को लिबरैलाइज़ करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस तरफ़ तवज्जह देनी चाहिये कि वह नौजवानों की रुचि इस तरफ़ पैदा करे जिससे कि वह मुल्क के लिये फायदेमन्द साबित हो सकें। अगर इस तरह से उनको शिक्षा दी जायगी तो कल को वह बहुत काम कर सकते हैं। अगर फौज में भरती करने के लिये ज़रूरत हो तो जो यह नौजवान राइफल ट्रेनिंग सीखे हुए होंगे वह बहुत काफी तादाद में मिल सकेंगे और वह शानदार साबित होंगे।

इसलिये मैं इस रिज़ोल्यूशन की पुरजोर ताईद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ़ ध्यान देगी और इस काम के लिए पूरी सुविधाएं देगी। कानून के लिबरैलाइजेशन द्वारा इस तरह के निशानेबाज़ी की तरक्की होगी और आरगेनाइजेशन को काफी इमदाद मिलेगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि इस संकल्प का समर्थन करूं अथवा न करूं..... इस संकल्प का आशय राष्ट्र को सैनिकी-

करण तथा युद्ध मार्ग की ओर ले जाना नहीं है वरन् युवकों में अनुशासनशील तथा सहयोग की मनोभावनाओं की उत्पत्ति करना है। अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इस नीति के अवलम्बन से हमारे युवकों का चरित्र निर्माण होगा। संसार में सैन्यबल से ही काम नहीं चल सकता, नैतिक बल भी अत्यावश्यक होता है। फिनलैंड ने इसी के सहारे रूस के आक्रमण को रोका था और इसी के अभाव के कारण फ्रांस को जर्मनी के सामने घुटने टेकने पड़ गए थे। यह नैतिक पुनर्गठन हमें गांधीजी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए करना होगा।

हमारे राष्ट्र की महानता हमारे चरित्र पर निर्भर है, सैनिक सज्जा पर नहीं। हमारी महानता आत्म विश्वास, दृढ़ निश्चय तथा दृढ़ संकल्प पर निर्भर है। हमें चरित्र-निर्माण पर यथेष्ट बल देना चाहिए। हथियारों को अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करना संकट का कारण हो सकता है। हम देख रहे हैं कि मिस्र और मध्यपूर्व के अन्य देशों में क्या हो रहा है। हथियारों का खुला प्रयोग न केवल देश की आन्तरिक व्यवस्था के लिए हानिपूर्ण होगा वरन् इससे हमारे अन्य देशों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध भी बिगड़ सकते हैं। मैं इस संकल्प का न तो समर्थन करता हूं और न विरोध ही, बल्कि इसे सदन के सुविवेक पर छोड़ता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, इस संकल्प के बारे में मेरा एक संशोधन है तथा मुझे आशा है कि इस संकल्प के माननीय प्रस्तावक इसे स्वीकार करेंगे। हमें मालूम है कि योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भारत की युवक संस्थाओं को संगठित किया जाना चाहिए और उनकी शाखाएं भारत भर म खोली जानी चाहियें। उन्हें खेल-कूद तथा ट्रेनिंग की सभी सुविधाए दी जानी चाहियें और सामान तथा उपकरण उपलब्ध किया जाना चाहिये। कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि यदि यह युवक बन्दूकें चलाना सीखेंगे तो कांग्रेस का अहिंसा का सिद्धान्त खत्म हो जायेगा। ऐसी बात नहीं है, हमें मालूम है कि हमारे अध्यक्ष महोदय जो कि एक गांधी भक्त हैं, राष्ट्रीय राइफल संस्था के अध्यक्ष हैं, यह ठीक है कि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, किन्तु वह यह भी नहीं चाहते थे कि हम कायर बनें। वह कायरता के सर्वथा विरुद्ध थे, १९४२ के आन्दोलन में हमें इस बात का पूरा ज्ञान हुआ है।

तो हमें बन्दूक के नाम से घबराना नहीं चाहिये, हमें अपने युवकों को बन्दूक की ट्रेनिंग देनी चाहिये, आत्म-रक्षा के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, हम दूसरों पर आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, ऐसी दशा में मेरा विश्वास है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

डा० काटजू : हमने बहुत से सुन्दर भाषण सुने तथा उन्हें सुन कर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। मेरे विचार से इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता है कि इस संकल्प की तह में जो भाव काम कर रहा है, वह बहुत सुन्दर है तथा प्रस्तावकों के सामने जो उद्देश्य है, वह एक उचित उद्देश्य है।

मैं इस बात को पसन्द नहीं करता कि इस संकल्प का हाल की घटनाओं से कोई लगाव समझा जाय। ऐसा दृष्टिकोण उचित नहीं होगा। भगवान् न करे, यदि ऐसा हुआ तो हमें भावी खतरों का या उन खतरों का सामना करना होगा जो हमारे सामने एक बड़े पैमाने पर आ सकते हैं और उसके लिए हम सभी समुचित तैयारी करेंगे।

[डा० काटजू]

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, स्वयं भारत सरकार ने राइफल क्लबों को प्रोत्साहित करने में हाथ बटाया है। सरकार ने इस क्षेत्र में अभी तक जो कुछ किया है उसे सुनने में सदन को रुचि होगी। उसे इसमें भी रुचि होगी कि जो कुछ मैं कहने वाला हूं, उसकी तुलना उन बातों से करे जो इस संकल्प के प्रस्तावकों ने संकल्प के चार खण्डों में विशेष रूप से वर्णन की हैं।

सन् १९५१ में भारत सरकार ने राइफ़िल क्लबों की स्थापना करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करते हुए राइफ़िल क्लबों को प्रत्येक सम्भव तरीक़े से सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को लिखा था। यह जनवरी में हुआ था। उन्होंने विशेषतः तीन सुझाव दिये थे। आरक्षी शस्त्रागारों में शस्त्रों तथा गोला बारूद के रखने के लिए राइफ़िल क्लबों द्वारा अपेक्षित संग्रह की सुविधाओं का देना, प्रशिक्षित आरक्षी कर्मचारियों की सेवाओं का शिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध करना तथा शस्त्रों और गोलाबारूद की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देना। मेरा सादर निवेदन है कि इसमें क्रियात्मक रूप से वे सभी बातें आ जाती हैं जो इस संकल्प के प्रस्तावकों के सामने हैं।

अगले वर्ष अर्थात् १९५२ में सरकार ने राइफ़िल क्लबों को अपेक्षित शस्त्रों तथा गोला बारूद के प्रत्यक्ष आयात की सुविधायें देने का फैसला किया। यह इसलिए किया गया ताकि राइफ़िल क्लबें मध्यम व्यापारी को बीच में डाले बिना अपनी आवश्यकताओं को खरीद सकें तथा शस्त्रों और गोला बारूद को उचित दामों पर प्राप्त कर सकें। यह सुझाव दिया गया था कि राइफ़िल क्लबों द्वारा इस प्रकार से आयात किये गये शस्त्रों तथा गोला बारूद पर बहिः शुल्क न लिया जाय। अनुज्ञप्ति शुल्क से छूट के प्रश्न को भी उठाया गया था। इन प्रश्नों की जांच पड़ताल की गई थी तथा १९५२ में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ऐसी प्रत्यक्ष रियायतों का देना न तो व्यावहारिक है और न ही इसे अच्छी नीति समझा जा सकता है। फिर भी राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि जब कभी सम्भव हो, विभिन्न संस्थाओं तथा राइफ़िल क्लबों को विभिन्न तरीक़ों से वित्तीय सहायता दी जाय। एक तरीक़ा जिसका सुझाव दिया गया था, यह था कि अनुज्ञप्ति शुल्कों की भरपाई कर दी जाय।

कुछ समय बाद हमें नैशनल राइफ़िल एसोसियेशन से इस अभिप्राय की प्रस्थापना प्राप्त हुई कि आर्डनेन्स डिपुओं से गोला बारूद के रियायती दामों पर खरीद करने की अनुमति दी जाय तथा यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है।

मैं मामले की वर्तमान स्थिति को फिर दोहराता हूं। हम उन्हें संग्रह के लिए गोदाम आदि की सुविधायें देने को तैयार हैं। वित्तीय सहायता दी जा सकती है तथा दी जा रही है। शस्त्रों का बाहर से बिना मध्यम व्यक्तियों के आयात किया जा सकता है। राज्य सरकारों को यथासम्भव वित्तीय सहायता देने का परामर्श दिया गया है तथा इसमें शस्त्रों के अनुज्ञप्ति शुल्क की भरपाई भी शामिल है। इसके अतिरिक्त गोला बारूद को आर्डनेन्स फ़ैक्टरियों से रियायती दरों पर प्राप्त किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि प्रोत्साहन के उपायों की यह काफ़ी विश्वास दिलाने वाली सूची हैं तथा इनमें किसी विशेष ढील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वस्तु स्थिति में जहां तक गृह-कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम नैशनल राइफ़िल एसोसियेशन तथा उन राइफ़िल क्लबों की, जो हम से

किसी तरीक़े से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक सम्भव तरीके से समस्त सम्भव सहायता करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं।

संकल्प में एक और खण्ड है। मेरा निर्देश खण्ड (ख) से है—जिसमें कहा गया है :

> "सारे वर्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने के अभिप्राय से सहायक प्रादेशिक सेना तथा मान्यता प्राप्त स्थानीय राइफ़िल क्लबों के प्रयत्नों में एकसूत्रता लाना।"

सम्भवतः इस खण्ड को संकल्प में किसी आशंका अथवा विद्यमान प्रथाओं को पूरी तरह न समझने के कारण रखा गया है। सहायक प्रादेशिक सेना के शिविरों को देश के विभिन्न भागों में खोला गया है तथा कुल मिला कर कोई ३६ शिविर हैं। वे प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तथा मैंने देखा है कि ३६ में से केवल ३ शिविर नागरिक क्षेत्रों के निकट लगाये गये हैं। इन शिविरों में राइफ़िलों तथा शस्त्रों का प्रत्येक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, परन्तु वे कुछ सीमित प्रकार के हैं तथा मेरा निवेदन है कि इन शिविरों में दिये गये प्रशिक्षण तथा राइफ़िल क्लबों में दिये गये प्रशिक्षण में एकसूत्रता लाने से कोई लाभ नहीं होगा। अतएव ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। परन्तु ये शिविर कहीं भी स्थापित किये जायें, राइफ़िल क्लबों के किसी सदस्य या सदस्यों को वहां पर दिये जा रहे प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मेरा सादर निवेदन है कि वास्तव में इस मामले में भारत सरकार द्वारा अभी तक अनुसरण की जा रही नीति तथा उस नीति में जिसका वर्णन संकल्प में किया गया है, कोई अन्तर नहीं है। वस्तुतः भारत सरकार राइफ़िल प्रशिक्षण की उपयोगिता के सम्बन्ध में पूर्णतः जागरूक है। अहिंसा की नीति के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था। वास्तव में इस मामले से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है तथा मैं समझता हूं कि यदि आज महात्माजी जीवित होते तथा हमारी सहायता के लिये यहां उपस्थित होते, तो वह हमारे द्वारा अनुसरित नीति पर कोई आपत्ति न करते। मेरे विचार से यह वांछनीय है कि प्रत्येक युवक राइफ़िल चलाना सीखे। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इन राइफ़िल क्लबों से एक बहुत लाभकारी प्रयोजन पूरा हुआ है। जब मैं बंगाल में था तो मैं स्वयं कई ऐसी क्लबों में गया था। वहां पर प्रशिक्षण पा रहे सुयोग्य युवकों को देख कर सचमुच बहुत प्रसन्नता होती थी। इन क्लबों में केवल युवक ही नहीं होते थे बल्कि मैं प्रत्येक राइफ़िल क्लब में कुछ युवतियों को भी देखता था तथा वे युवक तथा युवतियां बहुत अच्छे निशानेबाज़ थे। वे इसमें निपुण जान पड़ते थे।

अनुशासन के बारे में भी कुछ कहा गया था। मेरे विचार से यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इन राइफ़िल क्लबों में हमारे युवकों में अनुशासन की भावना अवश्य ही पैदा होती है। विभिन्न शहरों में जिनमें.....

श्री अलगू राय शास्त्री : लखनऊ भी शामिल है।

डा० काटजू :.....कलकत्ता भी शामिल है तथा लखनऊ भी जिससे मैं परिचित हूं, विभिन्न प्रकार के उपद्रव हुए हैं। मुझे विश्वास है कि जनगणना करने से आप को पता चलेगा कि यदि राइफ़िल क्लबों के किन्हीं सदस्यों ने इन उपद्रवों में भाग लिया भी है तो उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। कलकत्ता या लखनऊ में भीड़ मनोवत्ति चलती ह।

[डा० काटजू]

इसका सम्बन्ध केवल भीड़ से है। परन्तु आप वहां पर जिस क्षण राष्ट्रीय छात्र-सेना या राइफ़िल क्लब की स्थापना करते हैं, केवल इसी तथ्य से कि किसी युवक को राइ-फ़िल चलानी आती है, वह आत्म-नियंत्रण में थोड़ा बहुत विशेषज्ञ हो जाता है जिससे वह उन सब उपद्रवी बातों में भाग नहीं लेता है जिनके बारे में हम कभी कभी समाचार पत्रों में पढ़ते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भाषण देने के बाद में सदन से संकल्प तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत विभिन्न संशोधनों को वापस लेने के लिए कह सकता था, क्योंकि भारत सरकार पहले ही उस नीति पर चल रही है जिसका समर्थन इस संकल्प में किया गया है। परन्तु यह लाभकारी हो सकता है तथा तैयार किये गये इस लम्बे चौड़े संकल्प के स्थान पर जो गहरे व्यौरे में जाता है, मुझे अपने माननीय मित्र श्री एस० सी० सामन्त के संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। नीति का, अर्थात् उस नीति का जिसका समर्थन श्री एस० सी० सामन्त के संशोधन में किया गया है, सामान्य निरूपण जो सदन को अपील करता है, हमारे पथ-प्रदर्शन के लिए अधिक उपयोगी रहेगा। यह संशोधन इस प्रकार से है :

> "This House is of opinion that with a view to inculcate discipline, marksmanship initiative and leadership in the youth of India, Government should immediately provide all proper and practicable facilities to rifle training institutions in India."

["इस सदन का यह मत है कि भारत के नवयुवकों में अनुशासन, निशानेबाज़ी, अगुआई तथा नेतृत्व की भावना पैदा करने के लिये सरकार भारत की राइफिल प्रशिक्षण संस्थाओं को सभी उचित तथा व्यवहारिक सुविधायें देने की तत्काल व्यवस्था करे।"]

इस वैकल्पिक संकल्प से हमें सामान्य नीति मिल जाती है जिसका अनुमोदन यह सदन कर सकता है। मैं एक बार फिर यह जतला देना चाहता हूं कि हम इस नीति को हर प्रकार से तथा सदैव अग्रसर करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करेंगे।

मेरी सदन से एक बार फिर यह प्रार्थना है कि वह इस संकल्प या इस चर्चा का सम्बन्ध किसी प्रकार की युद्ध जैसी तैयारियों से न जोड़े। इससे दूसरों को धोखा हो सकता है और हमारा उद्देश्य भी यह नहीं है। चाहे देश में पूरी शान्ति तथा संतोष भी क्यों न हो और चाहे हमारे सारे संसार के व्यक्तियों या देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भी क्यों न हों, मैं फिर भी राइफ़िल के प्रशिक्षण तथा इन राइ-फ़िल क्लबों के पक्ष में हूं। उस अवस्था में भी भारतीय युवकों के उचित विकास के लिए ये राइफ़िल क्लबें आवश्यक हैं।

सदन का अधिक समय न लेते हुए मैं अपने माननीय मित्र श्री एस० सी० सामन्त के संशोधन को उस भाग के साथ जो उन्होंने इसमें जोड़ा है, स्वीकार करता हूं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : चूंकि माननीय गृह-कार्य मंत्री श्री एस० सी० सामन्त के संशोधन को, जो अधिक व्यापक है, स्वीकार करने को तैयार हैं, अतः मैं अपने संकल्प को वापस लेना चाहता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उस संशोधन को स्वीकार करता हूं। मैं अपने संकल्प पर आग्रह नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एस० सी० सामन्त के संशोधन को सदन के मतदान

के लिये रखूंगा । यदि यह स्वीकार हो गया तो मूल संकल्प स्वयं समाप्त हो जायेगा* ।

प्रश्न यह है :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये :

"This House is of opinion that with a view to inculcate discipline, marksmanship, initiative and leadership in the youth of India, Government should immediately provide all proper and practicable facilities to rifle training institutions in India."

["इस सदन का यह मत है कि भारत के नवयुवकों में अनुशासन, निशानेबाजी, अगुआई तथा नेतृत्व की भावना पैदा करने के लिये सरकार भारत की राइफिल प्रशिक्षण संस्थाओं को सभी उचित तथा व्यवहारिक सुविधायें देने की तत्काल व्यवस्था करे ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से सेना छात्रों के वापस बुलाये जाने सम्बन्धी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन सरदार हुक्म सिंह के संकल्प पर चर्चा करेगा । इस के लिये समय सीमा एक घंटे की है । यह ७ बजे समाप्त हो जायेगा । आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ही समय लेंगे ताकि सरकार तथा अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो सके । माननीय प्रस्तावक के भाषण के तुरन्त बाद मैं माननीय मंत्री से बोलने के लिये कहूंगा ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : श्रीमान्, एक व्यवस्था यह थी कि यदि आवश्यक हुआ तो आधा घंटे का समय और दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

सरदार हुक्म सिंह द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से सेना छात्रों के वापस बुलाये जाने के सम्बन्ध में एक जांच समिति नियुक्त करने का संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरे विचार से यह संकल्प अत्यन्त महत्वपूर्ण है । देहरादून स्थित अपनी इस राष्ट्रीय संस्था की, जो कि एक बहुत भारी उत्तरदायित्व को निबाह रही है, प्रगति में हम सभी को रुचि है ।

मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य को यह बात मालूम होगी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाना कितना कठिन है । सेना छात्रों की भर्ती के लिये एक पेचीदा प्रक्रिया का पालन किया जाता है । सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली जाती है । उस में सफल होने के बाद अभ्यर्थी को सैन्य सेवा चुनाव बोर्ड के सामने जाना होता है । इस बोर्ड में प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं, जो काफ़ी अनुभवी होते हैं । इस में अभ्यर्थियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, जिनका यह दावा है कि वे सेना छात्रों के गुप्त गुणों का भी अनुमान लगा सकते हैं । सैन्य सेवा चुनाव बोर्ड अभ्यर्थी के नेतृत्व और व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों पर हर पहलू से विचार करता है और उस की सभी प्रकार से परीक्षा करता है । संक्षेप में वह बोर्ड इस बात को भली प्रकार से देखता है कि अभ्यर्थी में वे सभी गुण हों जो कि भारतीय सेना के किसी अधिकारी के

* अन्य संशोधन अस्वीकृत मान लिये गये ।

[सरदार हुक्म सिंह]

लिये आवश्यक होते हैं। मौखिक परीक्षा के समय शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से अभ्यर्थी को काफ़ी कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उन शारीरिक व्यायाम और परीक्षणों में अभ्यर्थियों के हाथ पैर और हड्डियां भी टूट जाती हैं, और यही कारण है कि सरकार अभ्यर्थी से पहले ही यह वचन ले लेती है कि यदि ऐसी कोई बात हुई तो उस चोट के लिये किसी प्रकार का भुगतान देने का उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं होगा। इतना ही नहीं, इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद उस अभ्यर्थी को डाक्टरी परीक्षा के लिये जाना होता है। उस परीक्षा म भी उत्तीर्ण होने के बाद उस को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिये चुना जाता है। इस से स्पष्ट है कि इस सम्बन्धमें चुनाव का ढंग बहुत चक्करदार और पेचीदा है, जिस के फलस्वरूप, कहा जाता है कि, इस कार्य में किसी प्रकार की धांधली होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। इतनी सतर्कता के बाद भी हम देखते हैं कि कई अभ्यर्थी उक्त अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने और वहां पर दो या तीन वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वापस बुला लिये जाते हैं या उन्हें अयोग्य घोषित करके निकाल दिया जाता है इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि उन में वे गुण विद्यमान नहीं थे जो एक अधिकारी में होने चाहियें। यह एक अजीब सी बात है कि जब ये अभ्यर्थी सभी प्रकार की परीक्षाओं के उपरान्त लोक सेवा आयोग और सैन्य सेवा चुनाव बोर्ड के द्वारा योग्य और ऐसे व्यक्ति घोषित कर दिये जाते हैं जिन में वे गुण विद्यमान हैं, जो किसी अधिकारी में होने चाहियें, तब फिर कुछ काल के बाद—कुछ मामलों में दो या तीन वर्षों के ब ाद तक—अकादमी के प्रशिक्षण अधिकारी इस परिणाम पर कैसे पहुंचते हैं कि उन्हीं व्यक्तियों में वे गुण विद्यमान नहीं हैं जो एक अधिकारी के लिये आवश्यक होते हैं। इस से तो यही अर्थ निकाला जा सकता है कि या तो मूल परीक्षायें त्रुटिपूर्ण थीं अथवा.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से अस्वीकृत व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है ?

सरदार हुक्म सिंह : यह मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता। परन्तु मैं ने पढ़ा है कि माननीय मंत्री ने दूसरे सदन में बताया था कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई समिति नियुक्त की गई है ?

सरदार हुक्म सिंह : एक समिति नियुक्त की गई है। यह समिति १४ नवम्बर, १९५३ को नियुक्त की गई थी और पंडित एच० एन० कुंजरू उस के सभापति हैं। उस का काम यह पता लगाना है कि सेना छात्रों का चुनाव ईमानदारी के साथ और उचित रूप से हुआ था या नहीं और अस्वीकृतियों की संख्या को कम करने की दृष्टि से उस में किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश है या नहीं। सरकार भी यह स्वीकार करती है कि इस प्रकार की अस्वीकृतियों की संख्या कम की जानी चाहिये। परन्तु उस संकल्प से मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : इस से कम से कम यह तो पता चलता है कि सरकार इस दिशा में सजग है।

सरदार हुक्म सिंह : इस के लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं यह चाहता

हूं कि इस जांच और निर्धारण के अतिरिक्त नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधिकरण अथवा आयोग को इस बात का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि यदि वह देखे कि किसी मामले में किसी पदाधिकारी की दुर्भावना या मनमानेपन के कारण कोई सेना छात्र वापस बुला लिया गया है, तो वह दोषी अधिकारियों को ठीक कर सके । सरकार द्वारा नियुक्त समिति के विचारणीय प्रश्नों और मेरे संकल्प में यही मुख्य अन्तर है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : (गुडगांव) तब तो यह एक स्थायी समिति बन जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : यह एक स्थायी समिति होनी चाहिये । एक आपत्तिजनक बात यह है कि रक्षा अकादमी का संचालक एक विदेशी व्यक्ति नहीं होना चाहिये । पंडित कुंजरू ने भी यह आपत्ति की थी । जब हम प्रधान सेनापति के पद के लिये एक भारतीय पा सकते हैं, तो फिर यह समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के संचालक पद पर हम किसी भारतीय को क्यों न रखें । हमने यह भी सुना है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के बजाय सरकार ने उक्त सज्जन की, जिस के विरुद्ध अनेक शिकायतें आ रही हैं, पदावधि बढ़ा दी है ।

यदि सेना छात्रों के चुनाव के तरीके में कोई त्रुटियां हों, तो उन को दूर किया जाना चाहिये । परन्तु यदि सरकार समझती है कि ऐसी बात नहीं है तो फिर हमें यह देखना है कि और कौन से अन्य दोष हैं जिन के कारण दो या तीन वर्ष बाद प्रशिक्षण अधिकारी इन सेना छात्रों में उपयुक्त गुणों का अभाव पाते हैं पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षा अकादमी को एक बार चुने गये सेना छात्रों का फिर से कोई चुनाव करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । उसका यह काम नहीं है कि बाद में वह यह कहे कि अमुक छात्र योग्य नहीं है ।

एक अनियमिता यह भी है कि स्थायी कमीशन प्राप्त करने वाले इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का काम ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाता है, जिन में से बहुत से ऐसे होते हैं जो या तो अस्थायी कमीशन प्राप्त या इमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी होते हैं । यह भी एक अजीब सी बात है ।

तीसरी बात यह है कि प्रशिक्षक अधिकारियों में कुछ एसे भी हैं जो देशी राज्यों की सेनाओं से आये हैं, और जिन्हें सेना छात्रों को ऐसी भी चीज़ पढ़ानी पड़ती हैं, जिन्हें उन्हों ने स्वयं कभी नहीं सीखा था । यह उचित नहीं प्रतीत होता है ।

एक दोष यह भी है कि जब किसी सेना छात्र में किसी प्रकार की कमी रह जाती है और बाद में वह उसे पूरा कर लेता है, तब भी उस की ज्येष्ठता म छै मास की कमी कर दी जाती है । इस से सेना छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । जब यह देखा जाय कि उस छात्र का काम अपेक्षित स्तर पर पहुंच गया है, तो कमीशन देते समय उस की ज्येष्ठता की गणना उस समय से करनी चाहिये जब से वह उस अकादमी में भर्ती हुआ था ।

एक शिकायत यह भी है कि कमज़ोर सेना छात्रों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है । इस की व्यवस्था आवश्यक है और मेरा सुझाव है कि यदि कोई समिति नियुक्त की जाये, तो उसे प्रशिक्षण के इस पहलू पर विशेष रूप से विचार करना चाहिये ।

किसी विशेष अधिकारी के विरुद्ध मेरी कोई शिकायत नहीं है । परन्तु आमतौर से

[सरदार हुक्म सिंह]

यह आरोप लगाया जाता है कि सेना छात्रों की अस्वीकृतियों आदि में अधीनस्थ कर्मचारियों की काफ़ी शरारत होती है । यदि इस आरोप में तनिक भी सच्चाई हो तो इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये, और आवश्यक सुधार किये जाने चाहियें ताकि इस प्रकार की धांधली न हो सके ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जब तक कि रक्षा संगठन मंत्री किसी सेना छात्र की अस्वीकृति के आदेश की पुष्टि न कर दें, तब तक उस सेना छात्र से उस की वर्दी आदि छीन कर उस का अपमान नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा करने से उस के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उस में हीनता की भावना पैदा हो जाती है ।

अन्त में मैं यह अनुरोध करूंगा कि मैं ने जो बातें कही हैं, उन पर उचित रूप से और गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिये और कम से कम गत दो वर्षों में हुई अस्वीकृतियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से जांच की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प प्रस्तुत किया गया ।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ गलत-फ़हमियां हैं, जिन्हें मैं आरम्भ में ही दूर कर देना चाहता हूं ।

सर्व प्रथम हम सेना छात्रों की अस्वीकृति की समस्या पर विचार करेंगे । अस्वीकृति की प्रतिशतता के सम्बन्ध में मैं सदन को अपने यहां के तथा अन्य देशों के भी आंकड़े, जो हम जानते हैं, बताऊंगा ।

मैं अमरीका के उदाहरण से अपनी बात आरम्भ करता हूं । वैस्ट पाइन्ट में निकल जाने वालों की प्रतिशतता १२·३ है । संयुक्त राज्य की नौ सेना अकादमी में यह संख्या १२·७३ प्रतिशत है । नीदरलैण्ड्स की सशस्त्र सेनाओं में यह १८ प्रतिशत है । बैल्जियम में यह १७·५ प्रतिशत है । सैण्डहर्स्ट, इंगलैण्ड में यह ८·७ प्रतिशत है । किंग्सटन में यह ४० प्रतिशत है ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि माननीय मंत्री उन अवधियों को भी बता दें जिन के सम्बन्ध में उन्हों ने यह संख्याय बताई हैं तो अधिक उत्तम होगा ।

सरदार मजीठिया : यह गत तीन वर्षों के औसत आंकड़े हैं । हमारे देश के प्रथम संयुक्त सेवा विभाग (ज्वाइंट सर्विसेज़ विंग) पाठ्यक्रम में निकल जाने वालों की प्रतिशतता ५·८ थी, दूसरे पाठ्यक्रम में यह ११·७ थी; तीसरे में यह ७·१ थी; चौथे में यह ३·०० थी; पांचवे में यह ३·८ थी; छटवें में यह ५.२ थी और सातवें में यह ३ प्रतिशत थी । इन आंकड़ों से प्रतीत होगा कि हमारे यहां निकल जाने वालों की प्रतिशतता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है ।

देहरादून स्थित अकादमी के सेना विभाग (मिलिटरी विंग) के दूसरे पाठ्यक्रम में यह प्रतिशतता ३·६ थी; तीसरे में यह ३·३ थी; चौथे में यह ४·४ थी; पांचवें में यह ४.९ थी; छटवें में यह ६.६ थी; सातवें में यह ४·२ थी; आठवें में यह १·२ थी; नवें में यह ६·१ थी; दसवें में यह २·४ थी; ग्यारहवें में यह ४·७ थी; और बारहवें में यह ५·७ थी । अन्य देशों के मुकाबिले में यह आंकड़े बहुत कम हैं ।

सरकार इस सम्बन्ध में धन्यवाद की पात्र है कि उस की चुनाव की प्रणाली ऐसी है जिस के कारण सेना छात्रों को बाद में उपयुक्त न होने के कारण हानि नहीं उठानी पड़ती है ।

केवल बहुत कम प्रतिशत सेना छात्रों को ही निकालना पड़ता है। अधिकांश को कमीशन मिल जाते हैं। वह प्रणाली इस प्रकार है।

सेवा चुनाव बोर्ड का उल्लेख किया जा चुका है। इन चुनाव बोर्डों में अभ्यर्थियों का परीक्षण वैज्ञानिक प्रणाली पर किया जाता है। उन की क्षमता तथा अनुद्भूत शक्ति को ज्ञात करने के सभी संभव प्रयत्न किये जाते हैं और हम उन की अपरिपक्वता का भी समुचित ध्यान रखते हैं। हम केवल अफ़सरोचित गुणों के आधार पर ही उन की जांच नहीं करते हैं अपितु हम यह देखते हैं कि क्या उन में अफ़सरोचित गुणों के विकसित किये जाने की क्षमता है भी या नहीं। इस के बाद प्रशिक्षण काल में यदि हम यह देखते हैं कि किसी अभ्यर्थी विशेष ने वह उन्नति नहीं की है जिस की हमें आशा थी तो हम उसे निकाल देते हैं।

यह पूछना कि कितने अभ्यर्थी इस कारण निकाले गये हैं बिल्कुल ठीक है। मैं सदन को सूचित करूं कि पहले जे० एस० डब्ल्यू० पाठ्यक्रम में १९० में से केवल दो सेना-छात्र निकाले गये थे। अर्थात् प्रतिशतता १ है। दूसरे में १११ में से दो; तीसरे में ९८ में से एक, चौथे में १०१ में से कोई नहीं; पांचवें में १८३ में से तीन; छटवें में १७४ में से दो; सातवें में १६३ में से एक; आठवें में २०२ में से दो; नवें में २१५ में से तीन अभ्यर्थी निकाले गये थे। अन्तिम पाठ्यक्रम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इस से स्पष्ट होगा कि निकाला जाना प्रशिक्षक की इच्छा पर ही निर्भर नहीं होता है। सभी संभव अवसर देने के बाद भी यदि हम यह देखते हैं कि उस में उन गुणों का अभाव है, जिन के उस में होने की हम ने आशा की थी, तो हमें बाध्य हो कर उसे विदा करना पड़ता है।

साथ ही मैं यह भी निवेदन कर दूं कि निकालने का यह कार्य जे० एस० डब्ल्यू० या रक्षा अकादमी द्वारा नहीं किया जाता है। प्रत्येक मामला मंत्रालय में आता है और अन्त में रक्षा संगठन मंत्री स्वयं उनपर विचार करते हैं, और सब प्रकार से सन्तुष्ट हो जाने के बाद ही उन के आदेशानुसार किसी सेना छात्र को निकाला जाता है, उस से पहले नहीं। अतः माननीय सदस्य ने जो निर्देश किया था उस का कोई औचित्य नहीं है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि सेना छात्रों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि जो अभ्यर्थी निकल-जाते हैं वह दो वर्ष अकादमी में पूरे कर चुके-होते हैं और यद्यपि वह पहले मैट्रिक पास थे तथापि अब उन की योग्यता इंटरमीडियेट के तुल्य हो जाती है। अतः उन की कोई हानि नहीं होती है वह कालिज में बिना किसी वर्ष की हानि उठाये भरती हो सकते हैं। हम विश्वविद्यालयों से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि ऐसे अभ्यर्थियों ने दो वर्ष अकादमी में गुजारे हों तो उन को इंटरमीडियेट परीक्षा पास समझा जाये। अतः उन को इस प्रकार की कोई हानि नहीं होती है।

जहां तक धन का प्रश्न है निश्चय ही उस की कोई हानि नहीं होती है। उस के प्रशिक्षण का सारा व्यय सरकार देती है और निकल जाने या निकाले जाने की दशा में उस से उस धन की भराई नहीं कराई जाती है। अतः जो भी शिक्षा वह प्राप्त करता है, जो भी अनुशासन वह सीखता है, जो भी व्यक्तित्व उस का विकसित होता है वह सभी सरकारी खर्चे पर होता है, और यह निश्चय ही उस को एक लाभ है हानि नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक नवयुवक की जान को कीमती समझती है। हम इतने सहज भाव से उन से पेश नहीं आते हैं। वह देश के लिये बहुमूल्य हैं तथा अपने मातापिता के लिए बहुमूल्य हैं। इन

[सरदार मजीठिया]

बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें चले जाने के लिए कहते हैं। श्रीमान् मैं इस सम्बन्ध में कुछेक उदाहरण देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। यदि यह समिति निकाले गये व्यक्तियों के सौ एक मामलों में यह देखे कि किसी व्यक्ति विशेष को निकालने में गलती की गई है तो उसका क्या होता है ?

सरदार मजीठिया : माननीय सदस्य एक ऐसी कार्यवाही करने का सुझाव दे रहे हैं। मैं एक कैडेट का मामला आप के सामने रख रहा हूं। हमने उसे उड़ान की ट्रेनिंग देने के लिए आग्रह किया। परिणाम यह हुआ कि विमानपात हुआ और वह उस घटना में मारा गया। ऐसे मामले हुए हैं। आप कैसे कहते हैं कि किसी कैडेट को अपने काम पर लगाये रखना चाहिय यद्यपि वह उस काम के अयोग्य हो ?

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे देशों का उदाहरण आप ने दिया कि जहां पर विदड्राअल का परसैंटेज हिन्दुस्तान से ज्यादा मालूम होता है, तो क्या वहां पर पार्लियामैंटरी कमेटीज़ कोई है कि जो उन विदड्राअल को स्क्रूटीनाइज करती है ?

सरदार मजीठिया : कोई नहीं है।

श्री अलगू राय शास्त्री : बस, इस मामले पर ज़रा प्रकाश डालिये। क्योंकि जो इस तरह का विचार कर रहे हैं, ऐसी कमेटी अप्वाइंट करने का, तो इस का नतीजा यह होगा कि हम बहुत आरम्भ में ही उन के फौजी जीवन में बहुत ज्यादा डिसैन्शन पैदा कर देंगे और यह उचित नहीं होगा।

सरदार मजीठिया : माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल ठीक है। किसी भी देश में इस प्रकार की कोई संसदीय समिति नहीं। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि हम किसी व्यक्ति को निकाल देते हैं तथा उस के लिए और कहीं जगह नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चालक के ग्रेड के लिए ग्राह्य न हो तो उस के विमान सेना के किसी अन्य अंग में भर्ती किये जाने के मामले पर विचार किया जाता है। और यदि वह वहां भी ग्राह्य न हो तो हम उसे किसी अन्य सेवा में भर्ती करने का प्रयत्न करते हैं। उसे केवल उसी दशा में निकाला जाता है जब कि वह हर मामले में अग्राह्य पाया जाता है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने कई इस तरह के मामले रक्षा संघटन मंत्री के ध्यान में लाये। उन्हों ने कागज़ात मंगाए, उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फैसला जो किया गया है, वह सही है।

इस के अलावा माननीय सदस्य ने कठिनाइयों आदि के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाये हैं। मेरे विचार में कठिनाई कोई नहीं है। जब आप को अफ़सर चुनने होते हैं, तो आप स्वभावत: योग्य से योग्य व्यक्तियों को ही चुन लेते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ने कठिनाइयों की शिकायत नहीं की।

सरदार मजीठिया : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत हैं कि स्टैंडर्ड को गिराया नहीं जाना चाहिये। दूसरा भी एक कारण है। हम ने इस प्रश्न पर पूर्णत: विचार किया है तथा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्टैंडर्ड गिरना नहीं चाहिये। एक ऐसा मामला हुआ जिस में कि पास हुए उम्मीदवारों की प्रतिशतता कुछ अधिक थी। इस का परिणाम यह देखा गया कि दूसरों के मुकाबले में उस दल में बाद में अधिक दुर्घटनाएं

घटीं । इस से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रत्येक अवस्था पर पड़ताल करना कितना आवश्यक है ।

दूसरी बात यह है कि अकादमी में जो केडेट ट्रेनिंग पाते हैं, उन के साथ सहज भाव से व्यवहार नहीं किया जाता है । उन की ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है । शुरू में प्लाटून कमांडर उन की निगरानी करता है, बाद में कम्पनी कमांडर उन की निगरानी करता है । इस के बाद बटालियन कमांडर तथा कमांडिंग अफसर जोकि एक मेजर-जनरल होता है, की बारी आ जाती है । यह नहीं है कि एक अफसर के कहने पर किसी व्यक्ति विशेष को निकाल दिया जाता है । उस में कोई विशेष दोष होना चाहिये जोकि सभी शिक्षकों के ध्यान में आ जाये । केवल तभी उसे निकाला जा सकता है । यदि उस के दोष से सभी सहमत हों, तभी रक्षा संघटन मंत्री को लिखा जाता है कि उसे अलग किया जाना चाहिये । इन्हीं परिस्थितियों में हम उन्हें अलग करते हैं ।

कुंजरू-समिति के बारे में भी कुछेक शब्द बोलना चाहता हूं । यह समिति दौरा कर रही है तथा साक्ष्य एकत्र करती है । हम ने कुछ विशिष्ट मामलों में केडेटों से, जिन्हें कि निकाल दिया गया था, पूछा कि क्या उन्हें कोई शिकायत है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन में से प्रत्येक ने कहा है कि उसे उचित अवसर दिया गया है तथा वास्तव में उस में अपेक्षित योग्यता नहीं है, इसीलिये उसे निकाल दिया गया है । कमांडिंग अफसर प्रत्येक केडेट से अलग अलग पूछता है कि क्या उन्हें कोई शिकायत तो नहीं । उन का उत्तर यही होता है कि शिक्षक बड़े अच्छे हैं तथा उन्हें कोई शिकायत नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : किन्तु मुझे शिकायत है ।

सरदार मजीठिया : दुर्भाग्यवश माननीय सदस्य को वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं । वह इस के केवल एक ही पहलू से परिचित हैं । यदि उन्हों ने स्वयं देखने का कष्ट किया होता, तो उन्हें पता चलता कि वर्तमान प्रणाली अत्यन्त ही उचित तथा न्यायसंगत है । यह वर्तमान स्थितियों के अन्तर्गत उत्तम है । यह प्रणाली सक्षमता से चल रही है । हो सकता है कि कुछ अपवाद हों । माननीय मंत्री सदैव ऐसे मामलों पर ध्यान देने तथा कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहते हैं । वह तो ऐसा कर सकते हैं । श्रीमान्, मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं आप का कृतज्ञ हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया है । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी–दक्षिण) : मैं आप का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि छात्र-सैनिकों के प्रशिक्षण तथा चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्तावक ने पहले ही सब परिस्थितियां समझा दी हैं । उन्हों ने आप के सामने वह मामले भी रखे हैं जिन में राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी छात्र सैनिकों को प्रशिक्षित करती है तथा ढाई वर्ष बाद उन्हें अस्वीकृत कर देती है । लेकिन माननीय उपमंत्री यह बात भुला बैठे हैं कि समिति की नियुक्ति और रक्षा मंत्रालय के संकल्प के आरम्भिक शब्द स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि पदाधिकारी छात्र सैनिकों की प्रतिक्रिया इन रेखाओं पर नहीं थी । छात्र सैनिकों की अस्वीकृति के सम्बन्ध में समिति नियुक्त की गई है यह शब्द स्पष्ट रूप से इस बात के द्योतक हैं कि रक्षा मंत्रालय के अधिकार में कुछ ऐसे प्रतिवेदन हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कहीं पर कोई त्रुटि थी और इसीलिये सरकार को समिति नियुक्त करने के लिये विवश होना पड़ा । इस का अर्थ है कि रक्षा मंत्रालय के मस्तिष्क में कुछ सन्देह है कि निर्धारण पद्धति दोषयुक्त थी । जब माननीय उपमंत्री कहते हैं कि यह बिल्कुल सन्तोषजनक थी तो फिर समिति की

[श्री धुलेकर]

नियुक्ति की क्या आवश्यकता थी। जब एक या दो प्रतिशत छात्रसैनिक ही अस्वीकृत किये जाते हैं तो इस प्रकार की पूरी जांच करने और सारे देश में घूमकर रुपया खर्च करने की क्या आवश्यकता है। निस्सन्देह ही मैं नवीन समिति की नियुक्ति का आग्रह नहीं करूंगा। मैं रक्षा मंत्री से प्राथना करूंगा कि जब छात्र-सैनिकों की अस्वीकृति कम करने के लिये एक समिति पहले ही नियुक्त कर दी गई है तो उस समिति को पिछले दो वर्षों के मामलों की जांच करने और यदि किसी छात्र सैनिक के प्रति कोई अन्याय किया गया है तो उसे पुनः लेने के सम्बन्ध में अनुदेश भी दे दिये जायें। मैं यह कभी नहीं कहता कि सही निर्धारण नहीं किया जाना चाहिये या कोई नियम नहीं होने चाहियें लेकिन समिति की नियुक्ति का तात्पर्य यह है कि उस में कुछ ज्यादतियां, कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं; यदि कतिपय व्यक्ति इन अनियमितताओं के शिकार बने हैं तो यह व्यवस्था दुरस्त होना आवश्यक है। अतः मेरा निवेदन है कि निर्देश पदों को विस्तृत कर के न्याय किया जाना चाहिये। मेरा यही निवेदन है।

श्री त्यागी : मुझे प्रसन्नता है कि यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है और सरकार उस का स्पष्टीकरण कर सकती है। वस्तुतः श्री धुलेकर की आपत्ति सर्वथा संगत है। वह कहते हैं कि यदि कहीं कोई गलती नहीं थी तो सरकार द्वारा समिति नियुक्त क्यों की गई? मैं मंजूर करता हूं कि यह मेरी गलती है क्योंकि मुझे इन्हें अस्वीकृत करन के सम्बन्ध में प्रस्ताव मिल रहे थे....

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : यह गलती समिति नियुक्त करने की है अथवा त्रुटि ढूंढ़ निकालने की?

श्री अलगू राय शास्त्री : समिति नियुक्त करने की गलती प्रतीत होती है।

श्री त्यागी : जब कि बार बार शिकायतें प्राप्त होने लगीं तो मैंने और मेरे सहयोगियों ने इसपर आपत्ति प्रकट की कि दो वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्हें क्यों अलग कर दिया जाये।

श्री अलगू राय शास्त्री : यह जल्दबाज़ी थी।

श्री त्यागी : यही भावना माननीय मित्र सरदार हुक्म सिंह तथा अन्य मित्रों ने व्यक्त की है। इन विचारों से प्रभावित हो कर हम ने मुख्यालय से चर्चा की। उन्हों ने अपना औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया। हम ने अनुभव किया कि यह उचित था। लेकिन तब हम ने आगे और जांच करने की कोशिश की इसी कार्य के लिये एक समिति नियुक्त की गई। हम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि संसद् के कोई गैर सरकारी सदस्य समिति के सभापति का कार्य करें। हम ने डा० कुंजरू को लिया जो विवेकशील व्यक्ति हैं और रक्षा सम्बन्धी कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में विख्यात हैं। वह एक शिक्षाविद् भी हैं। और भी अनेक शिक्षाविद् हैं। वे समिति की बैठक में भाग ले कर सरकार के समक्ष प्रतिवेदन करेंगे कि क्या यह तरीका वास्तव में गलत है। चूंकि एक समिति नियुक्त की गई है यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि पहले से ही कोई त्रुटि विद्यमान है। केवल एक ही बात है कि सरकार इस आशय से पूर्ण आश्वस्त होना चाहती है कि छात्र-सैनिकों को उचित ही अस्वीकृत किया गया है और वह सशस्त्र सेना के लिये ठीक कार्य भी है।

सदन को एक और बात पर विचार करना है। यदि व्यक्तिगत मामलों पर

सदन द्वारा बनाई गई समिति जांच करने लगेगी तो यह बुरा उदाहरण होगा। क्योंकि तब सदन मंत्रालय के निर्णयों पर अपना विचार व्यक्त करेगी। और वह भी उन व्यक्तियों के विषय म जो अभी केवल विद्यार्थी हैं। उन्हें अभी सेवा के लिये नहीं चुना गया है। वे अभी केवल संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चुने गये हैं।

जैसा मेरे सहयोगी ने कहा उन्हें सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं और वे शिक्षा का एक वर्ष भी नहीं खोते हैं। यदि दो वर्षों के प्रशिक्षण के बाद व शिक्षा-सम्बन्धी विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लगभग सभी विश्वविद्यालय इन लड़कों को तृतीय वर्ष में लेने के लिये तैयार हैं क्योंकि दो वर्ष उन्हों ने यहां पूरे कर लिये हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सभी छात्र-सैनिक कालेजों के विद्यार्थी हैं ?

श्री त्यागी : हां। दो वर्ष पूरे करने के बाद जब वे पाठ्यक्रम के विषय उत्तीर्ण कर लेते हैं तब उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों की इण्टरमीजियेट पास माना जाता है यह संघ लोक सेवा आयोग, गृह-मंत्रालय और विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य है। वे किसी भी कालेज में जा कर भर्ती हो सकते हैं और दो वर्ष बाद बी० ए० की परीक्षा पास कर सकते हैं। यह रियायतें उन्हें अभी तक दी जाती हैं। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने एक वर्ष तक प्रशिक्षण ले कर छोड़ दिया है तो कालेज उसे द्वितीय वर्ष में भर्ती नहीं करेंगे। हम इस विषय में विचार कर रहे हैं और हम यह प्रयत्न करेंगे कि एक वर्ष बाद प्रशिक्षण समाप्त कर देने पर भी उन के कालेज जीवन को कोई हानि न हो।

मैं एक बार और कह दूं कि लड़के वहां अपने माता-पिता के खर्चे से नहीं, बल्कि सरकारी खर्चे पर पढ़ते हैं। हम उन्हें पूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कदाचित् उन्हें यहां कालेज से भी अच्छी शिक्षा मिलती है। अतः यह बात सरकार की इच्छा पर ही निर्भर होनी चाहिये कि उन में से किन्हें लिया जाये और किन्हें नहीं लिया जाये। परीक्षण-काल के अधीन जिन सरकारी नौकरों को लिया जाता है उन्हें अलग करने के लिये सरकार के लिये किसी प्रकार के कारण बताना अपेक्षित नहीं है। यदि सरकार परीक्षण कालाधीन किसी व्यक्ति के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसे नोटिस नहीं दिया जाता है और न आरोप पत्र की आवश्यकता होती है और न सदन ही यह जानने का प्रयत्न करता है कि कितने परीक्षण कालाधीन व्यक्तियों को स्थायी नहीं किया गया है और कितने नियमित सेवा म लिये गये हैं। मेरा मत है कि इस प्रकार के व्यक्तिगत मामलों में संसद् द्वारा जांच करना उचित नहीं है।

मेरा विश्वास है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो सशस्त्र सेना को निःशक्त करे। अनुशासन सम्बन्धी मामलों में कई व्यक्तियों पर आरोप लगाये जाते हैं। यदि इन मामलों की पुनः चर्चा की गई तो सेना के बड़े बड़े पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। जहां सभी पदाधिकारियों के प्रति न्याय किया जाता है वहां मंत्री की हैसियत में मैंने यह देखने म पूरी सावधानी से काम लिया है कि सैनिक मुख्यालयों पर लेशमात्र भी लाञ्छना न लगाई जाये। अब चूंकि इन छात्र-सैनिकों के विषय में निर्णय किये जा चुके हैं माननीय मित्र द्वारा इस सम्बन्ध में जांच के लिये जोर देना अत्यन्त महत्वहीन है। इस पद्धति की जांच करने म उन का सहयोग प्राप्त करने में मुझे निस्सन्देह

[श्री त्यागी]

प्रसन्नता होगी और नीति के प्रश्न पर किसी भी सुझाव का स्वागत किया जायेगा ।

मैं सदन तथा वर्तमान संकल्प के प्रस्तावक माननीय मित्र को यह आश्वासन दिला दूं कि प्रत्येक मामले की पूरी जांच करने का कार्य जारी रहेगा । मुझे आशा है कि डा० एच० एन० कुंजरू की अध्यक्षता में हमें इस विषय की अधिक जानकारी मिलेगी और इस सम्बन्ध म अधिक शिकायतें नहीं होंगी । मुझे अधिक नहीं कहना है । माननीय देशभक्त मित्र से मेरी अपील है कि वह सशस्त्र सेना के मामले में दस्तदांजी न करें ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि सदन यह अनुभव करता है कि यह देश के हित में नहीं हैं तो मैं अपने संकल्प पर अधिक जोर नहीं दूंगा । एक दफा समिति नियुक्त कर दी गई है तो उसे बना रहने दीजिये । लेकिन यदि समिति इस निर्णय पर पहुंचती है कि एक विशिष्ट मामले में छात्र सैनिक को वापस लेने का कार्य औचित्यपूर्ण नहीं था तो सरकार के लिये, मंत्री महोदय के लिये अथवा समिति के पास इसे ठीक करने का क्या उपचार है ?

श्री त्यागी : समिति व्यक्तिगत मामलों में जांच करने नहीं जा रही है । जैसा मैं ने सुझाव दिया है समिति जांच की पद्धति और अस्वीकृति की पद्धति के सम्बन्ध में जांच करेगी उन्हें यह भी देखना होगा कि वे किस आधार पर अस्वीकृत कर रहे हैं । वे पिछले कुछ मामलों की जांच भी करेंगे और देखेंगे कि जिस तरीके से उन्हें अस्वीकृत किया गया है उस का भविष्य में अनुसरण किया जाये अथवा नहीं । इस तरह वे अपनी सिफारिशें करेंगे कि हमें वहां प्रशिक्षित छात्र सैनिकों की योग्यता और प्रवीणता को किस प्रकार निर्धारित करना चाहिये । मुझे विश्वास है कि उन की सिफ़ारिशें अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होंगी और भावी मार्गदर्शन में सरकार उन से लाभ उठायेगी । लेकिन निस्सन्देह ही आप उन मामलों पर निर्णय न करिये जिन पर सरकार ने पहले जांच की है और उन्हें अनुमोदित कर दिया है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : इस कमेटी को इन्डिविजुअल केसेज में नहीं जाना चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल (विलासपुर) : श्रीमान्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो समिति नियुक्त की गई है क्या उस की सिफ़ारिशें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, मैं देखूंगा कि क्या सिफारिशें हैं । मैं वायदा नहीं कर सकता । लेकिन मैं सदन को यह बता दूं कि मैं यहां सदन के अभिकर्ता की स्थिति में हूं । मैं पूर्णतया उन के हाथों में हूं और जब तक देश की सुरक्षा के विरोध में कोई बात नहीं होती है, सदन के समक्ष पत्र उपस्थित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब भी सदन के समक्ष पत्र उपस्थित करना आवश्यक है ?

सरदार हुक्म सिंह : मैं संकल्प वापिस लेना चाहता हूं ।

संकल्प, सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इस के पश्चात् सभा, शनिवार, ६ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई ।